

(See rule 114)

QA/~~TA~~/~~RA~~/~~CP~~/~~MA~~/~~PT~~ 31/90.....of 20.....

Versus

INDEX SHEET

[illegible]

Certified that the file is complete in all respects.

BC. Filled Weeded displays.

Signature of S.Q.

16/6/20

Signature of Deal. Hand

22/6/2011

A9

BEFORE THE CENTRAL ADMINISTRATIVE TRIBUNAL
CIRCUIT BENCH LUCKNOW

O.A.No. 31/90(L)

Kamleshwar Prasad Srivastava .. Applicant

vs.

Union of India & Ors. .. Respondents

Coram: Hon'ble Vice Chairman Shri B.C.Mathur
Hon'ble Member(J) Shri D.K.Agrawal

Judgment delivered by D.K.Agrawal, Member(J) Date:

This application under Section 19 of the Administrative Tribunals Act, 1985 has been filed by Shri K.P. Srivastava, IAS, Special Secretary to the Govt. of Uttar Pradesh in the Department of Education (Higher and Secondary) aggrieved by the order of opposite party No.3 (Secretary, Appointment Department, Govt. of Uttar Pradesh) placing him under suspension in contemplation of disciplinary proceedings against him. The impugned order of suspension dtd. 17-1-1990 has been passed purporting to be in exercise of the power in sub-rule(1)(a) of rule 3 of All India Services (Discipline & Appeal) rules, 1968 for violation of rule 3 thereof. It has been filed as Annexure-1 to the application. The chargesheet containing 11 articles of charges dated 28.2.1990 has been filed by the State Govt. (Opposite Party No.2 as Annexure CA-2 to the counter).

2. Briefly, the facts are that the applicant was appointed to the U.P. Civil Service by direct recruitment on 14.4.1958 and confirmed w.e.f. 14.4.1960. He earned due promotions in the Civil Service and was selected for appointment in the senior scale of Indian Administrative Service and

D.K. Agrawal

appointed on 4.5.1982 to officiate against senior scale I.A.S.post. The applicant was appointed as Competent Authority-cum- Joint Director, Urban Land Ceiling, Varanasi under Section 2(d) of the Urban Land(Ceiling and Regulation)Act and worked on that post during the period from 10.3.1976 to 30.6.1981. The State Government sometime in the year 1984 directed a general enquiry into the working of the offices of Competent Authorities of Urban Land Ceiling in the city of Lucknow, Agra, Varanasi, Allahabad and Kanpur. The officers of the vigilance establishment thereafter took into their possession the case files and the Director, Vigilance submitted his report on the basis of which the impugned order of suspension dated 17.1.1990 (Annexure-I) and the chargesheet dated 28.2.1990 (Annexure CA-II) were issued by the State Government/ disciplinary authority.

3. The applicant has assailed the impugned order of suspension and the chargesheet on various grounds, firstly, that the standard clause relating to immunity of Public Servants as contained in Section 40 of the Urban Land (Ceiling & Regulation) Act, 1976 has been ignored, secondly that there was ~~no~~ violation of Rule 3 of All India Services Conduct Rules, 1968, and thirdly that the order of the State Government authorising the U.P. Vigilance establishment

D. K. Singh

to make an inquiry was illegal and contrary to the provisions of U.P. Vigilance Establishment Act, 1965.

4. The application was admitted and an ad-interim order staying suspension order was passed by another Bench of the Tribunal on 30-1-1990.

5. We have heard the learned counsel for the parties and perused the record. The vigilance report has also been perused by us.

6. It would be relevant to note down the object and broad features of Urban Land Ceiling & Regulation Act, 1976. The object of the act was to provide for the imposition of ceiling on vacant land in urban agglomerations, for the acquisition of such land in excess of the ceiling limit, to regulate the construction of holdings on such land and for matters connected therewith, with a view to preventing the concentration of urban land in the hands of few persons and speculation and profiteering therein and with a view to bringing about an equitable distribution of land in urban agglomerations to subserve the common good. Therefore every person holding vacant land in excess of ceiling limit was required to file a statement before competent authority. On the basis of statement filed u/s 6 and after such enquiry as the competent authority deemed fit, the competent authority was required to prepare draft statement against which objections could be

Dr. G. S. Singh

filed u/s 8(4). Final statement of vacant land was prepared u/s 9 and excess land acquired u/s 10. Section 19 contained provision regarding vacant land which was exempt from the provisions of the act. Further section 20 empowered State Government to exempt excess vacant land from acquisition. Section 21 contained a provision that excess vacant land if required to be utilised for construction of dwelling units for accommodation of weaker sections of the society (in accordance with the scheme approved by State Government) was not ^{to} be declared excess land. Section 31 deals with the powers of competent authority and declares that the competent authority is vested with the authority of civil court in specified matters. Section 33 provided for an appeal against the competent authority and section 34 empowered State Govt. to call for and examine records of any order passed or proceedings taken under the provisions of the act against which no appeal has been preferred for the purpose of satisfying itself as to the legality or propriety of such order or as to the regularity of such procedure and pass such order with respect thereto as it may think fit. Finally section 40 contained a standard immunity clause in respect of acts done in good faith by the authority under the Act.

OK G. S. S. S.

7. The applicant's contention is that his alleged acts of omission and commission were not subjected to revision or appeal under the provisions of the Act and therefore on account of indemnity clause as contained in Section 40 could not form the basis of the chargesheet merely on the basis of a general enquiry held by the Vigilance Establishment of the State Government. He has placed reliance in his pleadings on the case of Mohammad Iqbal Azmi decided by U.P. Public Services Tribunal-I Lucknow by judgment and order dated 28-7-1986 (Ann.A-2 to the application). Shri Mohammad Iqbal Azmi challenged the order of reversion passed on the basis of errors committed by him in the orders passed by him as Asstt.Consolidation Officer under the U.P.Consolidation of Holdings Act. The Tribunal took the view that "there are no allegations of malafide against the petitioner. Besides, the malafides could be best proved in appeal or revision.....If the action of the petitioner was not in good faith in giving decisions in the cases mentioned in the chargesheet, the appellate or revisional court only could hold malafides or otherwise against the petitioner while deciding cases but under no circumstances a presiding officer can be chargesheeted on this account." State of Uttar Pradesh preferred a Writ Petition in the High Court, Lucknow numbered as 801/87 wherein it was held by judgment dated 10.4.1987 that protection under

Dr. C. S. Mehta

Section 48A of the Consolidation of Holdings Act would be available only when it is shown that the impugned act has been done in good faith. The High Court expressed its disagreement with the proposition laid down by the Tribunal that the question of good faith could be decided only by the appellate or revisional court. The judgment of the High Court has been filed as Annexure A-3 to the application. Mohd. Iqbal Azmi preferred a Special Leave Petition before Supreme Court which on grant of Special Leave was numbered as Civil Appeal No.3338/88. The said appeal was allowed by Supreme Court by judgment dated 22.9.1988. Their Lordships of the Supreme Court set aside the judgment of the High Court and restored that of Tribunal. A copy of the judgment of the Supreme Court has been filed as Annexure A-4 to the application. On the basis of the said judgment of the Supreme Court it was contended that lack of good faith could be determined only by way of appeal or revision.

8. Thus it raises two questions, firstly whether the judgment of Supreme Court in Civil Appeal 3338/88 lays down the law that the finding of malafides can be reconsidered by appellate or revisional court only against a Presiding Officer, secondly, that no disciplinary proceedings can be taken against a Presiding Officer/authority discharging judicial/quasi judicial function under a particular act or

OK [Signature]

statute if it happens to contain an immunity clause.

The Supreme Court in its judgment vide appeal No.3338 of 1988 referred to above has not declared law to the effect that lack of good faith can be established only by way of appeal or revision. With reference to various decisions rendered by the Supreme Court in the case of (i) Nawab Sir Mir Qsman Ali Khan v. Commissioner of Wealth Tax; (1986) Supp. SCC 700, (ii) Union of India v. All India Services Pensioners Association, AIR 1988 SC 501 and (iii) Daryao & Ors. v. State of UP and another AIR 1961 SC 1457, it emerges out that where a decision contains reasons even though the order is passed dismissing an SLP in limine it would be binding under Article 141 of the Constitution. Consequently, the converse is also true viz. where reasons are not given, such orders passed by the Supreme Court are not binding as a precedent, for such orders do not declare any law. A decision rendered by the Supreme Court is a binding precedent only to the extent of what it actually decides and must be understood in the background of the facts of the case decided - vide AIR 1987 SC 1073 (Ambica Quarry Works v. State of Gujarat). Again in AIR 1974 SC 818 (M/s. Rawal and Co. v. K.G. Ramachandran) it was held that general observations should be confined to the facts of the cases wherein they were made and that, "any general observation cannot apply in interpreting the provisions of an Act unless the Court has applied its mind to and analysed the provisions of that particular Act."

Dr. C. S. Murthy

The second issue raised in this application is of great importance. There are numerous enactments under which Govt. servants are vested with powers of quasi-judicial nature. These enactments contain an immunity clause also. The question arises whether these authorities enjoy complete immunity from legal proceedings, including departmental proceedings, in respect of matters decided by them in performance of their quasi-judicial functions. This issue has been considered in detail by Supreme Court in S.Govinda Menon v. Union of India, AIR 1967 SC 1274 and held that if there was prima facie material for showing recklessness or misconduct on the part of the appellant in the discharge of his official duty, Govt. was entitled to institute disciplinary proceedings. However, there was no indemnity clause contained in Madras Hindu Religious and Endowments Act, 1951 whereunder the appellant (Commissioner) was vested with the quasi-judicial functions. Therefore we may discuss the issue with reference to immunity clause. However, before we proceed to examine the issue it may be mentioned that even judicial officers to whom protection of considerably higher order is available, are also not immune from departmental proceedings. The combined effect of the judicial officers (Protection) Act, 1850 and the Judges (Protection) Act, 1985 is that a Judge or any person acting judicially cannot be

Dr. Aggarwal

sued in any civil Court for any act done or ordered to be done by him in the discharge of his quasi-judicial duties. There is, however, no bar to departmental proceedings being initiated against such a person in accordance with law. There are many reported cases in which disciplinary proceedings for misconduct has been initiated against members of subordinate judiciary in the exercise of their judicial functions in accordance with relevant rules. Rajasthan High Court in Bhagwat Swaroop v. State of Rajasthan, (1978) 1 SLR 835 held as follows:-

"But where a Magistrate, while exercising his judicial discretion, acted upon insufficient material or if it is found that further evidence of substantial nature was necessary before a search warrant under Section 100 of Code of Criminal Procedure could have been issued in a particular case, the same could not amount to misconduct and it could hardly be a matter for taking disciplinary action unless it is alleged and proved that the conduct of the Magistrate, while exercising his judicial discretion, was of a nature not befitting the dignity of his office or where he was actuated by malice and it is found that a particular order was the result of malafide conduct on the part of the Magistrate."

In this light we may examine the immunity clause and the validity of action of disciplinary authority in the instant case.

9. Section 40 of the Ceiling Act reads as under:-

"No suit or other legal proceedings shall

Dr. Aggarwal

lie against the Government or any officer of the Government in respect of anything which is in good faith or intended to be done by or under this Act."

The word "Good faith" has been defined in Section 3(22) of the Central General Clauses Act as well as under Section 4(17) of the Uttar Pradesh General Clauses Act as follows:-

"A thing shall be deemed to be done in "good faith" where it is in fact done honestly, whether it is done negligently or not"

The Supreme Court has explained the legal meaning of the word 'honestly' in the case of Bhilwandi & Nizampur Municipality vs. Kailash Sizing Works, AIR 1975 SC 529 by relying on the version of Lord Blackburn, in Jones v. Gordon(1877) 2 App Cas 616 and has distinguished between the case of a person who is honestly blundering and careless and the case of a person who has acted not honestly. It was stated that an authority is not acting honestly where an authority has suspicion that there is something wrong and does not make further enquiries. Being aware of possible harm to others and acting inspite thereof, is acting with reckless disregard of consequences. It is worse than negligence, for negligent action is that, the consequences of which, the law presumes to be present in the mind of negligent person, which actually it was there or not. This legal presumption is drawn through the

Dr. Ag. Singh

well known hypothetical reasonable man. "Reckless disregard of consequences and malafides stand equal, where the actual state of mind of the actor is relevant. This is so in the eye of law, even if there might be variations in the degree of moral reproach deserved by recklessness and malafides." Thus the protection available to the public servant while discharging judicial/quasi judicial is that no action can be taken against him for discharge of his quasi-judicial functions if the same have been discharged in good faith. Action can be initiated against him only if lack of good faith i.e. dishonesty or deliberate negligence is prima-facie shown to have been discovered against him by the Disciplinary Authority whether the State Government or Central Government. In other words it would mean that if the provisions of the act or rules have been disregarded by a public servant while discharging his judicial functions which has resulted in an erroneous judgment or order the correctness or legality of the decision can be challenged by way of appeal or revision under the relevant provisions of the act. Then if a public servant is merely guilty of negligence, he will be entitled to protection under the immunity clause. But if there is prima facie evidence of lack of integrity or recklessness in the discharge of duties, he becomes

Dr. A. S. Sarda

AS

exposed to departmental action.

10. In the light of the above legal position we may examine action of the disciplinary authority in the instant case to find out whether prima facie evidence has been discovered to establish that the applicant acted with oblique motive/dishonestly or recklessly in utter disregard of consequences to be able to attribute malafides to him. Unless the disciplinary authority/State Govt. has taken up such an exercise, the action is liable to be struck down not only as arbitrary but against the provision of law. In the instant case a general enquiry was conducted in relation to some districts of the State about the working of competent authorities under Ceiling Act as a result of which a general report was submitted holding that rules/law and guidelines issued by Govt. from time to time were not followed. The question is whether departmental action can be initiated against the applicant only on the ground that rules or provisions of the act were disregarded or that he was guilty of inaction. In case the rules or provisions of the act were disregarded, such an action could be questioned in appeal u/s 33 or in revision u/s 34 of the Act. Further, if the applicant was negligent, he was entitled to protection under the immunity clause. He can be departmentally dealt with only if his act or omission is such as to

not at

OK [Signature]

..13/-

reflect on his integrity or recklessness or was the result of deliberate negligence on his part. The enquiry officer of vigilance establishment has failed to take account of this legal aspect. The report of vigilance establishment merely indicates that the competent authorities in KAVAL towns of Uttar Pradesh have failed to act deligently which has resulted in loss to Govt. and consequent benefit to landholders. In turn, the Govt. has proceeded to initiate action against one of them i.e. the applicant. Even the statement of imputation accompanying articles of charge does not furnish prima-facie material to the effect that the applicant was guilty of dishonesty or recklessness. It is only in such cases that the immunity clause comes into play and action of Govt. liable to be struck down as being violation of the statutory provision. Charge No.1 and the statement of imputation accompanying it very well illustrates the nature of allegations and evidence in support thereof. Charge No.1 runs like this. 'while posted as Competent Authority at Varanasi you did not act with due care and caution in as much as you failed to order survey & submit report to Govt. u/s 20 of the Act in pursuance of statement filed by Ramesh Chandra Dey, Managing Director & Partners of Standard Machine Bricks & Tiles Co.Ltd. claiming utilisation of 30.11 acres of land for industrial purpose.'

The scheme of the act as mentioned above was to the effect that after receipt of statement u/s 6, the

Dr. Aggarwal

competent authority was required to prepare draft statement of vacant land against which objections could be filed by landholder u/s.8(4). Then final statement of excess land was to be prepared u/s 9 or if the excess land was alleged to be in use for industrial purpose, a report had to be submitted to State Govt. which had power to exempt its acquisition u/s. 20 of the Act. The basis of charge No.1 is that the alleged omission was malicious. However, the evidence proposed to establish the charge does not mention facts, constituting dishonesty or deliberate negligence. The evidence in support of charge No.1 consists only about the fact that Statement u/s 6 was filed and thereafter no action was taken as required under the provisions of the act. Thus it merely seeks to establish omission on the part of competent authority. The facts constituting deliberate negligence have not been brought out either because the same did not exist or the vigilance officer was unable to dig them out. In such a situation the action of the disciplinary authority will be liable to be struck down. The protection clause in the act in question or for that matter in any other statute does make it obligatory on the part of the disciplinary authority to discover and establish prima facie facts constituting malice or deliberate negligence before it can proceed to initiate disciplinary proceedings against

Dr. Aggarwal

a public servant whose actions are sought to be protected by act of legislature or Parliament.

It is not sufficient that State's police or vigilance agency in a general manner concludes malafides without there being specific material of malice or deliberate negligence as required by immunity clause. In the circumstances we have no other option but to quash the charge memo with liberty to Govt. to allege and furnish prima-facie evidence of malafides in support of the allegations in the charge memo ~~for~~ initiating departmental action against the applicant.

11. The impugned orders of suspension and chargesheet in the instant case have been challenged also on the ground that the acts of omission and commission alleged to have been committed by the applicant relate to the period prior to his induction in Indian Administrative Service. Therefore, it has been urged ~~xxxx~~ that the chargesheet issued in exercise of powers in sub rule (1)(a) of Rule 3 of All India Civil Services(Discipline and Appeal)Rules 1965 is bad in law. The said rule reads as under:-

"3. Suspension --(1) If, having regard to the circumstances in any case and, where articles of charge have been drawn up, the nature of charges, the Government of a State or the Central Government, as the case may be, is satisfied that it is necessary or desirable to place under

OK *[Signature]*

suspension a member of the Service, against whom disciplinary proceedings are contemplated or are pending that Government may--

(a) if the member of the Service is serving under that Government, pass an order placing him under suspension, or

(b) if the member of the Service is serving under another Government request that Government to place him under suspension

pending the conclusion of the disciplinary proceedings and the passing of the final order in the case."

It has been contended on behalf of the applicant that the suspension order was passed on 17-1-1990 while chargesheet was issued on 28-2-1990 and consequently it is obvious that the suspension order was passed before the articles of charges were actually drawn.

There is no doubt that the disciplinary authority can initiate action against an officer of IAS under Rule 7 of the All India Civil Services (Discipline and Appeal) Rules, 1965 for acts of omission and commission committed before he was inducted in the Indian Administrative Service. Therefore, it is urged that chargesheet issued under Rule 3 was without authority because it deals with the misconduct of an officer as a member of IAS as well as for the reason that the order of suspension was passed without actually drawing the articles of charges. We agree to the extent that there was ~~no~~^{no} violation of Rule 3 of All India Services Conduct Rules. The misconduct, if any, relates to the period when the applicant was member of State Civil service. Therefore, the charge memo is liable to be struck down on this ground as well.

Dr. B. G. V. Rao ..17/-

12. We may also deal with the last and the least important point raised by the applicant. In the instant case the inquiry was made by the State Government through its Vigilance Agency. The applicant has assailed the right of the State Government to get an enquiry conducted by the Vigilance Establishment on the basis of provisions of the Vigilance Establishment Act 1965. We have carefully gone through the provisions of the Vigilance Establishment Act 1965 but failed to discover lack of authority on the part of the State Government to use the Vigilance Agency for holding such an enquiry. It is, however, true that the vigilance enquiry was of a general nature and the Vigilance Officer failed to discover prima-facie material to establish lack of good faith. The Enquiry Officer merely concluded ~~the~~ malafides on the part of the applicant without bringing on record necessary material to establish the same. However, there is no reason for us to say that the State Government cannot use the Vigilance Agency or any other agency to hold a preliminary enquiry, if it so desires. In any case, there was no want of authority in the State Government to use the Vigilance Agency to make a preliminary enquiry in the instant case. We are of the opinion that the plea raised by the applicant is misconceived.

In the result, we hold that the impugned order dated 17-1-1990 (Annexure-I) and charge memo dated

Dr. G. S. Singh

28-2-1990(Annexure CA-2 of the counter affidavit)
are liable to be quashed. We, accordingly, quash the
impugned order of suspension and the chargememo.
However, it will remain open to the State Govern-
ment to initiate departmental action in the light
of the observation made by us in the body of the
judgment and in accordance with the rules on the
subject. The parties will bear their own cost.

D.K. Agrawal
5.7.90
(D.K.AGRAWAL)
Member(J)

B.C. Mathur
(B.C.MATHUR)
Vice-Chairman

CENTRAL ADMINISTRATIVE TRIBUNAL
LUCKNOW BENCH LUCKNOW .

INDEX SHEET

CAUSE TITLE O.A. 31 of 1990 (V)

Name of the parties. _____

K. P. Sivalingam Applicant.

Versus. _____

Union of India Respondents.

Part A.B.C.

Sl No.	Description of documents	Page
1. Check list-	A1 - A2	
2. Order sheet-	A3 - A7	
3. Judgment-	A8 - A25	
4. Petition	A6 - A54	
5. Annexures	A55 - A69	
6. Paper	A70	
7. C. A.	A71 - A81	
8. Annexures	A82 - A181	
9. R.A.	A182 - A189	

Bench copy

B1 - B162

C copy

C1 - C14

24-1-80

(AI)

CENTRAL ADMINISTRATIVE TRIBUNAL
CIRCUIT BENCH, LUCKNOW

Registration No. 31 of 1969 (1) M

APPLICANT(S) "K. P. Srivastava"

RESPONDENT(S) DOO

Particulars to be examined

Endorsement as to result of ex

1. Is the appeal competent? YS
2. a) Is the application in the prescribed form? YS
- b) Is the application in paper book form?
- c) Have six complete sets of the application been filed?
3. a) Is the appeal in time? YS
- b) If not, by how many days it is beyond time?
- c) Has sufficient case for not making the application in time, been filed?
4. Has the document of authorisation Vakalatnama been filed? YS
5. Is the application accompanied by B.D./Postal Order for Rs.50/- YS
6. Has the certified copy/copies of the order(s) against which the application is made been filed? YS
7. a) Have the copies of the documents/relied upon by the applicant and mentioned in the application, been filed? YS
- b) Have the documents referred to in (a) above duly attested by a Gazetted Officer and numbered accordingly? YS
- c) Are the documents referred to in (a) above neatly typed in double space? YS
8. Has the index of documents been filed and paging done properly? YS
9. Have the chronological details of representation made and the outcome of such representation been indicated in the application? YS
10. Is the matter raised in the application pending before any court of Law or any other Bench of Tribunal? NO
- Sh. S. S. 2/2

AR

Particulars to be Examined

Endorsement as to result of examination

11. Are the application/duplicate copy/spare copies signed ?
12. Are extra copies of the application with Annexures filed ?
 - a) Identical with the Original ?
 - b) Defective ?
 - c) Wanting in Annexures
Nos. _____ pages Nos _____ ?
13. Have the file size envelopes bearing full addresses of the respondents been filed ?
14. Are the given address the registered address ?
15. Do the names of the parties stated in the copies tally with those indicated in the application ?
16. Are the translations certified to be true or supported by an Affidavit affirming that they are true ?
17. Are the facts of the case mentioned in item no. 6 of the application ?
 - a) Concise ?
 - b) Under distinct heads ?
 - c) Numbered consecutively ?
 - d) Typed in double space on one side of the paper ?
18. Have the particulars for interim order prayed for indicated with reasons ?
19. Whether all the remedies have been exhausted.

Yes

Yes

Yes

Yes

NA

Yes

Yes

Yes

dinesh/

GA 21/90(L)

:: 2 ::

A3

Serial
number
of
order
and date

Brief Order, Mentioning Reference
if necessary

How complied
with and
date of
compliance

30-1-90

Hon. Justice K. N. Raju, VC.
Hon. K. J. Raman, AM

Admit.

List for orders 2, 13, 2, 90.

AM

VC

See
order on the
main
petition

13-2-90

No Sitting Adj. to 1-3-90

1/3/90

Hon. Justice K. Prath, VC.
Hon. K. J. Raman, AM.

Sr. B. C. Sapre for the applicant is present. Sr. Anup Kumar files vakalatnamas on behalf of OPs 2, 3 & 4. As notice to OP No. 1 has not yet been issued this may be issued forthwith and OP No. 1 may file counter within four weeks to which the applicant may file rejoinders within two weeks thereafter.

Sr. Anup K. received notice on behalf of

Sr. Anup Kumar requests for and is allowed two weeks time to file a counter. In the matter of interim relief the applicant's counsel requests for further orders to direct the OPs to permit the applicant to continue to work on the post from which he had been suspended in view of the interim order dated 30/1/90 by which the operation of the suspension order has been stayed. The applicant's counsel says that the applicant has not yet been paid salary despite the interim order. The opposite parties may file objections, if any, to the prayer for interim relief by the next date. In the meantime, the opposite parties shall pay the salary of the applicant for the post from which the applicant had been directed to be suspended. The interim order will continue till then. List for orders on 15/3/90. Copy of the order may be given to the learned counsel for both the parties within twenty four hours.

Dinesh

AM

on
notice given

31/90(C)

(AS)

18.4.90

Hon. D.K. Agrawal, JM
Hon. P.S. Habeeb Mohammad, AM

Sri B.C. Saxena for the Applicant prays
for adjournment. Allowed. List this case for hearing
on 25.4.1990. Till then, the stay order passed
earlier shall continue.


AM


JM

18.4.90

any

25/4/90

Hon. Mr. D.K. Agrawal, JM.
Hon. Mr. K. Obayya, AM.

Shri R. Raman ^{appears} for the applicant.
Shri A. Kumar, Counsel for the State
Govt. sought adjournment. Allowed
^{leave is}
list it for 22/5/90.

The interim order already
passed shall continue.

The copy of the order may
be given to the counsel for the applicant
as desired.


AM.


JM.

sd

17

1

Recd. Appx. 5 F.M. 032/50
P.F. 14. Srinivasa 145

C. S. Pandey
(C. S. Pandey) 24.7.90
U.D.A.
Appx. 5

2) Recd. Vigilance Sec. 3. File NO. 10(13)/90
Civil Misc. Writ petition No. 695/90
Dinesh Kumar & others
v/s.
Govt of U.P. & others

(Dheeraj Pandey) D. Pandey
24.7.90
U.D.A.
Vigilance Section-3
U.P. Sectt.
Lucknow

IN THE CENTRAL ADMINISTRATIVE TRIBUNAL
ALLAHABAD

O.A.NO. 31 1990 (L)
~~T.A.NO.~~

DATE OF DECISION 2.7.90

Kamleshwar P. Srivastava PETITIONER

Advocate for the
Petitioner(s)

VERSUS

Union of India & others RESPONDENT

Advocate for the
Respondent(s)

CORAM :

The Hon'ble Mr. B.C. Mathur, Am

The Hon'ble Mr. D.K. Agrawal, Jm

1. Whether Reporters of local papers may be allowed to see the Judgement ? ✓
2. To be referred to the Reporter or not ? ✓
3. Whether their Lordships wish to see the fair copy of the Judgement ? ✓
4. Whether to be circulated to other Benches ? ✓

Dinesh/

Dr. Agrawal
5/2/90

(A26)

Central
Circuit
Date of fil.
Date of R.

29-1-90

Dep Registrar (J)

COMPILATION II

IN THE CENTRAL ADMINISTRATIVE TRIBUNAL

CIRCUIT BENCH, LUCKNOW

Original Application No. 31 of 1990

K.P. Srivastava

--Applicant

versus

Union of India and others

--Respondents

INDEX

Sl. Description of documents relied no. upon	Annex. no.	PAGE
1. Application		1-29
2. Impugned order dated 17.1.1990	A-1	30-32
3. Judgment dated 28.7.1986 passed by the Services Tribunal	A-2	33-39
4. Judgment dated 10.4.1987 passed by the Hon'ble High Court	A-3	40-42
5. Judgment dated 22.9.1988 passed by the Hon'ble Supreme Court.	A-4	43-44

Noted for
30-1-90
K. K. Sharma
e/o K.B.C. Saxena
Adv.
29/1/90

~~4-1-90~~

Applicant

(B.C. Saxena)
Advocate

Date of filing

Counsel for the applicant

Registration No.

For Registrar

(127)

IN THE CENTRAL ADMINISTRATIVE TRIBUNAL,
CIRCUIT BENCH, LUCKNOW

Original Application no. 31 of 1990 (U)

Kamleshwar Prasad Srivastava, aged about 56
years, son of late Sri Sarju Prasad, resident
of ^{A/}42, Indira Nagar, Lucknow

Applicant

versus

1. The Union of India through the Secretary to the Government of India, Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions, Department of Personnel and Training, New Delhi
2. The State of Uttar Pradesh through the Chief Secretary to the Government of U.P., Civil Secretariat, Vidhan Sabha Marg, Lucknow.
3. The Secretary, Appointment Department, Civil Secretariat, Vidhan Sabha Marg, Lucknow
4. The Secretary, Department of Education (Higher and Secondary), Civil Secretariat, Vidhan Sabha Marg; Lucknow

Respondents

1. Particulars of the order against which

A28

323

the application is made

Order bearing no.5737/II-5-89-832/58
dated 17.1.1990 passed by respondent no.3
seeking to place the applicant under suspension
on the post of Special Secretary, Education
Department

2. Jurisdiction of the Tribunal

The applicant declares that the subject-matter of the ~~xxxxxxx~~ order against which he wants redressal is within the jurisdiction of the Tribunal.

3. Limitation

The applicant further declares that the application is within limitation prescribed in section 21 of the Administrative Tribunals Act, 1985.

4. Facts of the case

4.1. That the applicant was appointed to the U.P. Civil Service (Executive Branch) by direct recruitment with effect from 14.4.1958 on the basis of a combined competitive examination held by the U.P. Public Service Commission for various State services. The applicant was confirmed in the said service with effect from 14.4.1960 after successful completion of two years period of probation.

4/4/84

129

4.2 That on the basis of good performance on the posts in the ordinary scale posts in the U.P. Civil Service (Executive Branch) (hereinafter referred to as P.C.S.) the applicant was promoted to the senior scale post in the said service with effect from 29.10.1969 and was confirmed on the said post with effect from 1.1.1975.

4.3 That above the Senior Scale posts in the P.C.S. there are some posts in the higher pay scale known as Special Grade posts on which appointments ~~promotions~~ are made by promotion from amongst the holders of Senior Scale posts on the basis of merit. The applicant was selected and promoted and appointed to Special Grade post with effect from 10.3.1976 and was confirmed in the Special Grade post with effect from 15.2.1979.

4.4 That there are some Senior Scale posts in the I.A.S. cadre which are filled up from State Civil Service Officers by promotion by a Selection Committee constituted under rule 3 of the I.A.S. (Appointment by Promotion) Regulations, 1955 on the basis of merit.

4.5 That on the basis of having an unblemished and excellent service record the applicant was selected by the said Committee for appointment to the I.A.S. by promotion. He was accordingly appointed and promoted to the Senior

4.4 and 4.5

scale post of I.A.S. and was appointed to officiate against the Senior Scale post of I.A.S. on 4.5.1982.

4.6 ^{above} That/the the Senior Scale post of I.A.S. is a Junior Administrative Scale post and the applicant was given the status of Special Secretary to the Government with effect from July 1987, in the I.A.S. Junior Administrative scale.

4.7 That the applicant throughout his service career has worked consciously, honestly and with a high sense of responsibility and to the best of his ability which are reflected in his annual character roll.

4.8. That prior to the appointment to the I.A.S., the applicant was appointed on the post of Competent Authority -cum- Joint Director, Urban Land Ceiling, Varanasi with effect from

10.3.1976 under the provisions of section 2 (d) of the Urban Land (Ceiling and Regulation) Act, 1976 and he continued on that post till 30th June, 1981.

4.9 That by an order bearing no. 5737/II-5-89-832/58 dated 17.1.1990 passed by opposite-party no.3, a photostat copy of which is being annexed as Annexure no. A-1 to this application, the applicant has been ordered to be placed under

4/4/89/14

AB1

-5-

suspension in purported exercise of power under rule 3 (1)(a) of the All India Services (Discipline and Appeal) Rules, 1969. A perusal of the said order would show that it indicates that in respect of certain judicial orders passed by the applicant in the capacity of Competent Authority, Urban Ceiling, Varanasi during the period of his posting viz., 10.3.1976 to 30.6.1981 it has come to light that orders passed by the applicant were against the rules and the provisions of the Urban Land (Ceiling and Regulation) Act, 1976. It is further alleged that the applicant by the said orders has violated certain guidelines issued by the Central Government.

4.10 That the applicant has come to know that the Government of U.P. had directed the State Vigilance Establishment some time in the year 1984 to make inquiry about the functioning of the Competent Authorities of offices of Urban Land Ceiling in the State for the period 1976 to 1983 with a view to find out whether the cases under the Urban Land (Ceiling and Regulation) Act, 1976 have been disposed off strictly according to the provisions of the said Act. The Vigilance Establishment was required to look into the records of the Urban Ceiling at, Lucknow, Agra, Varanasi, Allahabad and Kanpur. Accordingly, the Vigilance Establishment had scrutinised the records of Urban Land Ceiling Office, Varanasi.

4/2/84

A32

4.11 That by U.P. Act no. VII of 1965 the State Legislature passed an Act called the U.P. Vigilance Establishment Act, 1965. Sub-sections (1) and (2) of section 2 of the said Act are relevant for purposes of the issues raised in the present petition and they read as under:-

" 2(1) Constitution and powers of the Vigilance Establishment -- (1) Notwithstanding anything in the Police Act, 1861, the State Government may constitute a special police force to be called the Uttar Pradesh Vigilance Establishment for the investigation of offences notified under section 3.

(2) Subject to any orders which the State Government may make in this behalf, members of the said establishment shall have, in relation to the investigation of such offences and arrest of persons concerned in such offences, all the powers, duties, privileges and liabilities which police officers holding corresponding ranks in the ordinary police force of the State have in connection with investigation of offences, and shall for purposes of conferment of powers under any law for the time being in force be deemed to be police officers holding corresponding ranks in the ordinary police force of the State."

474810X-114

123

-7-

4.12 That the Governor of Uttar Pradesh issued a Notification no. 592/XXXIX-VGL-1965 dated 12.2.1965 and therein & in exercise of the powers conferred by section 3 of the U.P. Vigilance Establishment Ordinance, 1965 was pleased to specify some offences and classes of offences which may be investigated by the U.P. Vigilance Establishment. The offences specified were, namely, :-

(a) Offences punishable under sections 161, 162, 163, 164, 165, 165-A, 166, 167, 168, 169, 182, 193, 197, 198, 201, 204, 211, 218, 379, 380, 381, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 403, 406, 407, 408, 409, 411, 412, 413, 414, 417, 418, 419, 420, 465, 466, 467, 468, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 477-A of the Indian Penal Code, 1860 (ACT XLV of 1860).

(b) Offences punishable under the Prevention of Corruption Act, 1947 (Act II of 1947).

(c) Offences punishable under the Indian Official Secrets Act, 1923 (XIX of 1923).

(d) Offences punishable under sections 7 and 8 of the Essential Commodities Act, 1955 (Act X of 1955) and conspiracies in relation thereto or in connection therewith.

4/4/65/10/10/10

124

-8-

(e) Offences punishable * under section 24(1)(iii) of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (LXV of 1951) and conspiracies in relation thereto or in connection therewith.

(f) Attempts, abetments and conspiracies in relation to or in connection with the offences mentioned in clauses (a) to (c) and any other offences committed in the course of the same transaction or arising out of the same facts."

4.13 That subsequently by another Notification no. 1796/XXXIV-VGL-100-65 dated 16.9.1965 in exercise of the ~~provisional~~ powers under the first proviso to sub-section (1) of section 5-A of the Prevention of Corruption Act, 1947 (Act no. 2 of 1947) as amended by the Anti-Corruption Laws (Amendment) Act, 1964 (Act no. 40 of 1964) the Governor of Uttar Pradesh was pleased to authorise the police officers in the U.P. Vigilance Establishment not below the rank of Inspector of Police to investigate any offence punishable under section 161, section 165 or section 165-A of the Indian Penal Code or under section 5 of the Prevention of Corruption Act, 1947 without the order of a Magistrate of the first class .

4.14

4.14 That, however, purporting to be in

exercise of the powers conferred by sub-sections (2) and (3) of section 2 and sub-section (1) of section 4 of the U.P. Vigilance Establishment Act, 1965 and in partial modification of the previous orders on the subject the Governor was pleased to make the order regularizing the work of and conduct of inquiries by the U.P. Vigilance Establishment by notification no. 1602/39(2)-217-1964 dated 29.8.1977. Paragraph 2 of the said Notification indicates the functions which the Vigilance Establishment shall perform. It is stated that the provisions of the said notification dated 29.8.1977 contained in para 2 thereof were clearly outside the scope of the provisions of the U.P. Vigilance Establishment Act, 1965. It is, therefore, stated that the Government Order authorising the U.P. Vigilance Establishment to make an inquiry of the nature indicated hereinabove was illegal, void and contrary to provisions of the U.P. Vigilance Establishment Act, 1965 since the inquiry/investigation had not been in respect of any of the offences notified in section 3 of the Act by notification dated 12.2.1965.

4.15. That the order for the petitioner's suspension has been passed on the basis of the report which the Vigilance Establishment appears to have submitted in pursuance of its investigation made under the authorisation by the Government in its letter of July 1984. In view of the

44-107-19

A26

-10-

fact that such an investigation was outside the scope of the provisions of the U.P. Vigilance Establishment Act, it was wholly unwarranted and without jurisdiction and could not be made a basis for passing the impugned order. This is without prejudice to other pleas which are being raised in the present application.

4.16. That from what has been indicated hereinabove it would be evident that the petitioners suspension has been passed on the basis of the report submitted by the Vigilance Establishment in respect of the alleged illegalities in the passing of judicial orders by the applicant in his capacity of Competent Authority, Urban Ceiling, Varanasi.

4.17. That section 40 of the Urban Land (Ceiling and Regulation) Act, 1976 contains an indemnity clause and reads as under:-

"40. Indemnity-- No suit or other legal proceeding shall lie against the Government or any officer of Government in respect of anything which is in good faith done or intended to be done by or under this Act. "

4.18 That the said provision of section 40 of the Urban Land (Ceiling & Regulation) Act, 1976 is in peri materia with the provisions of Section 49-A of the U.P. Consolidation of Holdings

4-4218X119

A37

-11-

Act which provision is reproduced below:

"49-A. Protection of action taken under this Act or rules made thereunder-- No suit , prosecution or other legal proceedings shall lie against any person for anything which is in good faith done or intended to be done under this Act or rules made thereunder."

4.19. That the said provision of section 49-A of the U.P. Consolidation of Holdings Act was invoked to his aid by one Mohammad Iqbal Azmi when the order for reversion from the post of Assistant Consolidation Officer, Bahraich to that of Consolidator was passed against him. The said Mohammad Iqbal Azmi aggrieved by the said order of his reversion filed a claim petition before the U.P. Public Services Tribunal no. 1 , Lucknow which was registered as Claim No. 451/1/1984. The Services Tribunal by a judgment dated 28.7.1986 allowed the said claim petition and quashed the order of reversion of the petitioner therein. The Services Tribunal in its judgment had the occasion to consider the plea raised on behalf of the petitioner, viz., Mohammad Iqbal Azmi, to the effect that the order for reversion has been passed on the basis of alleged errors in the judicial proceedings and orders passed by him in consolidation cases. The scope of section 49-A of the U.P. Consolidation of Holdings Act was considered and the Services Tribunal took

4242182119

A 30

-12-

the view that the protection was not only from civil suit and criminal proceedings but also from departmental proceedings. The Tribunal took the view that the term "legal proceedings" occurring in section 49-A⁴foresaid would include departmental proceedings. The Tribunal also had the occasion to consider the plea raised on behalf of the State that protection of section 49-A of the Consolidation of Holdings Act can be available to an officer only when the decisions are made in good faith. The Tribunal took the view that "there are no allegations of mala fides against the petitioner. Besides, the mala fides could be best proved in appeal or revision..... If the action of the petitioner was not in good faith in giving decisions in the cases mentioned in the charge-sheet, the appellate or revisional court/could hold mala fides or otherwise against the petitioner while deciding cases but under no circumstances Presiding Officer can be charge-sheeted on this account." The Tribunal placed reliance on a judgment rendered on 5.2.1985 in Claim No. 500/1/ 1982-- Satya Deo Prasad Srivastava versus State of U.P. and Consolidation Commissioner U.P., Lucknow. In the said decision the Tribunal had held that departmental proceedings cannot be initiated against an Assistant

AS7

section 49-A of the Act. The said judgment of the Tribunal became final and it was not challenged before the Hon'ble High Court. A photostat copy of the judgment passed by the Services Tribunal no.1, Lucknow dated 28.7.1986 in claim no. 451/1/1984 re: Mohammad Iqbal Azmi versus State of U.P. and Consolidation Commissioner, U.P. is being annexed as Annexure no. A-2 to this application.

4.20 That against the aforesaid judgment of the Services Tribunal, the State of Uttar Pradesh and another preferred a writ petition in the Hon'ble High Court, Lucknow Bench, Lucknow which was numbered as Writ Petition no. 801 of 1987. The said writ petition came up for final orders and by a judgment dated 10.4.1987 relying on a Division Bench decision reported in 1986 Lucknow Civil Decisions, 487 a learned ^{judge} Single of the Hon'ble High Court held that the benefit of section 49-A of the Consolidation of Holdings Act would be available only when it is shown that the impugned act has been done in good faith. His Lordship disagreed with the proposition laid down by the Tribunal that the question of good faith could be decided only by the appellate or revisional court. His Lordship took the view that the matter regarding good faith will be decided by the Tribunal itself and accordingly while allowing the writ petition quashed the order passed by the Services Tribunal and directed the Services Tribunal to dispose of the claim ~~petition~~

44810X719

petition on merits and in doing so it will be open to the Tribunal also to examine the question whether or not the impugned action of opposite-party no.1 in the consolidation proceedings which is the subject-matter of the charge-sheet had been performed in good faith. A photostat copy of the judgment dated 10.4.1987 rendered in Writ Petition no. 801 of 1987 is being annexed as Annexure no. A-3 to this application.

4.21 That against the judgment of the Hon'ble High Court, Mohammad Iqbal Azmi preferred a Special Leave Petition which was numbered as Special Leave Petition (Civil) No. 5202 of 1987 and on the grant of the said Special Leave petition preferred Civil Appeal no. 3338 of 1988. The said Civil Appeal was allowed by the Hon'ble Supreme Court by judgment dated 22.9.1988. Their Lordships ~~allowed~~ set aside the judgment of the High Court and restored the order of the Services Tribunal and disposed of the appeal accordingly. A photostat copy of the judgment of the Hon'ble Supreme Court dated 22.9.1988 in Civil Appeal no. 3338 of 1988 is being annexed as Annexure no. A-4 to this application.

4.22 That in view of the judgment of the Services Tribunal in Mohammad Iqbal Azmi's case which was confirmed by the Hon'ble Supreme Court in its judgment dated 22.9.1988 and further

4487/9714

in view of the fact that the provisions of section 40 of the Urban Land (Ceiling & Regulation) Act, 1976 are wholly per material with the provisions of Section 49-A of the Consolidation of Holdings Act it must be held that the term " legal proceeding" occurring in the said section 40 of the Urban Land (Ceiling & Regulation) Act, 1976 would also include departmental proceedings and thus there is indemnity conferred by the said provisions on the Competent Authority in respect of judicial orders passed by him in that capacity and the question of want of bona fides could only be gone into by the appellate or revisional authorities under the said Act and ^{not} ~~by~~ ^{for} any other administrative authority.

4.23 That a perusal of the impugned order dated 17.1.1990 would show that it has purportedly been passed in exercise of power in sub-rule (1)(a) of rule 3 of the All India Services (Discipline and Appeal) Rules, 1969. The said provision reads as under:-

/ "3. Suspension--(1) If, having regard to the circumstances in any case and, where articles of charge have been drawn up, the nature of charges, the Government of a State or the Central Government, as the case may be, is satisfied that it is necessary or desirable to place under suspension a member of the Service , against whom

6/4/90/10/11/19

Am2

-16-

disciplinary proceedings are contemplated or are pending that Government may--

(a) if the member of the Service is serving under that Government, pass an order placing him under suspension, or

(b) if the member of the Service is serving under another Government request that

Government to place him under suspension. pending the conclusion of the disciplinary proceedings and the passing of the final order in the case. "

4.24 That a perusal of the impugned order of suspension would show that no articles of charge have been drawn up and, as such, the condition precedent being absent the impugned order would be wholly illegal and void ab initio. (The applicant is advised to state that the term 'articles of charge' has come to acquire a definite legal connotation and is a term of art. It would only mean that specific articles of charge are drawn up in a concrete shape as contradistinguished from vague or general allegations. No definite articles of charges have been drawn up while passing the impugned order of suspension. The satisfaction of the State Government is to be not only with regard to the circumstances in any case but to the nature of the charges also since that alone will ensure that the satisfaction to suspend an I.A.S. officer which may lead to several disabilities

4240187119

in the matter of his conditions of service is not made perfunctorily. In this regard it is further relevant to point out that the power of the State Government to pass an order for suspension in respect of a member of the I.A.S. serving under that Government is "pending the conclusion of the disciplinary proceedings and the passing of the final order in the case." The rule read as a whole does not authorise the State Government to pass an order of suspension of a member of the Service under it without initiation of disciplinary proceedings. This would be so since the power to suspend pending the conclusion of the disciplinary proceedings has necessarily to be construed as a power in respect of disciplinary proceedings which have already been initiated by drawing up charges, serving it and appointing an Inquiry Officer.

4.25 That the applicant after 30-6-1981 has been posted in various capacities at various places and presently he is posted as Special Secretary, Education Department.

4.26 That from the facts indicated hereinabove, it would be evident that the Vigilance Establishment, even if its want of jurisdiction in the matter be not taken into consideration, had taken possession of all the relevant files from the office of the Competent Authority,

4/4/81/19719

AMU

-18-

Urban Ceiling, Varanasi in relation to which the departmental inquiry is alleged to be in contemplation and for that reason the applicant has been ordered to be placed under suspension.

4.27 That the purpose behind the right to suspend a Government servant pending completion of the disciplinary action or proceedings in the words of the Supreme Court was to prevent anything which would impede the very investigation and which would permit misuse of power by the person concerned against whom investigation was sought and which would facilitate investigation or which would be a step-in-aid of investigation. Therefore, anybody who is in the custody, power and possession of that evidence could not be kept in a position from where he could impede the very investigation. The applicant respectfully submits, as has been held in various judicial decisions, that it is not appropriate to say that in every case where disciplinary proceedings are pending suspension must follow automatically. It depends upon the nature of the evidence in respect of which disciplinary proceedings are pending and the person against whom the order is made. In the instant case in view of the indemnity clause contained in section 40 of the Urban Land (Ceiling and Regulation) Act, 1976 in respect of judicial orders passed by the applicant or

4/2/84

225

-19-

for that matter any other Competent Authority under the Ceiling Act is not open to administrative action by way of disciplinary proceedings or investigation by any administrative agency . It is only subject to appeal or revision provided under the said Act.

4.28 That the so-called satisfaction of the State Government averred to in the impugned order is not based on considerations germane and relevant in reaching the said satisfaction. It is submitted that while looking into circumstances of the case the Government should have also taken into consideration the provisions of the said section 40 of the Urban Land (Ceiling and Regulation) Act, 1976 . It is stated that the Government had overlooked the said circumstance totally and has in a perfunctory manner taken into consideration the report of the Vigilance Establishment... The said report, as has already been indicated, was wholly illegal and without jurisdiction. The Vigilance Establishment could not sit in judgment over the judicial orders passed by the applicant in capacity as Competent Authority under the said Urban Land (Ceiling and Regulation) Act, 1976.

4.29 That it would be evident that the so-called satisfaction of the State Government has not been reached keeping in view the purpose for which the right to suspend has been given in rule

424619X719

Recd

-20-

rule 3 of the All India Services (Discipline and Appeal) Rules, 1969. The State Government has clearly omitted to take into consideration before passing the impugned order the only relevant and germane consideration as to whether the applicant was in custody, power and possession of the evidence or whether he could impede any investigation into the matter.

4.30 That a perusal of rule 3 aforesaid would further show that the State Government is required to reach a satisfaction also ^{that} it was necessary or desirable to place under suspension a member of the Service. In view of the fact that the applicant is in no position to impede the investigation and neither the relevant evidence and papers were in his custody, power or possession, there was no basis for any satisfaction that it was necessary or desirable to place the applicant under suspension.

4.32 A perusal of the impugned order would show that the disciplinary proceedings which are alleged to be in contemplation are in respect of alleged violation by the applicant of the provisions of rule 3 of All India Services Conduct Rules, 1968.

7/4/68

It is stated that the matter on the opposite-parties own showing pertains to the period when he was posted as Competent Authority

Urban Ceiling, Varanasi during the period 10.3.1976 to 30.6.1981. The applicant was then in the Provincial Civil Service and had not been promoted to the Indian Administrative Service and was thus not a member of the Indian Administrative Service. The applicant was promoted and appointed to officiate to the Senior Scale post of I.A.S. on 4.5.1982. That being so, the basis for holding disciplinary proceedings against the applicant is wholly unfounded and baseless.

4.33 That is further relevant to point out that the report by the Vigilance Establishment has been given in respect of the judicial orders passed by the Competent Authorities under the Urban Land (Ceiling and Regulation) Act, 1976 who were posted at Lucknow, Kanpur and Agra besides Varanasi during the relevant period. The said Officers are members of the State Civil Service (Executive Branch) and their appointing authority is the State Govt. The report of the Vigilance Establishment is almost identical in respect of the said officer also as it is against the applicant. Neither any disciplinary proceeding has been initiated against the said officers nor the State Government has till date passed orders for their suspension. The petitioner alone has been picked out for discriminatory treatment out of political motivation. It is further stated that against innumerable officers who are members of the I.A.S, and are working under the State vigilance reports recommending holding of disciplinary proceedings for taking necessary action have already been made by the Vigilance Establishment but none of the said I.A.S. Officers have been placed under suspension by the State Govt.

5. Grounds for reliefs with legal provisions

The applicant on the basis of the following grounds with the legal provisions indicated therein is entitled to the reliefs prayed for.

(a) Because the basis for passing the impugned order is that disciplinary proceeding is in

44/1987-14

contemplation for alleged violation by the applicant of the provisions of rule 3 of the All India Services Conduct Rules, 1968 in respect of judicial orders passed by him as Competent Authority, Urban Ceiling, Varanasi during the period 10.3.1976 to 30.6.1981. The applicant not having been promoted to the I.A.S. on the said dates and not being a member of the Indian Administrative Service cannot be said to have violated the provisions of rule 3 of the All India Services Conduct Rules, 1968 on the said relevant dates.

(b) Because in view of the ground indicated hereinabove, the disciplinary inquiry alleged to be in contemplation being wholly unwarranted the impugned order of suspension ~~is~~ also falls to the ground.

(c) Because in view of the indemnity conferred by section 40 of the Urban Land (Ceiling and Regulation) Act, 1976, no disciplinary inquiry in respect of the validity or otherwise of the orders passed by the applicant in his judicial capacity as competent Authority, Urban Ceiling, Varanasi could be held or could be legally warranted and, as such, on the basis of alleged illegality in the said order, no disciplinary proceedings could be held and the term 'legal proceedings' occurring in section 40 of the Ceiling Act which is in pari materia with the provisions of section 49-A of the U.P. Consolidation of Holdings Act must be construed in the same light as laid down by the Services Tribunal in its judgment dated 28.7.1986 in a claim petition preferred by Mohammad Iqbal Azmi, Annexure A2, the said judgment having been affirmed by Hon'ble the Supreme Court in its judgment dated 22.9.1988, Annexure A-4 to this application.

12/10/88

AAA

-23-

(d) Because without prejudice to the above and in the alternative, if the purpose for which the power to suspend has been conferred on the State Government under rule 3 of the All India Services (Discipline and Appeal) Rules, 1969 is kept in view then it would be relevant consideration to be taken into consideration by the State Government in reaching its satisfaction that it is desirable and necessary to place a member of the I.A.S. under suspension. In view of the circumstance that the applicant is no longer in the P.G.S. and the matter relates to a very much earlier period and the relevant evidence and documents not being in power, possession or custody of the applicant he is in no position to impede investigation in the matter. It must, therefore, be held that the alleged satisfaction averred to in the impugned order that it is necessary and desirable to suspend the applicant is based on extraneous considerations and not relevant and germane.

(e) Because as has been held in various judicial decisions it would not be appropriate to say that in every casewhere disciplinary proceedings are pending suspension must follow automatically.

(f) Because in view of the fact which has been

4/4/69

150

-24-

judicially noticed by the Hon'ble Supreme Court suspension does entail certain consequences detrimental or disadvantageous to the person concerned, it is, therefore, necessary that rule 3 should be strictly construed and such consequences can be visited upon the member of the Indian Administrative Service only upon the fulfilment of the conditions as embodied in rule 3.

(g) Because the report of the Vigilance Establishment which is the basis for passing of the impugned order and contemplation of disciplinary proceedings against the applicant is wholly without jurisdiction in view of the ground that the provisions of para 2 of Notification dated 29.8.1977 are clearly outside the scope of the provisions of the U.P. Vigilance Establishment Act, 1965.

(h) Because in view of the provisions of section 40 of the Urban Land (Ceiling and Regulation) Act, 1976, the Vigilance Establishment was not competent to sit in judgment over judicial orders passed by the applicant in his capacity as competent authority. Any other view of the matter would clearly run counter to the provisions of the said section 40 as render the indemnity provided for therein nugatory.

(i) Because there has been violation of the provisions of Articles 14 and 16 of the Constitution of India and the order of the suspension of the the applicant is highly discriminatory.

4/8/77

6. Details of the remedies exhausted.

HL

ASI

That though an appeal has been provided in rule 16 against the order of suspension made or deemed to have been made under rule 3 of the All India Services (Discipline and Appeal) Rules, 1971 but in view of the fact that no power to grant interim relief has been provided in the said rule and further in view of the fact that on the basis of grounds the order of suspension is wholly without jurisdiction as also wholly illegal on the basis of several judicial decisions, it is now well-settled that the so-called alternative remedy must be for the injury complained of. (The applicant has been advised that an appeal to the Central Government for the impugned order of suspension will not be a remedy of immediate grievance or the injury which the applicant would suffer by being placed under suspension and he will have to face the consequences ensuing out of the impugned order of suspension.)

7. Matters not previously filed or pending with any other court

The applicant further declares that he had not previously filed any application, writ petition or suit regarding the matter in respect of which this application has been made, before any court or any other authority or any other Bench of the Tribunal nor any such application, writ petition or suit is pending

442818X-119

before any of them.

8. Reliefs sought

In view of the facts mentioned in para 4 above the applicant prays for the following reliefs:

This Hon'ble Tribunal be pleased

(i) to quash and set aside the impugned order dated 17.1.1990 contained in Annexure A-1 to the application.

(ii) be further pleased to hold and direct that inasmuch the applicant was not a member of the Service during the period when he was working as ^{Urban Ceiling, Varanasi} Competent Authority/during the period 10.3.1976 to 30.6.1981 and not being a member of the Indian Administrative Service on the said dates, no disciplinary proceedings could be held against him for alleged violation of rule 3 of the All India Services Conduct Rules, 1968.

(iii) to restrain the respondents from holding any disciplinary proceedings against the applicant on the basis of the charges indicated in the impugned order in view of the provisions of section 40 of the Urban Land (Ceiling and Regulation) Act, 1976.

to the respondents
(iv) to issue further direction, not to interfere

by order dated 19/1/91

ASS

-27-

with the applicants right to continue as member of the Indian Administrative Service and on the post of Special Secretary, Education Department, U.P., Lucknow and ^{pay} him full salary and allowances in the Junior Administrative scale of the I.A.S. with further consequential benefits in the matter of promotion etc. ignoring the decision contemplated to hold disciplinary proceedings against him in respect of the said allegations and charges.

(v) to quash and set aside the investigation and report submitted by the Vigilance Establishment against the applicant, if any, and to restrain the respondents from using the same in any manner whatsoever to the applicants prejudice in the matter of his conditions of service as a Member of the Indian Administrative Service.

(vi) to pass such other ^{order}, including an order as to costs, which in the circumstances of the case this Hon'ble Tribunal may deem just and proper.

9. Interim order, if any, prayed for.

Pending final decision on the application, the applicant seeks the following interim relief:-

This Hon'ble Tribunal be pleased :

448187-19

ASU

-28-

(i) to stay the further operation of the impugned order dated 17.1.1990 contained in Annexure 1 to the application and direct the respondents to allow the applicant to continue on the post of Special Secretary, Education Department, U.P., Lucknow and to ignore the decision contemplated to hold ~~disciplinary proceedings~~ ^{for} disciplinary proceedings in respect of charges and allegations indicated in the impugned order or of such nature while considering the applicants candidature for promotion to higher posts in the Indian Administrative Service.

(ii) to pass such other order as in the circumstances of the case this Hon'ble Court may deem just and proper.

10. Particulars of the Postal Orders filed in respect of the application fee.

1. Number of Postal orders
2. Name of issuing Post office
3. Date of issue of Postal orders
4. Post office at which payable.

11. List of Enclosures:

Annexure

1. Impugned order dated
17.1.1990

A-1 30-32

2. Order of the Services
Tribunal dated 28.7.1986

A-2 33-39

4240/82-19

Annexure no.

3. Judgment dated 10.4.1987
of the Hon'ble High Court A-3 40-42
4. Judgment dated 22.9.1988
passed by the Hon'ble Supreme
Court . A-4 43-44

VERIFICATION

I, Kamleshwar Prasad Srivastava, aged
about .56 years son of late Sri ~~Sirx~~ Sarju Prasad ,
resident of 42, Indira Nagar, Lucknow do hereby
verify that the contents of paras 1,2,3, 4.1. to
4.33 , 6, 7, 8, 9, 10 and 11 except the portions
personal
within brackets are true to my/~~own~~ knowledge
and of para 5 and portions within brackets are
believed to be true on legal advice and that I have
not suppressed any material fact

Date 25.1.1990

Place Lucknow

44240514

Applicant

P. Chakraverty
Counsel for the
applicant.

In the Central Administrative Tribunal

Circuit Bench, Lucknow

--

Original Application No. 31 of 1990

K.P. Srivastava

--Applicant

Versus

Union of India and others

--Opp-parties

--

Annexure no. A-1

44/20/1990

उत्तर प्रदेश सरकार
नियमित अनुभाग-5
संख्या-5737/लो-5-89-032/58
लखनऊ दिनांक जनवरी (7) 1990

1986

31

आदेश

कमलेश्वर

यतः श्री कमलेश्वर प्रसाद श्रीवास्तव, सदस्य, भारतीय प्रशासनिक सेवा, जब दिनांक 10-3-76 से 30-6-81 तक की अवधि में तत्कालीन प्रशासनिक नगर भूमि सीमारोपण के पट पर चाराणासी में कार्यरत रहे तो उस अवधि के सम्बन्ध में उनके विरुद्ध यह तथ्य प्रकाश में आया कि उन्होंने चाराणासी सीमा एवं विनियमन अधिनियम, उक्त अधिनियम के अन्तर्गत निर्मित नियमावली के प्राविधानों एवं अधिनियम के अन्तर्गत केन्द्र सरकार के आदेश एवं निर्माण मंत्रालय द्वारा निर्गत गाइड लाइन का उल्लंघन कर निर्णय दिये तथा भूमि के धारकों को अनुचित रूप से लाभान्वित किया। श्री श्रीवास्तव द्वारा की गई उक्त कार्यवाही बहुत ही गम्भीर एवं अव्यवस्थित है। ऐसी परिस्थिति में श्री श्रीवास्तव के विरुद्ध आल इण्डिया सर्विसिव (कन्डक्ट) सत्या 1968 के नियम 3 के उल्लंघन के आरोप में अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रस्तावित है और राज्य शासन का समाधान हो गया है कि श्री कमलेश्वर प्रसाद श्रीवास्तव को निलम्बित करना आवश्यक है।

अतः अधिल भारतीय सेवार्थे अनुशासन एवं अपील अधिनियम, 1969 के नियम 3(1)(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उत्तर प्रदेश के राज्यपाल, श्री कमलेश्वर प्रसाद श्रीवास्तव को तत्कालीन अवधि से निलम्बित करते हैं।

निलम्बन की अवधि में श्री श्रीवास्तव को उक्त प्रस्ताव में निर्दिष्ट नियमावली के नियम 4(1) के प्राविधानों के अनुसार जीवन निधि पर उनकी धनराशि अर्थात् औसत वेतन पर अर्थात् अर्द्ध वेतन पर देय अवकाश के बराबर, देय होगी तथा उन्हें जीवन निधि में भागों की धनराशि पर महंगाई भत्ता, यदि ऐसे अवकाश वेतन पर देय है, भी अर्द्ध देय होगा।

44/8/89

ATTESTED TRUE COPY
B.C. Dubey
Advocate

-2-

निलम्बन की अवधि में श्री श्रीवास्तव का मुख्यालय लखनऊ में हो होगा और वह वहाँ शिक्षा सचिव उच्च एवं माध्यमिक। उ०प्र० शासन की पूर्वानुमति के अभाव में मुख्यालय नहीं छोड़ेगे।

राज्यपाल की आज्ञा से,

नीरा यादव
सचिव।

श्री श्रीवास्तव, प्रधान शिक्षा विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन।

संख्या-5737/11/टी-5-89-832/58 तारीख 1/11/89

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु

प्रेषित :-

- 11। सचिव, भारत सरकार, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, कार्मिक और प्रशिक्षण, प्रशासनिक सुधार, लोक शिकायत तथा पेशान मंत्रालय, नया बजार, नई दिल्ली।
- 12। स्थापना अधिकारी, भारत सरकार, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, कार्मिक और प्रशिक्षण, प्रशासनिक सुधार, लोक शिकायत तथा पेशान मंत्रालय, नया बजार, नई दिल्ली।
- 13। सचिव, शिक्षा विभाग उच्च एवं माध्यमिक। उ०प्र० शासन।
- 14। महासेक्षाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
- 15। नियुक्ति अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश सचिवालय।
- 16। हरनाथ पैक अनुभाग/हरनाथ पैक जेलन बर्ध प्रकोष्ठ।

आज्ञा से,

नीरा यादव
सचिव,
नियुक्ति विभाग।

ATTESTED TRUE COPY
B.C. Sharma
Advocate

44/10/89

33

33

In the Central Administrative Tribunal

Circuit Bench, Lucknow

Original Application no. of 1990

K.P. Srivastava

-Applicant

versus

Union of India and others

-Respondents

Annexure no- A-2

4/4/2014

A59

U.P. PUBLIC SERVICES TRIBUNAL-I LUCKNOW.

Claim No. 451(1)/1984

Mohd. Iqbal Azmi

..... Petitioner

Versus

1. State of U.P. through Secretary,
Revenue Department.
 2. Commissioner, Consolidation,
U.P., Lucknow
- Opposite Parties.

J U D G M E N T

This claim petition arises out of the punishment order passed by O.P.No.2 dated 1.9.84 (Annex.1) under which the petitioner was reverted from the post of Asstt. Consolidation Officer to that of Consolidator. The petitioner has been challenged this order and has prayed that he be treated as Asstt. Consolidation Officer throughout with consequential benefits of salary etc.

In brief the facts are that the petitioner was appointed as ACO Bahraich in 1976 after promotion from the post of Consolidator. While he was working on the said post he was charge-sheeted on 4/12.2.1980 (Annex.1) on as many as 5 counts to which he submitted his reply (Annex.2). Thereafter enquiry was conducted and the petitioner was punished by the impugned order dated 1.9.1984 (Ann.3) reverting him from the post of ACO to that of Consolidator. The order of reversion has been challenged on various grounds. Inter-alia it has been alleged that the petitioner has been charge-sheeted on the basis of judicial decision which he made in his capacity of ACO under the U.P. Consolidation of Holdings Act, which are the judicial proceedings and to which Section 49A of the said Act provides protection. The enquiry was earlier held against the petitioner by Sri C.N. Bari, which was quashed by the Consolidation Commissioner when it was sent to him for final decision and he, while quashing the said enquiry, had issued as many as 6 directions for re-enquiry. Those directions have not been followed by the enquiry officer, therefore, the enquiry report on the basis of which the petitioner has been reverted was in contravention of the remand order of the Consolidation Commissioner. The claim petition describes the details which the Consolidation Commissioner mentioned in his

44010719

ATTESTED TRUE COPY

B.C. Sankhya

Advocate

AEO

- 2 -

order of re-enquiry.

The O.Ps filed counter affidavit in which the allegations of the petitioner have been denied and it has been contented that the second enquiry conducted by the Enquiry Officer was in accordance with the directions of the Consolidation Commissioner and also according to law. It is also contented that no protection on alleged is available to the petitioner and, therefore, the order of punishment passed against him by O.P. No.2 is legal and valid and the claim petition deserves to be dismissed.

The petitioner filed a rejoinder affidavit in which he has more or less re-iterated the assertions of the main claim petition.

Heard the learned counsel for the petitioner as well as the learned presenting officer and also the Pairokar of the Consolidation Commissioner and perused the documents on record as well as the departmental file produced before the Tribunal.

At the time of arguments only two main grounds were pressed by the learned Counsel for the petitioner. The first is that the punishment order has been passed on the basis of judicial proceedings taken by the petitioner in consolidation cases. The second ground is that the directions issued by the Consolidation Commissioner for conducting second enquiry were not followed so the enquiry is illegal which deprived the petitioner of his defence and violation the principle of natural justice.

As regards first contention, it is admitted between the parties that all the charges framed against the petitioner relate to court proceedings. The contention of the learned counsel for the petitioner is that the petitioner could not be punished in any way for having passed any order as Asstt. Consolidation Officer in judicial proceedings while the contention of the learned Presenting Officer is that the Consolidation Commissioner could take action against the petitioner when he was found guilty of lapses and omissions but this much is admitted that charges are based upon court proceedings taken by the petitioner in all cases u/s 9-A of the U.P. Consolidation Holdings Act, 1953, as is clear from the charge-sheet itself. Now the question is whether the decision taken by the petitioner

- 3 -

in these cases mentioned in the charge-sheet are judicial decisions and no action could be taken against him except by way of appeal or revision as provided under the Act and Rules framed thereunder. The petitioner seeks protection of Section 49-A of the Consolidation Holding Act, 1953 which says that no suit, prosecution or other legal proceedings shall lie against any person for anything which is done in good faith or is intended to be done under this Act, or Rules made thereunder. The contention of the learned counsel for the petitioner is that the departmental proceedings are covered under the term "Legal proceedings". In A.I.R. 1985, S.C.-1121 Anil Kumar vs. Presiding Officer case 1978 All India S.L.J 591 Nand Kishore Prasad v/s State of Bihar and others, Hon'ble Supreme Court has taken view that departmental proceedings are quasi judicial proceedings. Thus there is no doubt about it that departmental proceedings are quasi judicial proceedings. Legal proceedings would open and include the said proceedings which have the sections of law or are initiated under some law or Rules framed thereunder.

Article 311 of the Constitution provides a safeguard to all Government servants whether under the Central Govt. or under any State. This Article protects a Government servant whether permanent or temporary, whether under the employment of State or Union or Union Territory. Sub-clause (2) of Article 311 is as under

"No Govt. servant shall be dismissed, removed or reduced in rank except after an enquiry in which has been informed of the charges against him and gives a reasonable opportunity of being heard in respect of those charges.

The Central Government as well as the State Govt. have framed rules in order to ensure compliance of this Article. Rule 55 of the U.P. Classification, Control and Appeal Rules, lay down procedure of compliance of the aforesaid Article. These Rules have the force of law because they are part of the State enactment. It, therefore, follows that any departmental proceedings initiated against any State Government employee are governed, controlled and regulated under these Rules which have the sanction of law and as such are legal proceedings.

ATTESTED TRUE COPY

B.C. Saksena

Advocate

4/4/85

AC2

Section 40 of the U.P. Consolidation of Holdings Act, 1953 reads as under :-

"A proceeding before a Director of Consolidation, Deputy Director of Consolidation, Settlement Officer (Consolidation), Consolidation Officer and Asstt. Consolidation Officer shall be deemed to be judicial proceedings within the meaning of Section 193 and 228 and for the purpose of section 194 of the Indian Penal Code."

From the perusal of the above it is clear that proceedings under the aforesaid Act are judicial proceedings for purposes of section 193 and 228 and also for purposes of section 194 of the I.P.C. There is specific provision of appeal against the order of the ACO which post the petitioner was holding.

Section 49 and Section 49A of the U.P. Consolidation of Holdings Act read as under :-

"49 notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force, the declaration and adjudication of rights of tenure-holders in respect of land lying in a area for which a notification has been issued under sub-section (2) of section 4 of adjudication of any other right arising out of consolidation proceedings and in regard to which a proceeding could or ought to have been taken under this Act shall be done in accordance with the provisions of this Act and no Civil or Revenue Court shall entertain any suit or proceedings with respect to right, in such land or with respect to any other matter for such a proceeding could or ought to have been taken under this Act.

Provided that nothing in the section shall preclude the Asstt. Collector from initiating proceedings u/s 122-B of the U.P.L.A.L.R. Act, 1950 in respect of any land, possession over which has been delivered or decreed to be delivered to a Gaon Sabha under or in accordance with the provisions of this Act.

49-A Protection of Action taken under the Act or Rules made there-under: No suit prosecution or other legal proceedings shall lie against any person for anything which is in good faith done or intended to be done under this Act or Rules made thereunder.

Thus section 49 of the Act have the jurisdiction of the Civil Court and section 49 A provides protection

by 24/10/19

ATTESTED TRUE COPY
B.C. D. Kishore
Advocate

to Asstt. Consolidation Officer as well as other officers for anything in good faith under this Act or Rules made thereunder.

In this case the petitioner has been charge-sheeted on various grounds in connection with consolidation proceedings. As mentioned above, section 49A provides protection to such officers not only from Civil suit and criminal prosecution but also from departmental proceedings which, as discussed above, are covered within the meaning of the term "legal proceedings." Thus it is obvious that no departmental proceeding on the basis of judicial proceedings can be initiated in respect of matters decided by the petitioner as A.C.O. under the U.P. Consolidation/Holdings Act except by way of appeal or revision as provided under the law.

It was also contended that protection of Section 49-A of the consolidation of Holdings Act can be available to an officer only when the decisions are made in good faith. There are no allegations of malafide against the petitioner. Besides, the malafides could be best proved in appeal or revision. Appeals were filed against the decisions of the petitioner and the appellate court never held that the decisions of the petitioner were malafides. If the action of the petitioner was not in good faith in giving decisions in the cases mentioned in the charge-sheet, the appellate or revisional court only could hold malafides of other use against the petitioner while deciding cases but under no circumstances a presiding Officer can be charge-sheeted on this account. Thus the contention of the learned prosecuting Officer is not acceptable.

A similar case claim no. 500(1)/194 Satya Dev. Prasad Srivastava v/s State of U.P. and Consolidation Commissioner U.P. had come up before this Tribunal which was decided on S.2.1986. In that claim petition it was held by the Tribunal that departmental proceedings cannot be initiated against a A.C.O. for giving decisions under the U.P. Consolidation of Holdings Act and he had full protection u/s 49-A. That claim petition was allowed and the order of punishment against the A.C.O. concerned was quashed. The judgment of the Tribunal in that case has become final as it was not challenged before the Hon'ble High Court, as informed by

ATTESTED TRUE COPY

B.C. D. K. S. S.

Advocate

de 420/194

764

39

- 6 -

the patrokar of O.P.No.2. Similar is the position in the latest case and it has also to be allowed and the punishment order is to be quashed on the principle of parity as well.

Since the claim ~~petition~~ petition is being allowed on this ground only and so we do not enter into the merits of other arguments raised by the learned counsel for the petitioner. In net result the claim petition is liable to be allowed.

O R D E R

The claim petition is allowed. The order of reversion of the petitioner dated 1.9.1984 (Annex.3) passed by O.P. No.2 is hereby quashed. The petitioner will be treated to have been working on the post of A.C.O. throughout as if the reversion order had not been passed. He will get full salary and increments and other benefits of the post of A.C.O. for the entire period.

In case the O.P.s fail to comply this order within a period of 3 months from today, the petitioner will be at liberty to get it executed through process of law.

The petitioner will also get Rs.300/- as cost of this petition.

Sd/- 28/7/86
Madan Mohan Lal,
M.J.A.
Judicial Member.

Sd/-28/7/86
D.P.Varun
I.A.S.
Chairman.

TRUE COPY.

ATTESTED TRUE COPY

B.C. D. K. S. S.

Advocate

476/86

which is done in good faith or is intended to be

AGS

40

In the Central Administrative Tribunal
Circuit Bench, Lucknow

--

Original Application No. of 1990

K.P. Srivastava

---Applicant

versus

Union of India and others

---Respondents

Annexure no. A-3

अनुसूची

41

In the Hon'ble High Court of Judicature at
Allahabad Lucknow Bench Lucknow.

Writ Petition No. 801 of 1987

1. The State of U.P. through the Secretary, Revenue Department U.P. Shashan, Lucknow.
2. The Commissioner, Consolidation 32, Station Road, Lucknow.

.....Petitioner

Versus.

1. Mohd. Iqbal Azmi S/O Hamid Husain, R/O village Bandighar, P.O. Bahraich.
2. District-Azamgarh, Presently posted as Assistant Consolidation office Rudhawli.
3. U.P. Public Services Tribunal No.1 Lucknow.

.....Opp parties

Writ Petition under Article 226
Constitution of India.

Lucknow dated: 10.4.1987

Hon'ble Kamleshwar Nath.

This Petition, under Article 226 of Constitution of India, seeks a Writ Certiorari to quash the judgment dated 28.7.86. Annexure-1 to the petition, passed by U.P. Public Service Tribunal, Lucknow, opposite party No. 2 is a claim petition filed by opposite party No.1 against the order of his reversion from the post of Assistant Consolidation Officer to the post of Consolidator.

The reversion order was passed on the basis of a disciplinary enquiry on a charge of misconduct in the course of his performance of duties as Assistant Consolidation Officer in certain Consolidation proceedings. The short point raised by opposite party No. 1 was that since his functions as Assistant Consolidation Officer, under the Consolidation Act were of judicial nature, they could not form the basis of any disciplinary proceedings. Reliance has been placed on section 49A of Consolidation of Holdings Act which said that no suit or other legal proceedings shall lie against any person for any thing which is done in good faith or is intended to be

ATTESTED TRUE COPY

B.C. Dubey

Advocate

4/4/87

- 2 -

done under the Act, or Rules made there under. The services Tribunal accepted the contention of opposite party No.1 and held that since the departmental disciplinary proceeding is a legal proceeding, within the meaning of section 49A, it was not permissible to hold that proceeding. On this basis the claim petition was allowed and the order of the reversion was quashed.

In this Petition, on behalf of the State, reliance has been placed on a decision of a Division Bench of this Court in Mukhtar Singh V. State of U.P. (1986 Lucknow Civil Decisions 437)

I have heard learned Standing Counsel and Sri A.Mannan for opposite party No.1.

It is clear enough that the benefit of Section 49A of the Consolidation of Holdings Act would be available only when it is shown that the impugned act has been done in good faith. The Tribunal observed that the question of good faith could be decided only by the appellate or revisional court against the orders which might have been passed by opposite party No.1 which is the subject-matter of disciplinary proceedings. That is not the correct position. The matter regarding good faith will be decided by the Tribunal itself. In this situation, the impugned order passed by the Tribunal cannot be sustained.

The petition is allowed, the impugned order dated 28.7.86, contained in Annexure-1 to the petition, passed by opposite party No.2. is quashed. The opposite party No.2 is directed to dispose of the claim petition on merits and in doing so it will be open to the Tribunal also to examine the question whether or not the impugned action of opposite party No.1, in the Consolidation proceedings, which is the subject matter of the charge sheet had been performed in good faith.

The Tribunal may dispose of the matter as early as possible, say within three months from the date of the serving of the copy of this order upon it.

K.Nath.

10.4.87

ATTESTED TRUE COPY

B.C. Sharma

Advocate

4/2/87

43
P.D.

IN THE CENTRAL ADMINISTRATIVE TRIBUNAL

CIRCUIT BENCH LUCKNOW

Original Application no. of 1990

K.P. Srivastava

--Applicant

versus

Union of India and others

--Respondents.

Annexure no. A-4

4/8/90

Encl.

A69

In the Supreme Court of India

Civil Appeal No. 3532 of 1988

Arising out of S.P. (Civil) 5202 of 1987

MOHD.

~~Shri~~ Mohd. Azmi

Petitioner

Versus

State of U.P. and others ---

Respondents.

Order.

Special leave is granted. We have heard the Learned Counsel for the parties. In annexure is very fair statement Mr. Gopal Subramaniam appears for the State of U.P. has placed the facts before us and upon which that we are of opinion that the impugned judgment and order of High Court should be set aside and the order of Tribunal be restored. Accordingly we set aside the judgment and order dated 10 April 1987 of the High Court and restore the order dated 28 July 1986 of the Tribunal. The appeal is disposed of accordingly. There will be no order as to costs.

Time granted by the Tribunal for compliance with its order is extended by three months.

New Delhi.

Sd/- CJI

Ed. S. Narasimha I.

Appeal against

H.C. judgment order of 10-4-87 in writ Petition No. 1001 of 1987.

44810X14

ATTESTED TRUE COPY

B.C. Dikshita

Advocate

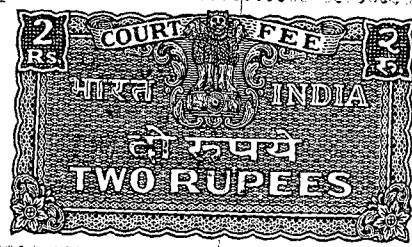
ब अदालत श्रीमान
[वादी अपीलान्त]
प्रतिवादी [रेंस्पाडेन्ट]

in the Central Administrative Tribunal at Lucknow

महोदय

170/45

वकालतनामा



K. P. Sanyal

बनाम vs

प्रतिवादी (रेंस्पाडेन्ट)

Union of India & others

OA नं० मुकद्दमा

सन् १९९०

पेशी की ता०

१६ ई०

ऊपर लिखे मुकद्दमा में अपनी ओर से श्री...

Sri B. C. Sanyal, Advocate

वकील

महोदय

Radhika Raman, Advocate

एडवोकेट

नाम अदालत
मुकद्दमा नं०
नाम फरीकन

को अपना वकील नियुक्त करके प्रतिज्ञा (इकरार) करता हूं और लिखे देता हूं इस मुकद्दमा में वकील महोदय स्वयं अथवा अन्य वकील द्वारा जो कुछ पंरबी व जवाब देही व प्रश्नोत्तर करे या कोई कागज दाखिल करे या लौटावे या हमारी ओर से डिगरी जारी करावे और रुपया वसूल करे या सुलहनामा व इकबाल दावा तथा अपील निगरानी हमारी ओर से हमारी या अपने हस्ताक्षर से दाखिल करे और तसदीक करे मुकद्दमा उठावे या कोई रुपया जमा करे या हारी विपक्षी (फरीकसानी) का दाखिल किया हुआ रुपया अपने या हमारे हस्ताक्षर युक्त (दस्तखती) रसीद से लेवे या पंच नियुक्त करें—वकील महोदय द्वारा की गई वह सब कार्यवाही हमको सर्वथा स्वीकार है और होगा मैं यह भी स्वीकार करता हूं कि मैं हर पेशी पर स्वयं या किसी अपने पंरोकार को भेजता रहूंगा अगर मुकद्दमा अदम पंरबी में एक तरफ मेरे खिलाफ फैसला हो जाता है उसकी जिम्मेदारी मेरे वकील पर नहीं होगी इसलिए यह वकालतनामा लिख दिया प्रमाण रहे और समय पर काम आवे।

Accepted
Adv.

Accepted
B. C. Sanyal

हस्ताक्षर...

साक्षी (गवाह) ... साक्षी (गवाह) ...

दिनांक ... महीना ... सन् १६ ई०

स्वीकृत

(A71)

BEFORE CENTRAL ADMINISTRATIVE TRIBUNAL, CIRCUIT BENCH,
LUCKNOW

O.A. No. 31/90(L)

K.P. Srivastava

Applicant

Versus

Union of India and others ---

Opposite Parties.



APPLICATION FOR VACATING STAY ORDER

The abovenamed opposite parties 2,3 and 4 respectfully beg to state as under :-

That for the facts and reasons stated in the accompanying Counter Affidavit the interim relief prayer is opposed and it is respectfully prayed that the same may be rejected and stay order granted by the Hon'ble Tribunal be vacated.

Lucknow,

Dated: March 15, 1990.

Anoop Kumar

(Anoop Kumar)
Advocate

Counsel for opp. parties 2,3 and 4.

FT
L
15/3

A72

BEFORE 'CENTRAL ADMINISTRATIVE TRIBUNAL, CIRCUIT BENCH,
LUCKNOW

O.A. No. 31/90(L).



K.P. Srivastava --- Applicant
Versus
Union of India and others --- Opposite Parties.

COUNTER AFFIDAVIT ON BEHALF OF OPPOSITE PARTIES
2,3 AND 4 TO THE AFFIDAVIT OF K.P.SRIVASTAVA
APPLICANT.

I, K.B. Tandon aged about 58 years son of Late
Sri M.C. Tandon, Special Secretary, Appointment Depart-
ment, U.P. Government, Lucknow, do hereby solemnly
affirm on oath and state as under :-

1. That the deponent is the Special Secretary,
Appointment Department, U.P. Government, Lucknow
and is duly authorised to file Counter Affidavit
on behalf of opposite parties 2,3 and 4 and as such
is fully conversant with the facts of the case. The
deponent has read the contents of affidavit of
Sri K.P. Srivastava applicant (hereinafter referred
as affidavit) and after fully understanding the same
is filing this Counter Affidavit to controvert
the same.
2. That the contents of paras 1 to 3 of the affidavit

K.B. Tandon

423

-2-

are of matter on record hence need no comment.

3. That the contents of para 4.1 of the affidavit need no comment.
4. That in reply to the contents of para 4.2 of the affidavit it is stated that the applicant was promoted to the senior scale of P.C.S. w.e.f. 29.10.1969 and was confirmed on the said post w.e.f. 1.1.1975.
5. That in reply to the contents of para 4.3 of the affidavit it is stated that the applicant was promoted to the Special grade w.e.f. 18.3.76 and not from 10.3.76.
6. That in reply to the contents of paras 4.4, 4.5, 4.6 and 4.7 of the affidavit it is stated that the applicant was appointed to officiate in the senior scale of I.A.S. on 3.5.82 and to the Junior Administrative Grade of I.A.S. on 1.7.1986.
7. That in reply to the contents of para 4.8 of the affidavit it is stated that the applicant was appointed as Competent Authority Urban Land Ceiling Varanasi w.e.f. 18.3.76 where he worked till 30.6.81.
8. That in reply to the contents of para 4.9 of the affidavit it is stated that the applicant has been suspended under rule 3(1)(a) of the All India Services (Discipline and Appeal) Rules 1969, vide State Government's Order No. 5737/II-5-89-832/58



K. P. S. Mandal

A74

dated 17.1.90. It is further stated that the contents of the suspension order will appear from the suspension order dated 17.1.90. Copy Annexure 1 to the original application itself.



9. That contents of para 4.10 of the petition are admitted to the extent that Government of U.P. had directed the State Vigilance Establishment to conduct the open inquiry/investigation in respect of Urban Land Ceiling Department in Agra, Varanasi, Allahabad, Kanpur, Meerut and Lucknow to find out if any irregularity had been committed in finalising the cases under Urban Land Ceiling Act 1976 and Corruption etc. also. It is further stated that the Inquiry/Investigation was ordered under the provisions of the para 2(c) of the Notification No. 1602/39(2)-217-1969 dated 29.8.1977. This para read as under :-

2. Functions
.....
.....
.....

(c) Make enquiries, secret or open and Investigations into cases of corruption, bribery, misconduct, misbehaviour or other malpractices that may be referred to it from time to time by the Government in the Vigilance Department. This condition shall not apply to trap cases against non-gazetted Government servants and public servants of similar

K. P. S. and/or

A75

rank covered by order No. UPA 7/65-Order/76 (fifth) dated Aug. 16, 1976. The photo copy of the aforesaid notification is being annexed herewith as Annexure CA-1.



10. That in reply to the contents of para 4.11 of the affidavit it is stated that the provisions of the Sub-Section (1) and (2) of Section 2 of the U.P. Vigilance Establishment Act 1965 (U.P. Act No. VII of 1965) will appear from the act itself.
11. That in reply to the contents of para 4.12 of the affidavit it is stated that the contents of notification No. 592/XXXIV-VGL-1965 dated 12.2.1965 will appear from the Notification itself. It is further stated that vide Notification No. 2614/39(2)-217/64 dated 3.10.75 offence punishable U/S 342 I.P.C. was also notified as an offence that may be investigated by the U.P. Vigilance Establishment.
12. That in reply to the contents of para 4.13 of the affidavit it is stated that contents of Notification No. 1796/XXXIV-VGL-100-65 dated 16.9.65 will appear from the said notification itself.
13. That out of the contents of para 4.14 of the affidavit the contents about notification dated 29.8.1977 need no comment. The rest of the contents of para under reply are denied and it is stated that the contents of the notification dated 29.8.77 will appear from the notification copy Annexure No. CA1 to the Counter Affidavit itself and it is further stated that the para 2 of the

K. B. Tandon

A76

-5-

notification dated 29.8.77 is quite within the scope of the provisions of U.P. Vigilance Act 1965. It is further stated that there was no illegality in ordering a Vigilance Inquiry/Investigation in the matter in view of the foregoing paragraphs of this Counter Affidavit.



14. That the contents of para 4.15 of the affidavit are denied and it is stated that it is wrong to say that the investigation conducted by the Vigilance Establishment was outside the scope of the provisions of the U.P. Vigilance Establishment Act and the same was unwarranted and without jurisdiction and could not be made a basis for passing the impugned order. It is further stated that the order of investigation of the matter as well as the suspension order was passed according to rules and regulations and there was no illegality or irregularity in passing the same.
15. That the contents of para 4.16 of the affidavit as written are denied and it is stated that the applicant was suspended not only on the ground that the applicant decided cases in violation of the guidelines issued by the Government of India under the Urban Land Ceiling Act and Rules framed therein but also for causing wrongful gain to the tenure holder. It was further alleged that the said act of the applicant was in violation of the rule 3 of the All India Services (Conduct) Rules 1969.

H. P. Tandon

A77

-6-

16. That in reply to the contents of para 4.17 of the affidavit it is stated that the contents of Section 40 of the Urban Land (Ceiling and Regulation) Act 1976 will appear from the Section itself.
17. That in reply to the contents of para 4.18 it is stated that the provision of Section 49-A of U.P. Consolidation of Holdings Act will appear from the Section itself.
18. That the contents of para 4.19, 4.20, 4.21 of the affidavit will appear from the judgments of U.P. Public Services Tribunal, Hon'ble High Court and Hon'ble Supreme Court, copies Annexures A-2, A-3 and A-4 to the affidavit respectively itself (and it is stated that the facts and circumstances of the case of Mohd. Iqbal Azmi as referred in paras under reply are not applicable to the facts and circumstances of the case).
19. That the contents of para 4.22 of the affidavit are denied and it is stated that the case of Mohd. Iqbal Azmi referred in para under reply is not applicable in the facts and circumstances of the instant case. It is further stated that the action of the applicant is not protected as contemplated under Section 40 of the Ceiling Act.
20. That in reply to the contents of para 4.23 of the affidavit it is stated that the contents of rule 3(1)(a) of All India Services (Discipline and Appeal) Rules, 1969 will appear from the rule itself.
21. That the contents of para 4.24 of the affidavit are



Dr. B. Gaudar

178

denied and it is stated that the suspension order is passed according to rules. It is further stated that the charge-sheet has been served on the applicant vide letter No. 784/11-5-832/58 dated 28.2.90 and departmental proceeding has been initiated against the applicant as provided in second proviso to Rule 3 of All India Services (Discipline and Appeal) Rules 1969. The photocopy of the chargesheet is being annexed herewith as Annexure No. CA-2.



- 22. That the contents of para 4.25 of the affidavit need no comment.
- 23. That out of the contents of para 4.26 of the affidavit only the fact that the Vigilance Establishment has taken possession of the relevant records required in connection with vigilance enquiry. The rest of the contents of para under reply are denied.
- 24. That in reply to the contents of para 4.27 of the affidavit it is stated that the suspension order was passed according to law as contemplated in Rule 3 of All India Services (Discipline and Appeal) 1969. It is stated that in view of the reply as given in foregoing paras, the applicant is not entitled to the benefit of Section 40 of the Urban Land Ceiling Act.
- 25. That the contents of para 4.28 of the affidavit are denied and it is stated that the suspension

K. B. Saurin

APP

-8-

order was passed according to law after consideration of relevant rules and regulations and also provisions of Urban Land Ceiling Act.

26. That the contents of paras 4.29 and 4.30 of the affidavit are denied and it is stated that the impugned suspension order was passed under rules as contemplated under rule 3 of All India Services (Discipline and Appeal) Rules 1969.
27. That in reply to the contents of para 4.32 of the affidavit which should have been numbered as 4.31 it is stated that the action of the applicant while he was Competent Authority Urban Land Ceiling Varanasi comes under the meaning of misconduct as contemplated in rule 3 of the All India Services (Conduct) Rules 1968 as well as U.P. Government Servants Conduct Rules 1956. It is further stated that as the applicant now is an I.A.S. Officer and therefore the provision of A.I.S. (Conduct) Rules 1968 are applicable in case of the applicant.
28. That in reply to the contents of para 4.33 of the affidavit which should have been numbered as para 4.32 it is stated that decision in each case is taken after proper and thoughtful consideration.
29. That the contents of para 5 of the affidavit are denied and it is stated that ground (a) to (i) taken therein are not tenable in the eyes of law and the applicant's application is liable to be rejected with costs.



Handwritten signature

128



30. That in reply to the contents of para 6 of the affidavit it is stated that no departmental remedy has been exhausted therefore application is liable to be rejected on this score also.
31. That the contents of para 7 of the affidavit is of matter on record hence need no comment.
32. That the contents of para 8 of the affidavit are denied and it is stated that the applicant is not entitled to get any relief as prayed.
33. That in reply to the contents of para 9 of the affidavit it is stated that in view of the foregoing paras the applicant is not entitled to get any interim relief and the prayer of interim relief is liable to be rejected.
34. That the contents of paras 10 and 11 of the affidavit are of matters on record hence need no reply.
35. That the stay order granted by Hon'ble Tribunal on 30.1.90 which was extended subsequently was exparte order and in view of the foregoing paras the same is liable to be set aside and prayer of interim relief is liable to be rejected.

Lucknow,

Dated: March, 14, 1990.

K. B. S. and/or
DEPONENT

V e r i f i c a t i o n

I, the abovenamed deponent do hereby

A81

-10-

verify that the contents of this Counter Affidavit para 1 are true to my personal knowledge and paras 4,5, 6,7,8,9,16,18 (except bracketed portion), 20, 23 are true to my knowledge from the perusal of the record and paras 2,3,11,12,13,14,15,17,18(bracketed portion), 19, 21,22,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34 and 35 are believed to be true on legal advice and that of para 10 are believed to be true by me. No part of it is false and nothing material has been concealed, so help me God.



Lucknow, Dated:

March, 14, 1990.

K. B. Tandon
DEPONENT

I C. S. Pandey do hereby declare that the person making this affidavit and alleging himself to be Sri K.B. Tandon is the person who is known to me from the perusal of record produced before me in this case.

The deponent has read the affidavit and understands the contents thereof

Dated 14.3.1990

[Signature]
Oath Commissioner
Judicial (Subordinate Courts) Section

C. S. Pandey
UDA
Appn. Sec. 5
✓

✓
Solemnly affirmed before me on 14.3.1990 i.e. 14th day of March 1990 at 4.15 a.m./p.m. who has been identified by the aforesaid.

I have satisfied myself by examining the deponent that he has understood the contents of this affidavit which has been read over and explained by me.

[Signature]
14/3/90
Oath Commissioner
Judicial (Subordinate Courts) Section



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग--4 खण्ड (ख)

उत्तर प्रदेश अधिनियम

लखनऊ, सोमवार, 16 अगस्त, 1976

श्रावण 25, 1898 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

सतर्कता अनुभाग--2

संख्या 2598/उत्तालिस (2)--33 (10-3)-76

लखनऊ, 16 अगस्त, 1976

अधिमूचना



उ० प्र० अधि० 7/65-आदेश-76 (पंचम), उत्तर प्रदेश सतर्कता अधिष्ठान अधिनियम, 1965 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 7, 1965) की धारा 2 की उपधारा (2) और (3) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके और इस विषय पर पूर्ववर्ती आदेशों का आंशिक परिष्कार करके राज्यपाल, यह आदेश देते हैं कि अब इसके बाद सतर्कता अधिष्ठान के सदस्यों से किसी ऐसे अराजपवित्त सरकारी सेवक या उसी श्रेणी के अन्य लोक सेवक को जिसके विरुद्ध अधिष्ठान को यह लिखित परिवाद किया जाय कि उसने किसी ऐसे हेतु या इनाम के रूप में जैसा कि भारतीय दण्ड संहिता की धारा 161 में उल्लिखित है, कोई परितोषण (बंध पारिश्रमिक से भिन्न) मांगा है या उसे प्रतिगृहीत करने के लिये सहमत है, फंसाने या रंगे हाथ पकड़ने के लिये सरकार के पूर्व आदेश प्राप्त करने की अपेक्षा नहीं की जायगी।

2--राज्यपाल, अप्रतिर आदेश देते हैं कि उपर्युक्त पैरा 1 के अनुसार कार्यवाही निम्नलिखित के पूर्व आदेश पर की जायगी:--

(क) सतर्कता निदेशक, और उसकी अनुपस्थिति में पुलिस अधीक्षक (मुख्यालय), सतर्कता अधिष्ठान जब कोई परिवाद अधिष्ठान के मुख्यालय से प्राप्त हो;

(ख) पुलिस अधीक्षक, प्रभारी सेक्टर कार्यालय, सतर्कता अधिष्ठान, और उसकी अनुपस्थिति में सेक्टर का प्रभार धारण करने वाला अधिकारी, जब परिवाद सेक्टर कार्यालय में प्राप्त हो।

3--राज्यपाल, यह भी आदेश देते हैं कि सतर्कता अधिष्ठान सरकार के सतर्कता विभाग को अनुसन्धान की प्रगति की रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा और अनुसन्धान पूरा हो जाने पर वह अपने निष्कर्षों और सिफारिशों समेत उसकी सविस्तार रिपोर्ट तथा प्रस्तावित आरोप-पत्र की प्रति, यदि अभियोजन की सिफारिश की जाय, प्रस्तुत करेगा।

Ms. Pundar

1483

उत्तर प्रदेश सरकार
नियुक्ति अनुभाग-5
संख्या-724/टो-5-832/1958
मखनऊ दिनांक: 28 फरवरी, 1990

=====

श्री के० पी० श्रीवास्तव
विशेष सचिव, उ०प्र० शासन
शिक्षा विभाग
=====

आपको शतद्वारा आरोपित किया जाता है:-

आरोप संख्या-1
=====

आप जब दिनांक 10-3-76 से दिनांक 30-6-81 तक नगर भूमि सीमारोप पारान्तरी में तक्षम प्राधिकारी पदपर नियुक्ति थे, तब आपने नगर भूमि सीमा एवं विनियमन अधिनियम 1976, प्रभावी दिनांक 17-2-76 के अंतर्गत निर्धारित सीमा से अधिक भूमि/भवन को जनहित के लिए रिक्त घोषित कर शासन को प्राप्त होने संबंधी कार्यवाही में पर्याप्त सतर्कता न बरतकर, उक्त अधिनियम की धारा 6, 8।3। 14।9, 10।1।, 12।, 11, 2।1।, 12। एवं 38 के प्रावधानों और शासकीय आदेशों के अनुसार अपने दायित्वों का निर्वहन न कर आपने श्री रमेश चन्द्र डे, मैनेजिंग डाइरेक्टर, इम्लाक, पारान्तरी डेवलपमेंट, प्रा० लि०, रामनगर, पारान्तरी द्वारा अपांजीकृत संस्थान स्टैंडर्ड मशीन ब्रिक्त एवं टाइल्स कम्पनी के भागीदार कुममः महाराज डा० विभूति नारायण सिंह, महाराज कुमारी विष्णु प्रिया, महाराज कु० हरि प्रिया, महाराज कु० कुष्ण प्रिया एवं इम्लाक डेवलपमेंट प्रा० लि० को दर्शाकर पारान्तरी नगर भूमि सीमा क्षेत्र । उपान्त क्षेत्र । में परगना रामनगर के ग्राम कोदोपुर में 1496 एकड़ एवं मौजा कुतलपुर में 15-15 एकड़ योग 30-11 एकड़ भूमि का औद्योगिक कार्य में प्रयोग का उल्लेख कर धारा 6।1। के अन्तर्गत दिनांक 14-9-76 को तक्षम प्राधिकारी, पारान्तरी कार्यालय के क्रमांक 52।2 पर दाखिल की गई विवरणी पर अपने उक्त पद के नियुक्ति काल में उक्त भूमि पर कोई औद्योगिक कार्य होने का तर्क करवाकर धारा 8।3। के अधीन नोटिस निर्गत करना अथवा धारा 8।4। के अधीन कार्यवाही सुनिश्चित नहीं किया, न तो उक्त 30-11 एकड़ भूमि को गहरी क्षेत्र में ईंट मट्टों के व्यवसाय । औद्योगिक कार्य । के लिये धारा 20 के अंतर्गत किये जाने के विषय में शासन को संतुष्टि या प्रतिकूल आख्या भेजे जाने का कोई अभिलेखीय प्रमाण ही संबंधित पत्रावली पर रखना सुनिश्चित किया।



1436/under

(184)

श्री के० पी० श्रीवास्तव, तत्कालीन तत्त्वम प्राधिकारी नगर भूमि सीमारोपण
वाराणसी के विरुद्ध आरोप संख्या-1 से संबंधित साक्ष्य सीमों

अभिलेखीय साक्ष्य भेजें:-

क्रमांक	अभिलेखीय साक्ष्य	साक्षी का नाम	स्था प्रमाणित होगी
1-	अर्थ डाटापत्र सं०-2158/39-3-3स्त 1171/1984 दि० 24-0-84	श्री के० पी० मथि	ज्ञातनादेश जिले के द्वारा त्रिपाठी तत्कालीन जांच/अन्वेषण सतर्कता अधिष्ठा पुनित उपाधीक्षक न को सुपुर्द हुई। सतर्कता अधिष्ठान वाराणसी
2-	आसापत्र सं०-स०आ०/अनु-2- 171/84 दि० 31 अगस्त, 1984	तदैव	वरिष्ठ पुलिस उपाधीक्षक "जांच" उपाधीक्षक सतर्कता अधिष्ठा जांच वाराणसी परिक्षेत्र को आवृत्ति की गयी
3-	पुनित अधीक्षक, उपाधीक्षक सतर्कता अधिष्ठान का आदेश सं० स०आ०/अनु-2-171/84 दिनांक 28-9-84	तदैव	आदेश जिले के द्वारा जांच/ अन्वेषण पुलिस उपाधीक्षक श्री के० पी० मथि त्रिपाठी उपाधीक्षक सतर्कता अधिष्ठान वाराणसी को सुपुर्द की गयी
4-	महाराज बनारस से संबंधित समस्त पत्रावलिओं की सूची अंतर्गत धारा 611 118 141, धारा-19, 20, 21, नं० 80 सी० कार्यालय वाराणसी से प्राप्त	1- श्री अश्वकुमार जैन तत्कालीन निविड न० 80 सी० वाराणसी	मुकदमा सं० 5212 क्रमां पर दाखिल धारा 611 की विवरणी पर कार्य-
		2- श्री के० पी० मथि	बाहरी संबंधित होनी त्रिपाठी तत्कालीन प्रमाणित होगी पुनित उपाधीक्षक उपाधीक्षक सतर्कता अधिष्ठान वाराणसी



Subscribed

भारोप संख्या-2

आप, जबकि दिनांक 10-3-76 से दिनांक 30-6-81 तक समय भूमि सीमारोपण, वाराणसी में सहाय प्रशासिकारी पद पर नियुक्त है, तब आपके 5 वर्ष 3 1/2 मास के कार्यकाल में समय भूमि सीमा एवं विधियम। अधिवियम 1976, प्रस्तावी दिनांक 17-2-76 के अधीन विचारित सीमा से अधिक भूमि/भावा को कब्जा के तहत रिक्त घोषित कर शासक को प्राप्त होने संबंधी कार्यवाही में पर्याप्त सतर्कता व बरत कर उक्त अधिवियम की धारा 6, 8, 9, 10, 11, 21 एवं 38 के प्राविधानों और शासकीय आदेशों के अनुसार अपने बाधितों का निर्वाह व कर, मेसर्स इमलाक डेवलपमेंट प्रा. लि. कोट, राम नगर, वाराणसी से संबंधित वाद सं. 484/5196/79-80, 50/80-81 एवं 5212 के संबंध में पंजीकृत कम्पली के इन्फरमेटरी सेयरसी वी विभूति शरायक सिंह, भूतपूर्व बागीबरेवा की नाम टोला रिहात 2-60 एकड़ भूमि सहित भावा सं. 18/2 एवं नाम बदेवर की 4-02 एकड़ भूमि के विषय में वी रमेशा वरुण के निवेदन डाइरेक्टर द्वारा दिनांक 14-9-76 को धारा 61.11 के अधीन प्रस्तुत विवरणी पर सर्वेक्षण के पश्चात कार्य 3 में धारा 20, 21 के अंतर्गत सूट के दायरे को विचारित प्रस्तारों में उल्लिखित व कर, सुप्रीम कोर्ट में उक्त भूमि में निर्मित आवासीय अडवायर आवासीय भावों के अस्तित्व व कर नाम टोला की सम्पूर्ण भूमि दायरे 2-60 एकड़ मामा 10528-20 वी-सी-20 नये माल मन्तरा मा 4.02 2005 अधीन 16268-94 वमी० वीन 26791-14 वमी० के अडवायर पर कम्पली 10404-14 एवं 16001-88 वीन 26403-02 वमी० की बर्ताकर भू-धारक के तहत प्रयोग 1500 वमी० भूमि छोड़कर वीन 24903-02 वमी० को अन्वर्तित करने हेतु धारा 81.31 के अंतर्गत आपने मुटिपूर्ण नोटिस निर्मित किया। नाम बदेवर में 2-56 एकड़ भूमि में सहाय के अन्तर्गत वी के आवासीय भावों के निर्माण हेतु धारा 21.11 के अंतर्गत वी डे द्वारा दिये गये घोषणा पत्र के आधार पर आपने दिनांक 29-11-77 को 10459-33 वमी० भावों का मातृविष स्वीकृत कराते के तहत वी आदेशनाम प्रमाण पत्र दिया एवं पुनः वि० 31-3-79 को मातृविष पर वी प्रमाणपत्र प्रदान किया। वी डे द्वारा नाम टोला



1006

की झूमि में सिबेसा फायर निर्माण एवं ग्राम बसेसर में 1-46 एकड़ झूमि को वि बहारस स्टेट बैंक को बिक्री करके के लिए राज्य सरकार से दारा 20111 के अन्तर्गत हट प्राप्त करके के लिये दिये गये आवेदन पत्र पर आपने पत्रांक 244 दिनांक 31-1-78 द्वारा संस्तुति करके, राज्य सरकार द्वारा हट न देवे पर झू-दाराक द्वारा ग्राम बसेसर की 1-46 एकड़ झूमि बहारस स्टेट बैंक लिमिटेड को बिक्री करके हेतु मुक्त किये जाने के विपरीत समाज के कमजोर वर्गों के लिये 5910-60 वर्गमी० क्षेत्रफल पर आवासीय फायरों के निर्माण हेतु दारा 21111 के अन्तर्गत प्रस्तावित मासवित्र पर दिनांक 4-8-80 को आपने "नो आम्बेक्का प्रमाण पत्र" दिया, फलस्वरूप विकास प्राधिकरण, वाराणसी ने 17-4-81 को मासवित्र स्वीकृत कर दिया ।

आपने 24903-02 वर्गमी० झूमि को अतिरिक्त रिक्त झूमि घोषित कर की नई लोटिस के तबस्वी में झूदाराक द्वारा दि० 9-7-79 18-7-79 को ग्राम दब्बाव की 2-60 एकड़ झूमि में सिबेसा फायर निर्माण होवे एवं उसका मासवित्र अतिरिक्त तामु होवे के पूर्व ही सनर महापातिका वाराणसी में वितापिकारीक वाराणसी द्वारा स्वीकृत होवे के अल्लेका कर उक्त झूमि को दारा 20 में छोड़ने के अुरोटा का उल्लेका कलें हुए दिये गये प्रति उत्तर, किन्तु अतिरिक्त तामु होवे के पूर्व में विगत प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत मासवित्र प्रस्तुत न करके तदता वाराणसी विकास क्षेत्र के उपाध्यक्ष/प्रशासक नमोपाठ वाराणसी द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार योजना एवं विकास अतिरिक्त 1973 के अन्तर्गत उक्त झूमि में सिबेसा फायर के मासवित्र मत्ताराय कुमार अल्लत मरायन सिंह के नाम से स्वीकृत कर निर्मित पत्रांक 207/नो०३० दि० पताक दिनांक 9-1-79 पर झी छोड़ दिया न देकर एवं उक्त पत्र दारा 8141 की पत्रायती में रकावे का आवेदन बालित न कर दारा 20 से संबंधित पत्रायती में रकावा दिया । अतिरिक्त की दारा 21 वृत्त एवं झाला सरकार के निर्माण एवं आवास मंत्रालय द्वारा निर्मित निर्देश पत्रांक 1/73/76 दू० सी०३० दिनांक 21-5-86 में स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि विगत प्राधिकारी द्वारा अतिरिक्त के तामु होवे के पूर्व में फायरों के मासवित्र स्वीकृत न होवे की वशा में निर्मित/निर्माणाधीन फायर के क्षेत्रफल को रिक्त झूमि माना जाएगा । झू-दाराक द्वारा 4-02 एकड़ झूमि



h. B. S. S. S.

187

कायर रडेप आदि के काम पर 4624-20 वर्गमी० और अतिरिक्त मात्र होते के पूर्व तट्टाकृति मिश्रित 215 वर्गमी० की बाहर दिवारी, 596-96 वर्गमी० में दो मोड़ानों एवं देय बहुलक दो प्रकृत 1000 वर्गमी० सहित कुल 9389-51 वर्गमी० में सुवे सुविधायकों एवं केय तट्टा इमि को विस्तार इमि की परिभाषा में व आये का उत्तर कर दिवांक 17-4-81 को मुक्त करने का आदेश देकर केवल 565-43 वर्गमी० को ही अतिरिक्त इमि घोषित किया किन्तु उपरोक्त विद्युत् काल तक उक्त अतिरिक्त घोषित इमि 565-43 वर्गमी० के अतिरिक्त संबंधी कोई कार्यवाही सुविधायक नहीं किया। ग्राम तदेवर में इ-टारकों द्वारा घोषित 4-02 एकड़ इमि अर्थात् 16268-94 वर्गमी० के रद्यात पर 16188 वर्गमी० इमि मात्र कर इसमें पक्का कुआ/पक्का स्तम्भ के काम पर 129-21 वर्गमी० को विकासकर रोजा 16058-78 वर्गमी० इमि का आपसे दिवांक 30-7-79 को रिक्त घोषित करके द्वारा 21111 के अंतर्गत कार्यवाही सुविधायक के आदर पर उपरोक्त अग्रिम कार्यवाही रोजा का आदेश पारित किया एवं आदेश पारित करने के पूर्व दि० 31-3-79 को 10459-33 वर्गमी० इमि में इतल पर 28 व्यापारिक दुकानों के अतिरिक्त अन्य 3 भाण्डों पर आवासीय स्तम्भों के लिए "नो आउटलेट प्रमाण पत्र" देकर तट्टा उक्त आदेश दिवांक 30-7-79 पारित करने के पश्चात् दि० 4-8-80 को 5910-60 वर्गमी० इमि में इतल पर 4 दुकानों एवं अन्य 3 भाण्डों पर आवासीय स्तम्भों के लिए "नो आउटलेट प्रमाण पत्र" देकर कुल 16369-93 वर्गमी० इमि को समाप्त के अन्तर्गत वर्ग के आवासीय स्तम्भों के विमर्श हेतु द्वारा 27111 के अंतर्गत इ-टारकों द्वारा प्रस्तुत किये गये मातृचित्रों पर "नो आउटलेट प्रमाण पत्र" देकर 4 मुंजिहा स्तम्भों के विमर्श का मातृचित्र विकास प्राप्तिकरण से दिवांक 21-5-79 एवं 17-4-81 को स्वीकृत किया। द्वारा 21111 के अंतर्गत दुकानों के विमर्श का प्राप्तिगत नहीं है। दिवांक 30-7-79 को आपसे पहले सामुहिक रूप से ग्राम टकाल एवं तदेवर की अतिरिक्त रिक्त घोषित की गई इमि 22220-93 वर्गमी० में से ग्राम तदेवर की 16369-93 वर्गमी० प्रकृत में रोजा मातृचित्रों का विकास प्राप्तिकरण धारणाही से स्वीकृत किया और बाद में द्वारा 45 के अंतर्गत ग्राम टक की समस्त सम्पूर्ण इमि 565-43 वर्गमी० छोड़कर दिवांक 17-4-81 को मुक्त कर दिया। इससे अब अतिरिक्त रूप से विनिर्गत विवेका स्तम्भ के काम विवेका सुवी प्रकृत अनु तट्टा सहित 6838-35 वर्गमी० इमि एवं द्वारा



Handwritten signature

दिये गये कानूनी बटवारा दिनांकित 16-9-70 को इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 की धारा 17 के अधीन रजिस्ट्रेशन बंदी का, के अनुसार ग्राम विषयका रिहात मूलांक संख्या 105 का उक्त ग्राम एवं वाम मुहल्लेका मिहल हाउस उक्त तीनों महाराज कुमारियों के नाम एवं विषयका रिहात रीश मकत का रीश ग्राम तथा ग्राम टकसात रिहात मिहल हाउस 13/2ए-1 का 1/2 ग्राम महाराज कुमार अबनत बरायब सिंह के होने के विपरीत उक्त मूलांक के बाध धारा 61.11 के अधीन प्रस्तुत की गई पुष्टिपूर्ण विवरणी पर विषयानुसार कार्यवाही व हर आवेदक क्रमांक: वाद संख्या 487/5203/79-80, 481/5201/79-80, 482/5204/79-80 एवं 483/5200/79-80 के अधीन धारा 81.41 के अंतर्गत दोषपूर्ण आवेदन पारित कर :-

1. उक्त तीनों महाराज कुमारियों द्वारा उक्त अर्पणीत कानूनी बटवारे के आधार पर ग्राम विषयका के मूलांक सं० 105 रीश मकत के 4-51 एकड़ अर्थात् 19251-97 वर्गमी० भूमि में अपने-अपने अंश प्रत्येक के लक्ष्मि 113 डिग्री अर्थात् 4563 वर्गमी० के रस्ता पर 90 डिग्री अर्थात् 3642-30 वर्गमी० होने के अलावा एवं वाम मुहल्लेके मिहल हाउस में कोई अंश स्वीकार न करके धारा 61.11 के अधीन प्रस्तुत विवरणियों तथा महाराज कुमार अबनत बरायब सिंह द्वारा ग्राम विषयका में 1-13 एकड़ के रस्ता पर 1-31 एकड़ अर्थात् 7325-07 वर्गमी०, ग्राम टकसात रिहात मिहल हाउस में 1/2 ग्राम के रस्ता पर वाद संख्या 13/2 ए-1 में रोजक 3-46 1/2 एकड़ और की विस्तार बरायब सिंह का अंश .86 1/2 एकड़ वाम 4-33 एकड़ अर्थात् 17523-51 वर्गमी० इन्जि० कर धारा 61.11 के अंतर्गत प्रस्तुत विवरणियों पर कोई प्रतिभूत महल्ल व देकर तीनों महाराज कुमारियों के अंश में विषयका रिहात मूलांक संख्या 105 में प्रयोज्य होम के नाम पर प्रत्येक को 1500 वर्गमी० से 4500 वर्गमी० भूमि मुक्त कर देने का दिनांक 30-7-79 को दोषपूर्ण आवेदन पारित कर भूतपूर्व कानूनी बरेका की विस्तार बरायब सिंह की सीमापट्टी 4500 वर्गमी० भूमि रिहात घोषित करने और राज्य सरकार को अर्पणित होने से रोकित रखा । इसके प्रतिरिक्त उक्त तीनों महाराज कुमारियों से संबंधित वाद धारा 81.41 के अंतर्गत पारित आवेदन दिनांक 30-7-79 द्वारा उनके अंश में निर्मित आवासीय / नैर आवासीय भवनों के कुल रोजक, देव अर्पणित तथा प्रयोज्य रोजक देकर महाराज कुमारियों हरि प्रिया, विष्णु प्रिया एवं कृष्णा प्रिया के अंश क्रमांक: 1337-78, 2142-30, 1289-89 वर्गमी०



Handwritten signature/initials

189

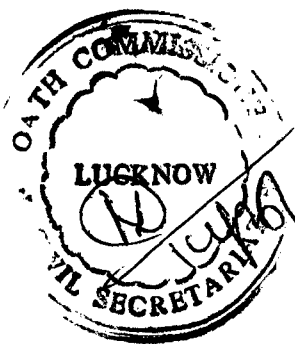
होत्रफल मावकर उसके लिए प्रथम अनुसूचक के रूप में 2605-68 वमी० द्वितीय अनुसूचक के रूप में 4000 वमी० एवं उक्त 2 मीर आवासीय फायदों के लिए 1000 वमी० अनुसूचक सहित 7605-68 वमी० कुल योग 10225-53 वमी० झूमि को रिक्त झूमि की परिभाषा में न स्वीकार कर झू-द्वारक द्वारा दारित 17505-51 से विकसितकर 7279-98 के रकाम पर 7279-99 वमी० अतिरिक्त रिक्त झूमि होने संबंधी दारता 8141 के अंतर्गत दिनांक 23-6-81 को बोगापूर्णा आदेश पारित कर झू-द्वारक द्वारा दारित 17523-51 वमी० में से अटिक्तम 5506-18 वमी० झूमि की रिक्त झूमि की परिभाषा में न आने के आधार पर 117523-51-15506-18-449 12017-33 वमी० अतिरिक्त रिक्त झूमि घोषित न कर 112017-33-1 7279-99-4737-34 वमी० झूमि झू-द्वारक के ^{पत्र} रूप में मुक्त कर उसे सामाजिक कृषि तहसील द्वारा अतिरिक्त रिक्त घोषित झूमि 7279-99 वमी० को फी दारता 21111 के अंतर्गत हट संबंधी आदेश पत्र के आधार पर अग्रिम कार्यवाही से रोकने का आदेश दिया ।

आपने मिस्ट हाउस परिसर में बहाराम कुमार अग्रज बरायत सिंह के द्वारा को स्वीकार कर 12017-33 वमी० के रकाम पर 7279-99 वमी० की दारता 8141 के अंतर्गत दिनांक 23-6-81 को अतिरिक्त रिक्त झूमि घोषित करने के पूर्व दिनांक 29-11-77 को 4657-75 वमी० झूमि में दारता 21111 के अंतर्गत आवासीय फायदों के निर्माण हेतु प्रस्तावित मानचित्र स्वीकृत करावे हेतु 'नो आब्जेक्शन प्रमाण पत्र' दिनांक 26-12-77 को प्रस्तावित मानचित्र में डी०ई,एफ,जी से प्रवर्तित 2759-19 वमी० झूमि को फी अस्मिन्न कर 7416-94 वमी० होत्रफल के लिये 'नो आब्जेक्शन प्रमाणपत्र' देकर अपने आदेश द्वारा रिक्त घोषित झूमि 7279-99 वमी० झूमि के विकरीत 7416-94 वमी० अर्थात् 79806 व कीट झूमि में वाराणसी विकास प्राधिकरण से साक्षिचित्र स्वीकृत कराकर 40 वमी० कुर्ची होत्रफल के 80 आवासीय एकक तहसील 80 वमी० कुर्ची होत्रफल के 32 आवासीय एकक के अतिरिक्त 39 दुकानों एवं दुकानों के ऊपर 4 कमरों के 36 एकक के निर्माण की अनुमति देकर यह जाहते हुए कि झूद्वारकों ने विवभावती के कोडबुक 1ए का उल्लंघन कर फायदों का निर्माण करावे का अनुबंध भी तरीक से किया दार एवं झू-मूल्य के रूप में भी तरीक से 6/- प्रति



Handwritten signature/initials

प्रमाणपत्र देकर, किन्तु झुट्टा-टारकों द्वारा उक्त प्रमाणपत्र के विपरीत एक ही सामूहिक मासपत्र पर 10389। वर्मकोट अर्थात् 9655-30 वर्मी० झुमि पर दो आन्वेषणात्मक प्रमाण पत्र दिये जाते हैं अनुसूची पर कोई प्रतिफल मीटव्य व देकर उसी तारतम्य में विभांक 18-4-79 को दो आन्वेषणात्मक प्रमाण पत्र अंशित किया। विभांक 30-7-79 को द्वारा 31.4 के अंतर्गत पारित आन्वेषण महाराज कुमार को अंश के संबंध में निर्णय व देकर बालिक विभांक 23-6-81 को निर्णय देकर तीनों महाराज कुमारियों एवं महाराज कुमार का अंश स्पष्ट व करके वारों झुट्टा-टारकों की सामूहिक झुमि के अतिरिक्त रिक्त घोषित की गई झुमि से अतिरिक्त क्षेत्र के मासपत्र पर "दो आन्वेषणात्मक प्रमाण पत्र" देकर आपने वाराणासी विकास प्राधिकरण से उक्त क्षेत्र में उक्त मासपत्र स्वीकृत कराया। उक्त झुट्टा-टारकों का अंश अलग-अलग अंशित व कर प्रत्येक के अंश से किसी अतिरिक्त रिक्त झुमि घोषित हुई एवं उसके अनुपात/आकार पर इसके अंश में किसी झुमि को दारित करने के लिये अतिरिक्त किया जा रहा था, विराकरण व कर आपने समाज के कमबोर वर्म के लिये 40 वर्मी० कुर्ची क्षेत्र के 120 आवासीय एकक एवं 80 वर्मी० कुर्ची क्षेत्र के 68 एकक आवासीय भावनों के निर्माण हेतु झुट्टा-टारकों को नियमावली के नियम 1.1ए, जोड़कर 1.2 प्रतिबंधों को अंशित करके यह जाते हुए कि झुट्टा-टारकों से नियमावली के जोड़कर का उल्लंघन करके ही भावनों को निर्माण करने का अनुबंध भी सही से किया था, जिसके अंतर्गत झुट्टा-टारकों को झुमि के रूप में 6/- प्रति वर्ग फुट कारपेट दरिया की दर से भी तरीक से 80 685856/- प्राप्त होता था एवं इसमें से रकमा 404339-23 विभांक 30-5-86 तक झुट्टा-टारक प्राप्त की कर चुके हैं, भावनों के निर्माण के तत्पश्चात् वसूली भावनों के निर्माण कार्य के पहले भी प्रस्तावित भावनों का आवंटन समाज के कमबोर वर्म को व करके अतिरिक्त वर्म को आवंटित करके 40/80 वर्मी० कुर्ची क्षेत्र के लिये अंश: 400/800 प्रति माह की दर से अंशित करके 2000/- रंजीयन शुल्क प्रति आवास प्रति आवंटनी से वसूली की जरूरत है, नियम 1.1ए के 1.2 के अंतर्गत विचारित प्रक्रिया से 3/- प्रति वर्ग मी० की दर से 9140-90 वर्मी० झुट्टा-टारक को दारित करने के लिये घोषित की जाते वाली झुमि का कुल 80 45704-50 ही मुआवजे के रूप में एवं उतके 5 अंश/15 प्रतिशत अतिरिक्त



Handwritten signature/initials.

के निर्माण की अनुमति देकर झुट्टारक को उक्त झूमि दारित करने का, यह जाते हुए कि झुट्टारक से नियमावली के जोखन 1ए का संबंध बन जावनों के निर्माण करावे का अनुबंध श्री सरीस से किया गया एवं झुट्टारक के रूप में रु 62- प्रति वर्ग मीटर की दर से श्री सरीस से रु 729042/- प्राप्त होता था व था दिनांक 30-5-86 तक झुट्टारक उक्त दारित में से रु 713436-83 प्राप्त कर हुके दो और भाग निर्माण के लिये दान की वसुली निर्माण कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व ही प्रस्तापित भागों का आवंटन समाप्त के कमजोर वर्ग को न करके अतिवात वर्ग के लोगों 1प्रधान/ द्वितीय श्रेणी के राज्य कर्मचारियों/आवकर वाता व्यवसायियों/बमरी होम में झूमि भाग दारकों को आवंटित करके 40/80 बमी० कुर्ची होमप्लस के लिये कम्पट: रु 400/800 प्रति बाक की दर से अग्रिम किरत लिये रु 2000/- प्रति आवंटियों से पंजीयन शुल्क के रूप में वसुली की जा रही है, नियम 1।ए के जोखन 1ए में निर्धारित प्रश्रिया से 5/- प्रति वर्गमीटर की दर से 7779-95 बमी० झुट्टारकों को दारित करने के लिये दारित की जावे वाली झूमि का मुख्य बजट रु 38900/- मुवावजा के रूप में एवं 25 प्रतिशत व अतिरिक्त 15 प्रतिशत से योग रु 2,23,672-70 की प्राप्त होने के विपरीत प्रस्तापित भागों के लिये झुट्टारक को लगभग 7 लाख रुपये की कुल दारित से लाभाहित होने का अंतर देकर अपने दस्तावेजगत आदेश से सूचित होकर कार्यभार से अग्रस्त होने के एक दिन पूर्व दि० 29-6-81 को दारा 21111 के अंतर्गत आदेश पारित कर झुट्टारक को उक्त झूमि दारित करने का अवसर प्रदान किया। यही वही दारा 8141 के अंतर्गत दिनांक 30-7-89 को उक्त झुट्टारक को अतिरिक्त रिक्त दारित की गई 11143-19 बमी० झूमि में से दारा 21111 के अंतर्गत समाप्त के कमजोर वर्ग के लिये आवासीय भागों के निर्माण के नाम दिनांक 29-6-81 को 7779-95 बमी० झूमि झुट्टारक को दारित करने का आदेश पारित कर 11143-19-17779-95=3363-24 बमी० झूमि के संबंध में कोई आदेश पारित न कर उक्त झूमि को राज्य सरकार को अग्रस्त होने वाली कार्यवाही से बचा दिया।



Handwritten signature

4- आपने, श्री रमेश चंद्र डे, डाइरेक्टर पंजीयन कम्पनी आदि के वरीय प्रा० लि० कुर्ची, रामचन्द्र द्वारा श्री विष्णुति बरायल सिंह की झूमि भाग संख्या 189/1 होमप्लस 16-25 एड्ड 165764 बमी० स्थितिपत भाग रु एव 18/240-31 बरेबर कोठी। दिनांक 16-8-71 को बंधने से

142

यमेर जबकि क्वास द्वारा श्री सुरेन्द्र मोहन सरीख, उनकी पत्नी एवं 2
 पुत्रों के नाम पित्र्य हेतु हुए इकरार धार्मिक अनुष्ठान के अन्तर्गत क्वास के
 कार्यकाल में ही दिनांक 10-11-80, 13-12-80, 7-1-81 एवं 1-2-81
 को क्रमशः 1500/-, 10000/- 15000/- एवं एक लाख रुपये के नाम
 पर बैंकों के माध्यम से उक्त क्वास को प्रेषित किया जा चुका था तथा
 बाद में दिनांक 29-11-82 को 961-80 वमी० निर्मित रोज एवं 1476-62
 वमी० मुन्नी प्रमि रोज 2439-42 वमी० की 1476-62 वमी० की 1476-62 वमी० की
 नाम पित्र्य कर दी गई, जिसमें यह प्रमि भी सम्मिलित है, आये
 रकमों का नाम था। क्वास की प्रमि/प्रमि की पिछी भी उक्त की
 करने के लिए ही क्वास के नाम पर उक्त प्रमि पर क्रमशः वर्ष हेतु
 मासिक रकमों के अन्तर्गत में आये द्वारा वार्षिक व हरे पर भी
 "को आठवें वर्ष प्रमाणपत्र" दिया गया।

इस प्रकार आप उक्त भारतीय देवार्थों [आवरण] नियमावली
 1968 के नियम-3 के अन्तर्गत प्रवृत्त व्यक्तियों का विवेक व कर क्वासायतापूर्ण
 व्यवहार करने एवं दुराचरण के योग्य है।

आशा है,

दीर्घायु
सधिव।



Signature

6- बजरंगपुरी ग्रामस्थान,
उपग्राम गाँव का
गाँववाले सं० 875/
उपग्राम-11। पृ० 10/
76 वि० 11 मार्च,
1980

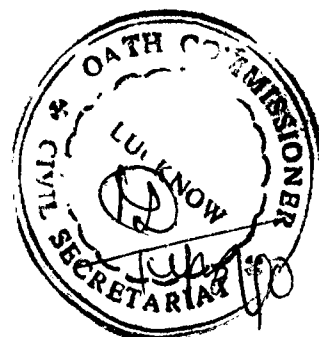
7- पञ्चावली गाँव सं०-
484/5196/79-80,
50/80-81, 481/
5201/79-80, 482/
5204/79-80, 483/
5200/79-80, 485/
5202/79-80, 486/
2951/79-80, 487/
5203/79-80, 488/
5207/79-80, 6/76-
77, 1052 एवं 1059/
76-77

श्री के०पी० मणि
प्रियाठी उक्त

पुर्वत वर्ग आवास व्यवस्था के संबंध में
द्वारा 21 की छूट के संबंध में विवेक
प्रमाणित होना ।

- 1- डा० विष्णु
बरायत सिंह मृत-
पुर्व काशी बरेला
राम बजर वाराणसी
- 2- श्री महाराज
कुमार उक्त बरायत
सिंह
- 3- महाराज कुमारी
हरि प्रिया
- 4- महाराज कुमारी
विष्णु प्रिया
- 5- महाराज कुमारी
कुश प्रिया
- 6- श्री वी०पी०
रज्जु, तटकासी
समाप्त प्राधिकारी
सं० 100वी० वाराणसी
- 7- श्री उक्त कुमारी
के, तटकासी
सं० 100वी० वाराणसी
- 8- श्री वी०के० राण्डे
तटकासी पर्यवेक्षक
काबुलियों, सं० 100वी०
वाराणसी
- 9- श्री के०पी० मणि
प्रियाठी, उक्त

मेसर्स इमहाल डेवलपमेंट प्रा० लि० कोर्ट-
रामबजर वाराणसी से संबंधित मृति
विवरणी ग्राम विषयका। श्री रामबजर
विहटकाउत, ग्रामबरेला में मृतपुर्व
काशी बरेला/उक्त पुत्र/पुत्रियों के नाम
तथा मेसर्स उक्त एलेक्ट्रिकल सैम्प वरुण
प्रा० लि० से संबंधित मृति के संबंध में
वाकिल विवरणी, मेसर्स आदित्य डेवरी
प्रा० लि० बरेला महाराजकाशी राज्य
कार्यविधि से संबंधित ग्राम टकसात
मोहलता राजबाजार की मृति से
संबंधित वाकिल विवरणी पर श्री
के०पी० श्रीवास्तव द्वारा कृतकार्यवाही
एवं की गई प्रविधिमित्तमार्ग, प्रमाणित
होनी ।



K. S. Andm

12- मुस्ताखाम/डाइरेक्टर
इतपूर्व काशी बरेल
राम बनर, वाराणसी
द्वारा दि० 22-1-85
को काम प्राप्तिकारी
ब०फ०सी० वाराणसी
के पत्रांक: 843, 844,
845, 846, 847, 848
ब०फ०सी० वाराणसी
दिवांक 31-12-84 के
पत्रों के संबंध में इत-
पूर्व काशी बरेल की
विभिन्न शक्तियों की
इति के संबंध में मोंदी
नयी सुझाव का उत्तर
वर्षित काम प्राप्तिकारी
ब०फ०सी० वाराणसी
का पत्रांक: 21/ब०फ०सी०
वाराणसी का सचिव
का स०वांक दि० 12 अप्रैल
1985

1- श्री मंमता प्रसाद काम प्राप्तिकारी, ब०फ०सी०,
मुस्ताखाम इतपूर्व वाराणसी के पत्रांक 843 से 848 तक
काशी बरेल रामबनर ब०फ०सी० 31-12-84 के प्राप्ति
वाराणसी 22-1-85 उत्तर में प्राप्त वाराणसी
2- श्री के०सी० डे, प्रमाणित होना ।
डाइरेक्टर, मेसर्स
इतताक डेवसप्रेमेट
प्रा० ति० रामबनर,
वाराणसी ।
3- श्री एम०एस० द्विवेदी
वाराणसी वाराणसी
प्राप्तिकारी, ब०फ०सी०
सी० वाराणसी



13- श्री सुरेश मोहन, सचिव,
बनर इति अनुमान,
ब०फ०सी० वाराणसी
21.11 के संबंधित विवरित
विषय विचार्य पत्र।

श्री के०सी० त्रिपाठी, वाराणसी-21.11 के अंतर्गत कार्यवाही
उक्त विचार्य विवेक प्रमाणित होना ।

14- बनर इति अनुमान,
ब०फ०सी० वाराणसी का बरेल
ब०-875/उत्तर-1.1.80/76
76 दि० 11 मार्च, 1980

श्री -सचिव- वाराणसी सीमा एवं विविध
वाराणसी-1976 के अंतर्गत वाराणसी
वाराणसी वाराणसी विचार्य
विचार्य प्रमाणित होना ।

Handwritten signature/initials

1975

बिभाटा प्रसाद, मुक्तारे
आम महाराजा बहारस
के लो में बामांतरण
विभायक आदेवबपन की
कोटी प्रति ।

20- बहारस साउथिंग डेवकमेंट
से संबंधित श्री एसएम
सरीस का पत्र दि०
30-5-86 एवं उसके
साथ संलग्न सूची बाबत
मृतपुर्व काशी बरेरा
एवं उनके परिवार के
सदस्यों के नाम की
मृमि के संबंध में मृ-
दारकों को दि० 30-5-86
तक मृमताव की नयी दाव
राशि बाबि विवरण
संबंधी पत्र ।

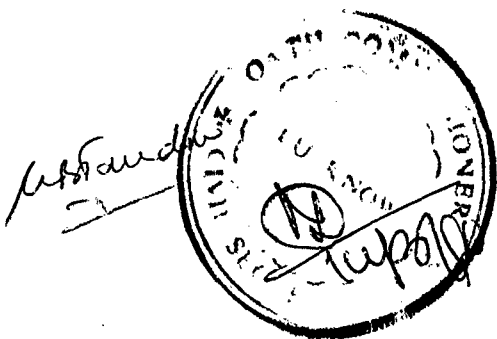
21- श्री एसएम सरीस का
पत्र दि० 17-12-85 नव
संलग्नकों सहित ।

श्री सुरेश मोहन
सरीस पुत्र मृमता
कुमार बियास-एच-18/
38 टकसाऊ, लखित
बिहारी सेव मार्ग,
बामा कैंट,
बाराणसी

-तवेव-

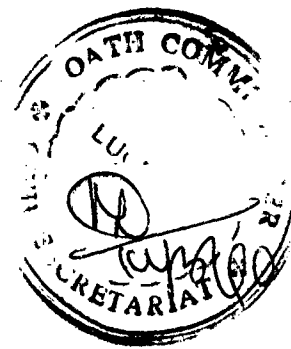
मेसर्स अवस्त क्लेगिटक लेम्प वर्ल्स प्रा०
लि०, काशीराज दार्म कार्य बिभा
शीरामसुत मिन्टवाठस एवं मेसर्स इम-
लाक डेवकमेंट प्रा० लि० के बाम से
मृ-दाराक मृतपुर्व काशी बरेरा एवं
उनके परिवार के सदस्यों को मृमि
मृम के मर में येव दावराशि
बिभांक 30-5-86 तक मृमताव एवं
अवरो-ग दाव तगा बिभिल लम,
अमल लम, एवं तील लम के दावासीव
माथल संबंधी सुवता प्रमाणित होनी

दारा-91 को प्रोचों के अलीब
विदेवक दारा की नयी बोटिस के
प्रति अंतर में मृतपुर्व काशी बरेरा
एवं उनके परिवार के सदस्यों
। मृ-दाराकों को मृमताव की नयी
दावराशि, अवसर में दिवत वर्ष
दावा के बाम से बिभांक की हट
के परिदेव में बड़े दावा का
जावंत एवं जावंतियों से प्राप्त दाव
तगा मृमताव को सेउ के मादयम
से मृमताव की दावराशि प्रमाणित
होनी ।



1996

- 28- 30प्र0 शासन के बर इमि श्री के०पी० मणि श्री के०पी० श्रीवास्तव तत्कालीन, तब प्रान्तिकारी बर इमि सीमारोपण अनुष्ठान की विवृति सं० त्रिपाठी उक्त पाराणासी के अधिकार क्षेत्र का पुनः विचारणा प्रमाणित होता ।
- 30प्र0 शासन के बर इमि श्री के०पी० मणि शासन से बर इमि । अधिकृत सीमा एवं विवृतिमय । अधिकृत 1976 के प्राविष्टातों की पुनः इमि में राज्य निर्माण के बरों की स्वीकृति, पारा 20 के अंतर्गत कूट, कृषिक प्रयोज्य हेतु नदना-उत्तरणा की सुविधा, सहकारी मूक निर्माण क्षमिधियों के पता में रिक्त इमि का उत्तरणा लिये जाने, जावासीय फायरों के माविय पास करने के संबंध में समय-समय पर विवृत विवेका प्रमाणित होंगे ।
- 29- 30प्र0 शासन के बर इमि श्री के०पी० मणि शासन से बर इमि । अधिकृत सीमा एवं विवृतिमय । अधिकृत 1976 के प्राविष्टातों की पुनः इमि में राज्य निर्माण के बरों की स्वीकृति, पारा 20 के अंतर्गत कूट, कृषिक प्रयोज्य हेतु नदना-उत्तरणा की सुविधा, सहकारी मूक निर्माण क्षमिधियों के पता में रिक्त इमि का उत्तरणा लिये जाने, जावासीय फायरों के माविय पास करने के संबंध में समय-समय पर विवृत विवेका प्रमाणित होंगे ।
- अनुष्ठान का आदेश सं० 79/ अस्था-53प्र०सी०/76 विवृति 20-1-77, 2641/ अस्था-4-प्र०सी०/77 वि० 17-12-77, 1132/अस्था-17-प्र०सी०/76 विवृति 25-4-77, 715/अस्था-32 प्र०सी०/76 वि० 7-4-77, 1076/अस्था-17 प्र०सी०/76 वि० 20-3-77, 154/ अस्था-17-प्र०सी०/76 वि० 23-1-78, 3650/अस्था-75 प्र०सी०/76 वि० 18-1-78 संस्था-97सी/अस्था-78-502 11761/76 विवृति 1-3-1978, 294/प्र०सी०/सी-21 सी०एम० अदि/सामाज्य स०/76 विवृति 18 अस्था, 1977, 1655/अस्था-36-प्र०सी०/76 विवृति 18 अस्था, 1976, 1335/अस्था-36 प्र०सी०/76 विवृति 16-11-76, 1573/37-2-76 विवृति 15 अस्था, 1976 का विवृत अनुष्ठान-2 का पत्र ।



1972

9- श्री सी०पी० राजू, तटकासी
सहाय प्राध्यापक, बमर
शुभि सीमा, वाराणसी

10- श्री सुरेन्द्र मोहन सरीख पुत्र श्री
सुरभीस कुमार सरीख मकान सं०
एच०-19/33 टकसात नालि
विहारो सेव मार्ग, छाया
कैट, वाराणसी ।

11- श्री आनन्द प्रकाश वर्मा, मुख्य
बमर निवोधक वाराणसी विभागा
प्राध्यापक वाराणसी ।

12- श्री के०पी० शक्ति त्रिपाठी,
तटकासी प्रमुख उपाधीन 10,
30 प्र० सतलस अटिठाल, वाराणसी
लेखा निपुणता प्रियेवक ।

श्री के०पी० श्री वारतव तटकासी सह आ
प्राध्यापक, बमर शुभि सीमा वाराणसी के
कार्यकात में एगारा-6111, एगारा 8141, एगारा
19, 20, 21 के अटिठाल की मयी कार्यवाही संबंधी
सुवधा की पुष्टि करेंगे ।

शुभतपूर्व काशी बरेवा एवं उसके पुत्र पुत्रियों तटका
एगाराई दूरितियों में शुभि राज्य के छय-पिछय
एवं शु-एगारकों को आवात निर्माण के उपलक्ष्य
में छय की मयी शुभि के त्रिसे केय एगाराई, एगारा
अवशोभा सक्ति आवांतियों की सुवी देवे की
पुष्टि करेंगे ।

वाराणसी महायोगला में शु-प्रयोग के संबंध में
कटाव देंगे ।

श्री के०पी० श्री वारतव उरत के दिख एगारी बमर सुभ
शुभि सीमा रोपण वाराणसी में सहाय
प्राध्यापक के वर के शिपुषि कात में की मयी
अवियनितताओं के संबंध में अवशोभा करवे की
पुष्टि करेंगे ।

। श्री रा यापवा
सधिव ।

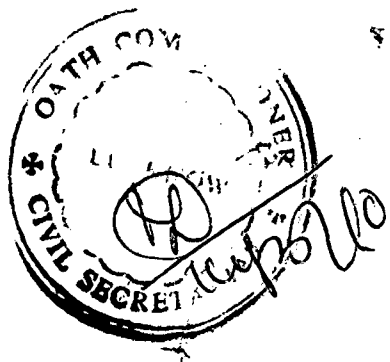
Suband



178

1732-

श्री डे द्वारा लाजिल विवरणी के आधार पर दि० -3-2-79 को श्री श्रीवास्तव द्वारा धारा -8131 के अंतर्गत नोटिस म्य ड्राफ्ट दिया गया जिसके अनुसार कुल 26403.02 वर्ग मी० भूमि दर्जा कर उत्तमें से 1500 वर्ग मी० भूमि प्रयोज्य हेतु छोड़कर शेष 24903.02 वर्ग मी० भूमि अध्याकृत की जाने वाली भूमि का का इस भूमि का धेअन अंकित किया गया । उक्त 26403.02 वर्ग मी० भूमि में ग्राम नदेसर की 16001.88 वर्ग मी० एवं टक्ताल ग्राम का 10401.14 वर्ग मी० भूमि थी । ड्राफ्ट स्टेट बैंक के भाग का के स्टम्प-11 में पहले कुछ भी नहीं अंकित था । बाद में दूसरी स्थायी व दूसरी लिखावट से उत्तमें बहुत पुराने भवन का हुआ होना जिसके अनुलग्नक की गठाना इस स्टेट पर न की जा सकने संबंधी मामले की सुनवाई के बाद गणना करने संबंधी विवरण अंकित किया गया । नोटिस में पुराने भवनों की संख्या एवं क्षेत्रफल नहीं अंकित किया गया । नोटिस का जवाब दि० 9-7-79 & 18-7-79 को आवेदक द्वारा प्रस्तुत किया गया जिसमें ग्राम टक्ताल की 2.60 एकड़ भूमि में तिनेमा का होना, उसका मानचित्र अधिनियम लागू होने के पूर्व नगर म्हा पालिका एवं जिलाधिकारी द्वारा स्वीकृत हो चुका होना अंकित करके छूट मांगा जाना एवं ग्राम नदेसर के भूमि में धारा -21111 के अंतर्गत प्राचीन-वन दिया जाना मानचित्र का विकास प्राधिकरण में स्वीकृत होना, इस भूमि में एक पक्का कुआं व एक पक्का भवन होना जिसके लिए संलग्न भूमि 500 वर्ग मी० एवं प्रयोज्य हेतु 1500 वर्ग मी० अतिरिक्त भूमि की मांग किया जाना अंकित किया गया था । पत्रावली में संदर्भित डी 5, विवरणी, तथै व क्लफिट एवं धारा -8131 की नोटिस में गैर आवासीय /आवासीय किसी भवन का उल्लेख नहीं किया गया था । श्री श्रीवास्तव द्वारा दि० 3-7-79 को धारा -8141 के अंतर्गत आदेश पारित किया गया जिसमें उन्होंने ग्राम टक्ताल में 1620.16 वर्ग मी० में टक्ताल स्थित होना एवं ग्राम नदेसर की भूमि में 14.86 वर्ग मी० एवं 27.88 वर्ग मी० क्रमशः भवन तथा कुआं होना अंकित किया था एवं निर्णय में श्री श्रीवास्तव ने श्री डे के आपत्तिमें अंकित विवरण का संदर्भ देकर हविगृह का कुर्सी क्षेत्रफल 1662.90 वर्ग मी० देय अनुलग्नक 500 वर्ग मी० को रिक्त भूमि की गणना से अलग कर ग्राम नदेसर में 27.80 एवं 14.80 वर्ग मी० में पक्का कुआं एक भवन क्रमशः मानते हुए को प्रथम अनुलग्नक के रूप में 55.76 वर्ग मी० व 29.72 वर्ग मी० को भी रिक्त भूमि से अलग कर कुल रिक्त भूमि 24460.82 वर्ग मी० में से सड़क विस्तार के नाम 739.89 वर्ग मी० भूमि कम कर एवं प्रयोज्य क्षेत्र के रूप में 1500 वर्ग मी० देते हेतु 22221.93 वर्ग मी० अतिरिक्त रिक्त भूमि प्रस्तावित किया । आवेदक द्वारा सड़क विस्तार में तीमा का छूट की मांग न करने, श्री श्रीवास्तव द्वारा पत्रावली पारित आदेश में की विस्तार के नाम पर छोड़ी गई भूमि का उल्लेख न करने पत्रावली में सड़क विस्तार के नाम पर भूमि प्रमाणित होने के संबंध में जोई साइड न होने किस्-किस् भूमि से कितना क्षेत्रफल सड़क में जाना प्रमाणित न होने के कारण उक्त 7.39 वर्ग मी० भूमि सड़क विस्तार के नाम पर छोड़े जाने के लिए श्री श्रीवास्तव दोषी है । इसी प्रकार तिनेमा कुर्सी क्षेत्रफल अथवा उसके लिए देय अनुलग्नक को रिक्त भूमि से अलग कर देने का आधार प्रमाणित न होने पर अपितु यह प्रमाणित होने पर कि उपाध्यक्ष



Handwritten signature

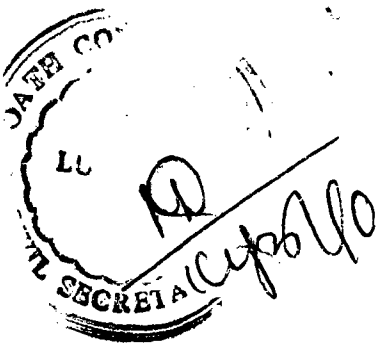
1100

- 56 -

किरायेमगा-1

2- वाद संख्या-487/5203/79-80, 481/5201/79-80, 482/5204/79-80 एवं वाद सं-483/5200/79-80 बनाम कुमारा जी विभूति नारायन सिंह एवं श्री अनन्त नारायन सिंह, हरी प्रिया, महाराज कुमारी विष्णु प्रिया एवं कृष्णा प्रिया संबंधित धारा 8141 के अंतर्गत उक्त भू-धारकों की ओर से दि-8-12-69 को हुए जानगी बटवारा जो दि-16-9-70 को निविदा किया गया था, के आधार पर तीनों महाराज कुमारियों द्वारा धारा 6111 के तहत विवरणी प्रस्तुत की गयी जिसमें प्रत्येक ने अपने अपने आंश ग्राम चिनका स्थित भूखण्ड संख्या 105 में शीशामहल के सम्पूर्ण क्षेत्र 4.51 एकड़ अर्थात् 18251.97 वर्ग मी० से 90-90 डिग्रीसहित अर्थात् 3642.30 वर्ग मी० प्रत्येक एवं महाराज कुमार अनन्त नारायन सिंह ने 1.81 एकड़ अर्थात् 7325.07 वर्ग मी० भूमि अंशित किया था। तीनों महाराज कुमारियों के नाम मुक्तलिका मिन्ट हाउस की भूमि का अंश नहीं किया था अपितु महाराजकुमार अनन्त नारायन सिंह ने टकतास स्थित मिन्ट हाउस भवन सं-18/2-4-1 क्षेत्रफल 3.46¹/₂ एकड़ एवं श्री विभूति नारायन सिंह का आंश 0.86-¹/₂ एकड़ कुल योग 4.33 एकड़ अर्थात् 17523.51 वर्ग मी० अंशित किया था। ज्ञातव्य है कि इन्डियन रजिस्ट्रेशन एक्ट की धारा 17 के अंतर्गत पंजीकृत न होने की दशा में उक्त जानगी बटवारा मान्य नहीं था किन्तु उक्त भू-धारकों द्वारा दाखिल की गई विवरणी के आधार पर तदर्थग करार श्री श्रीवास्तव द्वारा नोटिस निर्गत की गयी। जिसमें दिनांक 9 जुलाई, 1979 को उपरोक्त वारों नामों में श्री रमेश चन्द्र के द्वारा उपरोक्त वारों भू-धारकों की तरफ से आपत्ति दाखिल की गयी। तदनुसार श्री श्रीवास्तव द्वारा दि-3-7-79 को धारा 8141 के अंतर्गत निर्णय पारित किया गया। निर्णय के साथ संलग्न तालिका में महाराज कुमारी प्रिया, कृष्णा प्रिया, विष्णु प्रिया प्रत्येक के पास सुहस्ता चिनका स्थित शीशामहल क्षेत्र में भूखण्ड संख्या 105 में कुम्भी क्षेत्रफल व देव अनुमान एवं 1500-1500 वर्ग मी० प्रयोज्य क्षेत्र छोड़कर क्रमांक: 1337.78, 1269.89, 2142.30 वर्ग मी० रिक्त भूमि घोषित की गयी जिसके संबंध में धारा 2111 के अंतर्गत कार्यवाही संबंधित होने के आधार पर अन्य प्रगति कार्यवाही रोक देने का आदेश दिया गया। इस प्रकार श्री विभूति नारायन सिंह द्वारा निविदा किया गया उक्त जानगी बटवारा जो इन्डियन रजिस्ट्रेशन एक्ट की धारा 17 के अंतर्गत मान्य नहीं था एवं महाराज कुमारियों एवं महाराज कुमारों का कब्जा एवं स्वामित्व शीशामहल क्षेत्र व मिन्ट हाउस में होना प्रमाणित नहीं थी किन्तु श्री श्रीवास्तव द्वारा उक्त तीनों महाराज कुमारियों के नाम पर प्रत्येक-प्रत्येक को 1500-1500 वर्ग मी० प्रयोज्य भूमि अर्थात् कुल 4500 वर्ग मी० भूमि मुक्त करने का आदेश दि-30-7-79 को देकर श्री विभूति नारायन सिंह द्वारा भूतर्पण कार्यालय नरेश की होमादिस्य 4500 वर्ग मी० भूमि के रिक्त घोषित होने एवं राज्य सरकार को अर्पणार्थित होने से बचाकर लाभ पहुँचाया गया।

श्री विभूति नारायन सिंह एवं उनके पुत्र महाराज कुमार अनन्त नारायन सिंह की भूमि/भवन को एक में सम्मिलित करके मात्र चिनका स्थित शीशामहल में धारित संपूर्ण भूमि 7325.07 वर्ग मी० में 474.52, 274.53, 91.25 एवं 113.94 वर्ग मी० कुम्भी क्षेत्रफल के चार आवासीय भवन के लिए



Handwritten signature

1101

द्वारा निर्देशित है कि बहुमंजिला भवनों वाले आवासीय हो, उनके लिए अधिक अनुलग्नक 500 वर्ग मी० ही देय है इससे अधिक अनुलग्नक द्वारा 2011 के अनुसार राज्य सरकार द्वारा ही दिया जा सकता है। इस प्रकार उक्त क्रमांक 1 से 6 पर स्थित गैर आवासीय भवनों को आवासीय मानने पर भी एक भवन का आंश होने के नाते अधिकतम प्रथम व द्वितीय अनुलग्नक के त्थ में कुल 1000 वर्ग मी० की छूट, क्रमांक 7-8-9 पर अंकित कुर्सी क्षेत्रफल 282.94 वर्ग मी० जो एक ही भवन के आंश है, के लिए अधिकतम प्रथम एवं द्वितीय अनुलग्नक के त्थ में 1000 वर्ग मी० की छूट एवं क्रमांक 10-11-12 का कुर्सी क्षेत्रफल का 423.24 वर्ग मी० जो एक ही भवन के आंश है के लिए अधिकतम प्रथम एवं द्वितीय अनुलग्नक के त्थ में 1000 वर्ग मी० की छूट देकर कुल 5506.18 वर्ग मी० भूमि मय कुर्सी क्षेत्रफल एवं उनके अनुलग्नक के त्थ में स्थित भूमि की परिभाषा में न आने के कारण छूट दी जा सकती थी जबकि श्री श्रीवास्तव द्वारा उक्त परिसर में रेगा मानचित्र के विपरीत भवनों को धारा 1 गणना ता लिका में भवनों के कुर्सी क्षेत्रफल एवं देय अनुलग्नक के त्थ में 10225.52 वर्ग मी० भूमि को रिक्त भूमि की परिभाषा में न आने के आधार पर नू-धारक द्वारा धारित भूमि 17523.51 वर्ग मी० भूमि के स्थान पर 17505.51 वर्ग मी० भूमि को मानकर उसमें से 10225.51 वर्ग मी० भूमि निकाल कर शेष 7279.99 वर्ग मी० भूमि को अतिरिक्त रिक्त भूमि धारा -8141 के अंतर्गत दि० 23-6-81 को घोषित किया गया। जबकि उक्त 17523.51 वर्ग मी० में से 5506.18 वर्ग मी० भूमि निष्कात कर 12017.33 वर्ग मी० भूमि अतिरिक्त रिक्तभूमि घोषित किया जाना था। इस प्रकार श्री श्रीवास्तव ने 12017.33-7279.99 4737.34 वर्ग मी० का लाभ नू-धारक को पहुँचाया। उक्त रिक्त घोषित 7279.99 वर्ग मी० भूमि के संबंध में अधेदक द्वारा आवासीय भवनों के निर्माण हेतु प्रस्तुत किये गये मानचित्र को स्वीकृत कराने हेतु श्री श्रीवास्तव द्वारा दि० 29-11-77 को अनापत्ति प्रमाण-पत्र दिया गया। इस मानचित्र में डी०ई०एफ० जी० से प्रदर्शित 2759.19 वर्ग मी० भूमि भूले त्थ में प्रदर्शित थी। इस क्षेत्रफल को सम्मिलित करते हुए पुनः अनापत्ति प्रमाण-पत्र देने का अनुरोध करने पर श्री श्रीवास्तव द्वारा दि० 26-12-77 को पुनः कुल 7416.94 वर्ग मी० क्षेत्रफल के लिए अनापत्ति प्रमाण-पत्र दिया गया जबकि उक्त तिथियों तक धारा 8141 के अंतर्गत रिक्त किये गये भूमि का परिष्कार नहीं हुआ था और न ही निर्णय हुआ था। दि० 31-3-79 को भी उक्त क्षेत्रफल को मानचित्र पर अनापत्ति प्रमाण-पत्र श्री श्रीवास्तव द्वारा दिया गया जिसके आधार पर उक्त मानचित्र विकास प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत किया गया। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि धारा 2111 के अंतर्गत निर्बल वर्ग आवास के लिए छूट देने के लिए स्वयं प्राधिकारों अधिस्त है एवं इस छूट की जमीन में व्यवसायिक दुकानों आदि का निर्माण किये जाने प्राविधान नहीं है। इन आवासीय भवनों का निर्माण नियम-11 ए के जोड़पूल -मर के अनुसार होना है फिर भी उक्त अतिरिक्त रिक्त घोषित भूमि 7279.99 वर्ग मी० के विपरीत 7416.94 वर्ग मी० अर्थात् 79806 वर्ग फिट भूमि में धारा 1111/ प्राधिकरण से आवासीय भवनों के अलावा 29 दुकानों के निर्माण का मानचित्र स्वीकृत कराकर दि० 29-6-81 को उक्त 79806 वर्ग मी० फिट भूमि धारित करने का आदेश नू-धारक के पक्ष में किया गया। नू-धारकों से अनुबंधित छेदार श्री सरोन से प्राप्त अभिलेखों के आधार पर श्री श्रीवास्तव के पूर्णतः जानकारी



Mr. R. D. Singh

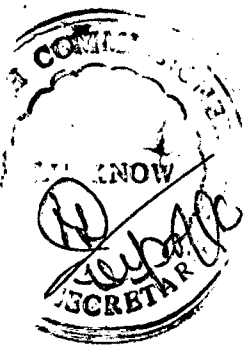


बाद सं. मा-485/5202=79-80 बनाम मेसर्स अनन्त एलेक्ट्रिकल्स नैमप वर्कर्स
। प्रा०। लिमिटेड नदेतर वाराणसी में कम्पनी एक्ट के अंतर्गत पंजीकृत उक्त कम्पनी
द्वारा ग्राम नदेतर में धारित 4.10 एकड़ अर्थात् 16592.70 वर्ग मी० भूमि जो
श्री विष्णु शिवराव सिंह से उक्त कम्पनी के द्वारा बेनामा दि० 28-7-71 को प्राप्त
हुआ था के संबंध में नगर भूमि तोंगा एवं विनियमन अधिनियम की धारा 6111 के
अंतर्गत विवरणी मैजिस्ट्रेट ऑफ़र स्टोर श्रीमती चन्द्रा मिश्राओं द्वारा दिनांक 14-9-76
को दायित्व की गयी । विवरणी के आधार पर धारा -3131 की नोटिस सर्वेक्षण
कराने के सम्पात दि० 2-7-79 की प्रोक्लामेशन द्वारा दी गई जितमें सम्पूर्ण भूमि

W. S. Anderson

के निर्माण की अनुमति प्रदान करते हुए उक्त भूमि को मुक्त करने का आदेश दिया । आदेश पारित करने के पूर्व श्री श्रीवास्तव के समक्ष श्री सरीन एवं उक्त डेक्को के हायरबैटर श्रीमती चन्द्रा सिपाही के बीच हुए अनुबंध दि० 4-12-76 की प्रतिलिपि दाखिल की गई थी जिसके अनुसार भू-धारक श्री सरीन से 6/- रु० प्रति वर्गफिट कार्पेट एरिया की दर से रु० 7,29,042.00 प्राप्त होना था । श्री श्रीवास्तव को यह भी ज्ञात हो गया था कि भवनों के निर्माण के लिए धान की वसूली भवनों के निर्माण प्रारम्भ करने के पूर्व ही भवनों का आवंटन समाज के कमजोर वर्ग को न करके समाज के अभिजात्य वर्ग तथा प्रथम व द्वितीय श्रेणी के राज्य कर्मचारियों आपकरदाता व्यवसायियों एवं जिनके पास नमरी क्षेत्र में भूमि भवन थे को आवंटित करके 40 वर्ग मी० एवं 80 वर्ग मी० कुलों क्षेत्रफल के लिए क्रमशः 400/- रु० एवं 800/- प्रतिमाह की दर से एवं रु० 2000/- प्रति आवंटित व्यक्तियों से पंजीयन शुल्क के रूप में वसूली करके भवनों का निर्माण कराया जाना था और वसूली से प्राप्त होने वाले अग्रिम धानराशि में से भू-धारक को भू मूल्य के रूप में उक्त धानराशि का भुगतान होना था । ज्ञातव्य है कि समाज के कमजोर वर्ग के लिए आवासीय भवनों का निर्माण भू-धारक को अतिरिक्त रिक्त घोषित की गयी भूमि को धारा 21111 के अंतर्गत धारित करने के लिए आदेश देने के लिए तत्काल प्राधिकारी अधिकृत है एवं इसमें व्यवसायिक स्थलों एवं दुकानें/शोल्स आदि को निर्माण हेतु अधिनियम एवं नियमावली में इस छूट का प्राविधान नहीं है आवासीय भवनों का निर्माण नियम 11 ए के शोड्यूल 1 ए के अनुसार किया जाना नियमित है । इस प्रकार धारा 21111 के अंतर्गत मुक्त की गई भूमि 7779.95 वर्ग मी० का मूल्य अधिनियम के अधीन अधिग्रहण की दशा में रु० 38,900/- मुआयजे के रूप में भू-धारक प्राप्त करने के अधिकारी थे क्योंकि भवनों का निर्माण आवंटियों से प्राप्त अग्रिम धानराशि से लिये जाने की दशा में भू-धारक अपने मूल्य रु० 38,900/- का पांच गुना और उस पर 15 प्रतिशत अधिक कुल रु० 2,23,672/- पाने के अधिकारी नहीं थे । इस प्रकार श्री श्रीवास्तव ने अपने उक्त आदेश दिनांकित 26-6-81 द्वारा उक्त निर्मित परिस्थितियों में भू-धारक के पक्ष में उक्त भूमि 7779.95 वर्ग मी० प्रस्तावित भवनों के लिए मुक्त करके तनमम रु० 7 ताका से लाभान्वित होने का अवसर दिया और समाज के कमजोर वर्ग के नाम पर धारा 21111 के अंतर्गत भू-धारक को भूमि धारित करने का आदेश दि० 29-6-81 को देकर अभिजात्य वर्ग को ही भवनों के आवंटन कराने का अवसर प्रदान किया । यह पाया गया कि श्री सरीन ने भू-धारक से हुए अनुबंध के अनुसार आवंटित करके कब्जा दे दिया गया तथा श्री श्रीवास्तव द्वारा धारा -8141 के अंतर्गत रिक्त घोषित की गई भूमि 11143.19 वर्ग मी० में से धारा 21111 के अंतर्गत मुक्त की गयी, उक्त 7779.95 वर्ग मी० भूमि के अतिरिक्त शेष बची 3363.24 वर्ग मी० भूमि के संबंध में कोई आदेश पारित नहीं किया गया और उक्त भूमि को राज्य सरकार को अध्यावर्तित होने वाली कार्यवाही से बचाया गया ।

4- वाद संख्या-488/5207/70-80 संबंधित आदित्य डेरी 19101 नि० के संबंध में श्री रमेशा चन्द्र के हायरबैटर आदित्य डेरी 19101 नि० दुर्ग रामनगर ने दि० 16-8-71 को श्री विभूति नारायण सिंह से बैनामा द्वारा उक्त डेरी के नाम से प्राप्त भूमि अधन संख्या-109/1, 16.25 एकड़ स्वनिर्माण भवन सं०-एत-18/240-3 के संबंध में दि० 10-9-76 को उक्त अधिनियम की धारा 6111



Handwritten signature

करेगा तो उस पर अधिनियम पर सभी प्राविधान लागू होंगे। उनकी राय में निर्णय से अधिनियम के प्राविधानों का उल्लंघन नहीं होता। अतः अनापत्ति प्रमाण-पत्र दिया गया। उक्त ट्रस्ट द्वारा दाखिल विवरणों के आधार पर धारा 8(3) अर्थात् श्री श्रीवास्तव द्वारा नोटिस देकर भू-धारक द्वारा दि० 18-7-79 को आपत्ति प्रस्तुत किये जाने पर श्री श्रीवास्तव द्वारा धारा 19 के अंतर्गत न्याया की भूमि पर अधिनियम के प्राविधान को लागू न होना स्वीकार करते हुए दि० 31-7-79 को अपने आवेदन द्वारा नोटिस को निरस्त कर दिया गया, किन्तु पूर्व में 029-11-77 को 7087 वर्ग मी० भूमि में निर्माण हेतु दिये गये अनापत्ति प्रमाण-पत्र के तारतम्य में दि० 31-7-79 को ही 65617 वर्ग फीट अर्थात् 6098.24 वर्ग मी० की भूमि के दूसरे मानचित्र पर पुनः अनापत्ति प्रमाण-पत्र अंकित किया गया। यद्यपि उक्त भूमि को न्यायाधीश भूमि मानते हुए श्री श्रीवास्तव द्वारा उक्त भूमि के संबंध में कोर्ड का खिाह किया जाना वांछनीय नहीं था। नगर महापालिका वाराणसी के असेसमेंट रजिस्टर से पाया गया कि उक्त न्याय की भूमि में से निर्मित शोध 961.80 वर्ग मी० एवं छत्ती भूमि 1476.62 वर्ग मी० योग 2438.42 वर्ग मी० का बिक्री दि० 29-11-82 को ट्रस्ट को और से श्री एसएम सरोन आदि के नाम हुई और रजिस्टर्ड बैनामा से बात हुआ कि श्री सरोन ने रजिस्ट्री होने के पूर्व ट्रस्ट से इकरार नामा किया था जिसका संदर्भ रजिस्ट्री में है किन्तु इकरारनामा की प्रतिलिपि नहीं है। रजिस्ट्री के अनुसार दि० 10-11-80, 13-12-80, 7-1-81, 1-2-81 को क्रमशः रु० 15,000/-, 10,000/-, 15000/-, 1,00,000/- तथा रजिस्ट्री के समय रु० 1,50,000/- देय था। बिक्री का अभिलेख दि० 8-12-81 को तैयार किया गया सामान के लिए रु० 21,000/- स्टेट बैंक से दि० 10-11-81 को जमा किया गया और रजिस्ट्री की गयी। इस प्रकार उक्त परिसर को 1.87 एकड़ अर्थात् 7567.80 वर्ग मी० भूमि में से भवन स्थित 2438.42 वर्ग मी० श्री सरोन व उनके पत्नी व पुत्र के नाम बिक्री के बाद शेष भूमि 5129.37 वर्ग मी० स्वाम्य 55189 वर्ग मी० भूमि ट्रस्ट के नाम रही। उक्त श्री सरोन को विक्रय करने के पूर्व ही दि० 31-3-79 को 65617 वर्ग फीट भूमि के मानचित्र को श्री श्रीवास्तव ने स्वीकृत करके अनापत्ति प्रमाण-पत्र दिया था। इससे स्पष्ट है कि जिस भू-भाग पर कमजोर वर्ग के आवासोपभवनों के निर्माण हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र श्री श्रीवास्तव ने दिया तथा उसमें से लगभग 10428 वर्ग फीट में निर्मित होने वाले आवासनिर्माण श्री सरोन के जिम्मे निर्माण को अनुमति ट्रस्ट को सम्पत्ति के रूप में श्री श्रीवास्तव द्वारा दी गयी थी। इस प्रकार स्पष्ट है कि उक्त भूमि भवन के बिक्री श्री सरोन को लाने के लिए ही न्याय नाम पर न्याय की भूमि पर कमजोर वर्ग हेतु भवनों के निर्माण के लिए मानचित्र श्री श्रीवास्तव द्वारा स्वीकार कराया गया।

इस प्रकार श्री कमरेवर झाद श्रीवास्तव उक्त कदारास्तापूर्ण व्यवहार एवं अधिल भारतीय सेवायें (आवरण) नियमावली 1968 के नियम -3 के अनुस्य कर्त पालन में असफल पाये गये तथा दुराचरण के दोषी है।

नीरा पाद्व
सचिव

1165

को कुमारा: 750 व मी० एवं 327 व मी० अलग-अलग मानकर उनके लिये अनुक्रमणक के रूप में कुमारा: 500 व मी० एवं 327 वमी० बोग 827 वमी० भूमि को छुट दे दी, जबकि उक्त कामर्तियल ब्लॉक के बात कोई भूमि प्रयोग हेतु अनुक्रमणक के रूप में उपलब्ध नहीं थी। इस प्रकार 11653-20 + 8271 = 2580-20 वमी० अतिरिक्त रिक्त भूमि घोषित न करके भूधारकों को सम्पन्न लाभान्वित किया।

श्री आत्माराम दनदनिया उक्त आदि के नगर क्षेत्र के ग्राम हबीबपुरा के भूखण्ड सं० 59/2 क्षेत्र 2-85 रकड़ में लगभग 47 डिग्री में स्थित कोल्डस्टोरेज कारपोरेशन का भागीदार होने पर श्री भूधारक द्वारा वर्ष 1946 में उक्त कोल्डस्टोरेज की भूमि विक्रय करने किन्तु राज्य अभिलेखों में कोल्डस्टोरेज के नाम अमनदरामद न होने पर भी आवने भू-धारकों से धारा 6121 के अंतर्गत नोटित देकर कोल्ड स्टोरेज के भागीदारों से वस्तुस्थिति का स्विकृतिकरण करावे वगैर 12-851-10-471 = 1-58 रकड़ भूमि ही श्री आत्माराम दनदनिया आदि का मानकर दिनांक 31-3-79 को धारा 8141 के अंतर्गत मुटिबुर्ण आदेश पारित किया। उक्त आदेश पारित करने की तिथि तक भू-धारकों द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 21111 के अंतर्गत निबन्ध 11 के अनुसार घोषणा पत्र न दिये जाने पर भी एवं धारा 8131 के अंतर्गत दी गई नोटित में भी धारा 21 के अंतर्गत आवेदन पत्र दिये जाने का कोई उल्लेख न होने पर भी शातनादेश संख्या: 3680/उन्मात-11/बूती/76 दिनांक 25-1-78, 1085/उन्मात-11/बूती/76 दिनांक 28-3-79 एवं 875/उन्मात-22/बूती/76 दिनांक 11-3-80 के निर्देशों का ध्यान न कर उक्त भूधारकों के पक्ष में दिनांक 25-6-81 को आवने धारा 21111 के अंतर्गत 15345-66 वमी० भूमि में आवासीय भवनों के निर्माण के लिये छुट प्रदान किया, जबकि बारागती बिकात प्राधिकरण द्वारा भूधारक को उक्त परितर में मात्र 12710-30 वमी० भूमि में ही भवन निर्माण हेतु मानचित्र स्वीकृत किया गया था। इस प्रकार 115345-661-112710-301=2635-36 वमी० भूमि को राज्य सरकार में अयर्धित होने का आदेश न देकर भू-धारकों को सम्पन्न लाभान्वित किया।



Handwritten signature

- bh -

1167

-50-

5. श्री देवीशमणि त्रिपाठी, सेवा निवृत्त।
विशेष, पुलिस उपाधीक्षक, उपप्रभारिता
अधिकांश, वाराणसी ।

श्री देवीशमणि त्रिपाठी, भूतपूर्व सहायक प्रशासकी
नगर भूमि सीमांश व वाराणसी के कार्य-काल
में उनके द्वारा की गयी अनियमितताओं की
कुली वाच/अन्वेषण करने की पुष्टि करेंगे ।

नीरा बादव।
सचिव।



K. S. S. S.

1408

-52-

खं नु० का क्षेत्रफल 267.4 वर्गमी० में से उसके हिस्से का 103.7 वर्गमी० अंकित कर के नं० 1 व 2 लेबर खाटों से अनुलग्नक भूमि छद्म माँके घर न होना तथा नं० 3 खाट के लिए 78.35 वर्गमी० भूमि अनुलग्नक के रूप में उपलब्ध होना अंकित किया गया है। इसके अतिरिक्त अन्य अनुलग्नक भूमि का दिया जाना न दर्शाकर मिला हरिदा में आवासीय तथा गैर आवासीय भवनों के निर्मित क्षेत्र का अनुलग्नक खं अतिरिक्त अनुलग्नक भूमि का परिगणन करके समस्त भूमि में से 26041.75 वर्गमी० रिक्त भूमि होने का संतुल्य अंकित किया। दिनांक 31.3.79 की धारा 8141 के अंतर्गत श्री के०बी०श्रीवास्तव उक्त द्वारा उक्त बाट का निर्माण करके 22477.86 वर्गमी० भूमि रिक्त घोषित की गई पारित आदेश के साथ ही गणनातालिका श्री राकेश कुमार, तबैबर द्वारा तैयार की गई, पितंबर श्री रवीन्द्र नाथ श्रीवास्तव, पी०ए० टेक्निकल खं श्री के०बी०श्रीवास्तव उक्त के हस्ताक्षर दिनांक 31.3.79 पर की हैं। निर्माण के बाद तैयार मानचित्र पितंबर श्री के०बी०श्रीवास्तव उक्त के भी हस्ताक्षर बने हैं, पर अभ्यर्षित की जाने वाली रिक्त भूमि का क्षेत्रफल 25693.23 वर्गमी० अंकित है। निर्माण में संलग्न तृती गणना तालिका में लेबर खाटें नं० 1 व 2 पितका क्षेत्रफल श्री त्रिकेरी प्रताप ने अपनी आवेदन में संलग्न कुल 326.6 वर्गमी० अंकित किया था, उक्त गणना तालिका में क्रमांक 12 व 13 पर 88 वर्गमी० व 246.6 वर्गमी० अंकित करके उसके लिए देय प्रथम अनुलग्नक भूमि 160 वर्गमी० खं 493.20 व द्वितीय अनुलग्नक भूमि 500-500 वर्गमी० की छूट दी गई है। निर्माण के बाद तैयार मानचित्र जो पत्रावली में उपलब्ध हैं, के अवलोकन से भलिभांति स्पष्ट है कि उक्त दोनों लेबर खाटें अन्वर्णा मिला के दक्षिण 22 फीट की पट्टार-दीवारी के बाहर 5 फीट चौड़ी गली में स्थित है। जांच के दौरान गली तारब-बनिक बाई गई, जिसका उपयोग उक्त लेबर खाटों व अन्य रहने वाले लोग करते हैं। उक्त दोनों लेबर खाटों के बात कोई भी भूमि आत बात नहीं बाई गई, जिसके लिए प्रथम अनुलग्नक खं द्वितीय अनुलग्नक के रूप में 1653.20 वर्गमी० भूमि की छूट दिया जाना संभव हो सके। इस प्रकार उक्त दोनों लेबर खाटों के नाम पर अधिनियम के प्रावधानों के विरुद्ध 1653.20 वर्गमी० की छूट श्री आत्माराम दंडानिवा की देकर लाभान्वित किया गया।

निर्माण से संलग्न तालिका के क्रमांक 7 व 8 पर निर्मित व्यवसायिक



Handwritten signature

बन दिए जाने का कोई उल्लेख नहीं है। दिनांक 31.3.79 को अंतर्गत धारा 814 में वारित निर्मा में श्री श्रीवास्तव, द्वारा धारा 21 के अंतर्गत आवेदन बन के लमि होने का उल्लेख अंकित है परन्तु बनावली में कोई घोषणा बन धारा 21 के अंतर्गत प्रमाणित नहीं है। किन्तु बाद में एक घोषणा बन 31.3.79 के पूर्व लेकर बनावली में रखा गया है। इस उपलब्ध घोषणा बन पर स्टाम्प दिनांक 29.6.81 का लगा हुआ है, जिससे यह प्रमाणित होता है कि उक्त घोषणा बन दिनांक 29.6.81 को ही श्री दंडनिवा द्वारा प्रस्तुत किया गया है जो शासनादेश सं० 875/49-11 वृत्ती 0/76 दि० 11.3.80 जो शासन के टेलेस्त सं० 185/49-11 वृत्ती 0/76 दि० 28.3.79 के अनुक्रम में राज्यादेश सं० 3688/49-11 वृत्ती 0/76 दि० 25.1.78 का उतिष्ठका करते हुए जारी किया गया था के अनुसार तथ्य प्राधिकारी के तमाम प्रस्तुत नहीं किया गया था और यह घोषणा बन की अंतिम तिथि निर्धारित होने के बलवत्त्व उक्त तिथि के बाद दिए जाने के कारण मान्य नहीं था। उक्त बनावली में श्री दंडनिवा द्वारा दिए गए आवेदन बन दिनांक रहित के प्रस्ताव 6, 7, 8 के अवलोकन से स्पष्ट है कि धारा 814 की कार्यवाही के पूर्व उनके द्वारा कोई घोषणा बन नहीं भरा गया। दि० 11.2.81 को श्री आत्माराम दंडनिवा के पुत्र प्रभात कुमार दंडनिवा एवं अनूप कुमार दंडनिवा ने उक्त निर्मा धारा 814 से संबंधित एक बन दि० 4.9.79 व 24.1.81 को धारा 21 के अंतर्गत छूट के लिए दिए जाने का उल्लेख करते हुए दिया था। इससे भी प्रमाणित है कि दि० 31.3.79 के पूर्व कोई आवेदन बन धारा 21 के अंतर्गत छूट हेतु नहीं दिया गया था। दि० 24.1.81 को आवेदन बन नावब तहसीलदार एवं तहासक अभियंता ने जांच कराकर दि० 25.6.81 को श्री श्रीवास्तव उक्त ने उक्त बन दि० 24.1.81 के साथ प्रस्तुत मान चित्र पर "नो आब्जेक्शन" प्रमाण पत्र दिया। यह मानचित्र दि० 21.1.81 को तथ्यविकास प्राधिकरण बाराणसी ने शैक्षणिक स्तर से स्वीकार किया तदुपरांत दि० 25.6.81 को श्री श्रीवास्तव ने धारा 21 के अंतर्गत 15345.66 वर्गमी० भूमि में आवासीय भवनों के निर्माण हेतु छूट इतान किया। अतः उल्लेखनीय है कि विकास प्राधिकरण, बाराणसी द्वारा उक्त मानचित्र युक्त हाउसिंग के नाम पर स्वीकार किया गया था जबकि श्री श्रीवास्तव उक्त ने कमजोर वर्ग के नाम पर स्वीकार किया गया था जबकि श्री श्रीवास्तव उक्त ने कमजोर वर्ग के नाम पर "नो आब्जेक्शन" प्रमाण पत्र दिया था। दि० 31.3.79 को दाखिल किए गए धारा 814 के निर्मा में अन्वयार्थ मित का समग्र क्षेत्र 31229.34 वर्गमी० में श्री दंडनिवा का हिस्सा 50 प्रतिशत अर्थात् 15614.67 वर्गमी० में श्री दंडनिवा के ना

कोषाधिकार 2 दि० 11.3.79
अंतर्गत दि० 31.3.79 तक
दोहरा-ज



[Handwritten signature]

(A/16)

- 56 -

कमी 0 भूमि पर कमजोर वर्ग हेतु आवासीय भवनों का स्वीकृति आद हैं
दिनांक 20.8.84 को विकास प्राधिकरण द्वारा दी गई, गेज भूमि 2635.36
कमी 0 भूमि के संबंध में किसी कार्यवाही का प्रमाणित होना नहीं पाया
गया ।

नीरा पाटव।

तचिव।



Kupda

900

को लाभ पहुँचाया। तबैर द्वारा प्रमाणित 579.20 वर्गमी० 579.20 वर्ग मी० के दोनों गोदामों के कुलीन क्षेत्रफल मानचित्र के अनुसार 594.82 एवं 599.75 वर्ग मी० के स्थान पर 776.20 व 898.40 वर्ग मी० गोदाम स्वीकार किया। भू-धारक के प्रयोज्य क्षेत्रफल 1500 वर्ग मी० के अतिरिक्त 12.27 वर्ग मी० की कोठरी को गैर आवासीय मानकर अनिवार्य टंग से उत्तम अनुलग्नक के रूप में 500 वर्ग मी० भूमि की हूट दिया। भारत सरकार द्वारा निर्गत गाइड लाइन आवात निर्माण मंत्रालय के पत्र सं०-1/132/76 यू०सी०यू० दिनांक 29-12-76 के निर्देशों के अनुसार पहुँच मार्ग या तर्जित रोड को रिक्त भूमि मानने की उम्मेद कर दोनों गैर आवासीय गोदामों के प्रयोग हेतु भू-स्वत पर कोई तड़क न होने पर भी 1000 वर्ग मी० भूमि अनुलग्नक के रूप में छोड़ने का आदेश दिया। परिसर की दो अन्य गैर आवासीय दो कोठरियों का कुलीन क्षेत्रफल क्रमशः 12.27 व 10.13 वर्ग मी० योग 22.40 वर्ग मी० होने से अतः उनके लिए देय अनुलग्नक 44.80 वर्ग मी० के स्थान 21.66 वर्ग मी० अनुलग्नक के रूप में दिया गया। भू-धारक के पास अन्य भूमि या बिल्डिंग में भूमि / भवन होने के संकेत में अपने कार्यकाल तक उक्त भू-धारक से कोई स्विट्चिंग या साध्य प्राप्त किये और अपने स्थानान्तरण आदेश से तृप्ति होने पर दि० 30-6-81 को कार्यभार हस्तान्तरित करने के एक दिन पूर्व दि० 29-6-81 में आदेश द्वारा दि० 14 के अधीन पारित किया। इस प्रकार 594.82, 599.75 वर्ग मी० के दो गैर आवासीय भवन गोदाम एवं कोठरियों के लिये देय अधिकतम अनुलग्नक भूमि 1000 वर्ग मी०, दो कोठरियों गैर आवासीय 22.40 वर्ग मी० एवं उनके लिये देय अनुलग्नक 44.80 वर्ग मी० तथा पहार दीवारी 66.49 वर्ग मी० योग 2328.26 वर्ग मी० के परिसर को समस्त क्षेत्रफल भूमि 5997.38 वर्ग मी० से निकाल कर शेष 3669.12 वर्ग मी० भूमि में से 1500 वर्ग मी० भू-धारक के लिए देय प्रयोज्य क्षेत्रफल निकालकर शेष 2169.12 वर्ग मी० भूमि अतिरिक्त घोषित करना सुनिश्चित न कर मात्र 342.08 वर्ग मी० ही अतिरिक्त घोषित कर 2169.12-342.08 = 1827.04 वर्ग मी० भूमि से श्री गौयनका उक्त को लाभान्वित होने का अपसर प्रदान किया।

इस प्रकार आप कदाशयतापूर्ण व्यवहार करते हुए अजिल भारतीय सेवायें। आचरण। नियमावली 1968 के नियम-3 के अनुरूप अपने कर्तव्यों का बालन न कर दुराचरण के दोषी है।

आज्ञा से,

नीरा यादव ।
सचिव



Handwritten signature

श्री कमलेश्वर प्रसाद श्रीवास्तव, आईएफओएल । तत्कालीन सचिव
शासिकारी, नगर भूमि सीमा रोपण, वाराणसी के विरुद्ध आरोप संख्या-4 से संबंधित
साक्ष्य भेजो ।

अभिलेखीय साक्ष्य

क्रमांक	अभिलेख	साक्षी का नाम	क्या प्रमाणित होगा
1-	आदेश सं०-2158/उन्ना सि-3 -उत्तर 171/1984 दि० 24-8-84	श्री के०पी० मणि शिवाठी तत्कालीन पुलिस उपाधीवक उ०प्र० सतर्कता अधिष्ठान वाराणसी	क्या प्रमाणित होगा शासनादेश, जिसके द्वारा जांच/अन्वेषण सतर्कता अधिष्ठान को सुपुर्द हुई ।
2-	आदेश सं०-स०३३०/अनु-2- 171/84 दि० 31 अगस्त 84	-तदेव-	वरिष्ठ पुलिस उपाधीवक, जांच उ०प्र० सतर्कता अधिष्ठान, लखनऊ का वर जिसके द्वारा जांच वाराणसी परिषद को आवंटित की गयी ।
3-	पुलिस अधीवक, उ०प्र० सतर्कता अधिष्ठान, वाराणसी का आदेश सं०स०३३०/अनु-2-171/84 दि० 28-9-84	-तदेव-	आदेश जिसके द्वारा जांच/अन्वेषण पुलिस उपाधीवक श्री के०पी० मणि शिवाठी, सतर्कता अधिष्ठान, वाराणसी को सुपुर्द की गयी ।
4-	नगर भूमि अनुभाग, उ०प्र० शासन का शासनादेश सं०-143/उन्नास -275यू०सी/8 दि० 18-2-81	111 श्री के०पी० मणि शिवाठी उक्त	द्वारा 20 नगर भूमि सीमा एवं विनियमन अधिनियम 1976 के अंतर्गत छूट को नियम करने संबंधी आदेश एवं निर्देश प्रमाणित होगा ।
5-	नगरभूमि अनुभाग, उ०प्र० शासन का शासनादेश सं०-4873/उन्नास 188यू०सी०/8 दि० 18-2-81	-तदेव-	-तदेव-
6-	नगर भूमि अनुभाग, उ०प्र० शासन का शासनादेश सं०-875/उन्नास- 11 यू०सी०/76 दि० 11 मार्च 1980	111 श्री के०पी० मणि शिवाठी उक्त	द्वारा आय आवास व्यवस्था संख्या में द्वारा 21 का छूट के संख्या में निर्देश प्रमाणित होगा ।



7- बहावली वाद सं०-386/72%ए
/81-82 नम्बूजी 0 वायल्य
पारागती ।

111 श्री अरुण कुमार
गोयनका, पुत्र श्री माटाव
प्रसाद गोयनका, माफत
आत्माराम दंडनिया,
प्रोप्राइटर, अन्नपूर्णा मिल्स
विद्यापीठ रोड वाराणसी
121 श्री के०पी० मणि मिश्रा
उक्त

श्री अरुण कुमार गोयन-
का द्वारा निर्धारित
अर्थात् के वाद धारा
6111 के अंतर्गत दाखिल
भूमि विवरणी एवं
श्री के०पी० श्रीवास्तव
द्वारा कृत अनियमितता
ता पित होगी ।

8- श्री अरुण कुमार गोयनका
द्वारा श्री आत्माराम
दंडनिया के पक्ष में दि०-
25-2-71/15-3-71 एवं
25-2-83 में लिखी पावर
आफ अटोनी

111 श्री आत्माराम
दंडनिया, प्रो० अन्नपूर्णा
मिल्स, विद्या पीठ रोड,
वाराणसी ।
121 श्री के०पी० मणि
मिश्रा उक्त

श्री अरुण कुमार
गोयनका की अचल
सम्पत्ति के किराये
आदि पर दिये जाने
के लिए दि० 25-2-71,
15-3-71 एवं विक्रय
आदि के लिए दि०
25-2-83 को पावर
आफ अटोनी श्री
आत्माराम दंडनिया के
पक्ष में होनी प्रमाणित
होगी ।

उपरोक्त शासन के नियुक्ति
अनुभाग-2 का अध्यात्मकीय
पत्र सं०-2065/टो 121/1976
दि० 12-3-76 एवं 378-5/
टो 121-4/21321/1976
दि० 10 मई 1976

श्री के०पी० मणि मिश्रा
उक्त

श्री के०पी० मणि मिश्रा
श्रीवास्तव की सक्षम
ग्राहिका करी नम्बू
जी० वाराणसी के
वद पर नियुक्ति
प्रमाणित प्रमाणित
होगी ।

मौखिक साक्ष्य
=====



प्रमाण

साक्षी का नाम

1- श्री प्रभात कुमार दंडनिया पुत्र
आत्माराम दंडनिया कृते अन्नपूर्णा
मिल्स, विद्यापीठ रोड, वाराणसी

2- श्री अरुण कुमार गोयनका पुत्र श्री
माटाव राम गोयनका, माफत
अन्नपूर्णा मिल्स, विद्यापीठ
रोड वाराणसी ।

क्या प्रमाणित करेंगे ।

श्री अरुण कुमार गोयनका का संबंधी होना
उनके द्वारा अपने पिता के नाम माटाव आफ अटोनी
लिखा जाना, उनकी भूमि के तब्दी में नम्बूजी०
वाराणसी में धारा 6111 के अंतर्गत भूमि विवरणी
दाखिल करना एवं पेशी करना ता पित करेंगे ।

ग्राम भरनाई, शिवपुर वाराणसी में अपने नाम
की भूमि के तब्दी में दाखिल विवरणी पर श्री के०
पी० श्रीवास्तव द्वारा कृत कार्यवाही श्री आत्माराम
दंडनिया के पक्ष में पावर अटोनी लिखी जाने एवं अपने
नाम की दाखिल विवरणी के तब्दी में उनके
द्वारा पेशी करने की पुष्टि करेंगे ।

8114

3- श्री मारकन्दे सिंह निवासी
सिमरा, वाराणसी

श्री अरुण कुमार गोयनका की 5647-45 वर्गमीटर
अथवा सम्पत्ति को आत्माराम टंट निया के माफ़त
क्रय करने की पुष्टि करेंगे ।

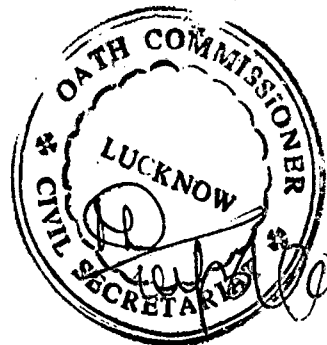
4- श्री अरुण कुमार वैन, रातकापीन
लिया, न०५०सी०, वाराणसी

श्री के०पी० श्रीवास्तव के सक्षम प्राधिकारी
न०५०सी०, वाराणसी के सेक्रेटरी हस्ताक्षर की सहया
करेंगे ।

5- श्री के०पी० मणि शिवाही, सेवा
निवृत्त पुलिस उपाधीक्षक, आरंगाबाद,
वाराणसी ।

श्री के०पी० श्रीवास्तव की सक्षम प्राधिकारी
न०५०सी० वाराणसी पद के नियुक्तिगत में हुई
अभिमतताओं की ज़ुली जांच/अन्वेषण करने की
पुष्टि करेंगे ।

नीरा पादव ।
सचिव



deposited

श्री कमलेश्वर प्रसाद श्रीवास्तव, आईओएसओ, भूतपूर्व तक्षम प्राधिकारी नगर भूमि सीमा रोपण, वाराणसी के फ़िल्म आरोप सं०-4 के संख्या में सुसंगत तथ्यों का कथन

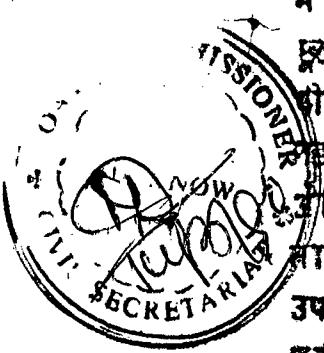
श्री कमलेश्वर प्रसाद श्रीवास्तव, उक्त दिनांक 10-3-76 से दि० 30-6-81 तक तक्षम प्राधिकारी, नगर भूमि सीमारोपण, वाराणसी के पद पर नियुक्त थे। तक्षम प्राधिकारी श्री श्रीवास्तव के तक्षम दि० 18-2-81 को श्री अरुण कुमार गोयनका पुत्र श्री माधव प्रसाद गोयनका मार्कत आत्मा राम दनद निवा प्र०० अन्नपूर्णा मिल विद्यापीठ, वाराणसी द्वारा अपनी भूमि संख्या-505, 506 600 एवं 601 कुल रकबा 1.54 एकड़ अर्थात् 6332.38 वर्ग मी० जिसमें दो गोदामों का होना कहा गया था और यह सम्पत्ति 16 वर्ष की अवस्था में, जबकि वे नाबालिग थे उनके द्वारा ख़रीदी गई थी के संख्या में भूमि सीमा रोपण एवं विनियमन अधिनियम 1976 द्वारा -6111 के अंतर्गत क्रमांक 7298-ए पर 5997.38 वर्ग मी० भूमि के संख्या में विवरणी दाखिल की गयी थी। यद्यपि दि० 15-3-71 में ही उक्त श्री गोयनका द्वारा पाथर आफ रजनी श्री आत्मा राम दनद निवा के नाम धर्मदान बख़िश्तगी फ़ॉर्म में निगत की गयी थी। उक्त विवरणी अधिनियम में नियम-3 के अनुसार द्वारा-6111 की विवरणी दाखिल किये जाने की अवधि समाप्त हो जाने के बाद दाखिल की गयी जिसके लिए श्री गोयनका द्वारा -38111 के अंतर्गत दोषी थे और श्री श्रीवास्तव उक्त द्वारा इस संख्या में कोई कार्यवाही न कर उक्त विवरणी के संख्या में द्वारा-9 की कार्यवाही की गयी। तबसे श्री सिधु कुमार द्वारा दि० 22-2-81 को सर्वे रिपोर्ट में 1201.35 वर्ग मी० भूमि प्रयोज्य के रूप में अंकित करके श्री गोयनका के पास बन्दूक में भी मकान होना, 579.20 वर्ग मी० के दो गोदाम, 20.55, 10.13, 12.17 वर्गमीटरों के भवन होना अंकित किया गया। उक्त अधिनियम की द्वारा -8131 के अनुसार श्री श्रीवास्तव उक्त द्वारा 4489.56 वर्गमी० में रिक्त घोषित करने हेतु दि० 22-2-81 को नोटिस दी गयी। नोटिस में तबसे सर्वे रिपोर्ट में अंकित बन्दूक में मकान की बात नहीं अंकित की गयी। उक्त नोटिस का जवाब श्री गोयनका ने दि० 11-5-81 को प्रस्तुत किया जिसमें उनके द्वारा अपने अभाव अपने संयुक्त परिवार में माता-पिता-भरती को भागीदार अंकित करके अपना 1/8 हिस्सा होना उक्त आराजी में 64.49 वर्ग मी० पहारदीवारी, 21.64 वर्ग मी० गोदाम में जाने वाली सहक, 431.70 वर्ग मी० गोदाम का प्लेटफ़ॉर्म, 4 आवासीय तथा 2 गैर आवासीय भवन केवल 1216.97 वर्ग मी० चारों ओरों के लिए 500-500 वर्ग मी० अनुलग्नक एवं 2 गैर आवासीय भवनों के लिए 500-500 वर्ग मी० अनुलग्नकभूमि की मांग की। अरुण कुमार गोयनका के प्रतिवेदन के अतिरिक्त श्री आत्मा राम दनद निवा वैरोकार द्वारा दिया गया राख बच जो पञ्चावली में संलग्न है, में उक्त भूमि में गोदामों का निर्माण वर्ष 1945 के आसपास होना बाद में कोई निर्माण न होना एवं बरिसर में 4 आवासीय भवन होना अंकित है। तदुपरांत दि० 29-6-81 को ही श्री श्रीवास्तव उक्त द्वारा तबसे सर्वे रिपोर्ट में 579.20 वर्ग मी० में दो गोदामों के स्थान पर दोनों गोदामों के कुली केवल क्रमांक 776.20 व 898.40 वर्ग मी० मानकर जिसे श्री गोयनका ने अपने प्रतिवेदन में 579.20 वर्ग मी० ब्रुत्येक को माना था, 500-500 वर्ग मी० भूमि अनुलग्नक के रूप में हट देकर के आदेश पारित किया। दो छोटे भवन जिनका कुली केवल 12.17 एवं 10.83 वर्ग मी० मानकर 12.17 वर्ग मी० की कोठरी में



Signature

घोषणाद्वारा की रचना स्वीकार करते हुए उत्तरी आवासीय स्तर न मानते हुए भी 500 वर्ग मी० भूमि एवं दूसरी कोठरी 10.83 वर्ग मी० भूमि एवं दूसरी कोठरी 10.83 वर्ग मी० के लिए 21.66 वर्ग मी० भूमि अनुलग्नक के रूप में परिसर में 121.64 वर्ग मी० भूमि रास्ता और 66.49 वर्ग मी० भूमि छहारदीवारी के रूप में स्वीकृत किया। इनके के जाने-जाने के आधार पर परिसर से 800 वर्ग मी० भूमि भी श्री श्रीवास्तव उक्त द्वारा छोड़ी गई। इस प्रकार श्री श्रीवास्तव द्वारा सम्पूर्ण क्षेत्र 5989.56 वर्ग मी० में से 4147.48 वर्ग मी० को रिक्त भूमि की परिभाषा में न मानने के आधार पर जमा करके शेष 1942.08 वर्ग मी० भूमि में से 1500 वर्ग मी० भू-धारक के प्रयोज्य हेतु जोड़कर शेष 342.08 वर्ग मी० भूमि अतिरिक्त भूमि घोषित किया।

यह पाया गया कि श्रीवास्तव उक्त द्वारा परिसर की सम्पूर्ण भूमि 5997.38 वर्ग मी० के स्थान पर 5989.56 वर्ग मी० मानकर निर्माण किया गया जिसमें भू-धारक को 7.82 वर्ग मी० का लाभ मिला। प्रमाणित प्रतियोगन में दो गोदामों के क्षेत्र 579.20 व 579.20 वर्ग मी० के दोनों गोदामों का कुल क्षेत्र 1158.40 वर्ग मी० के अनुसार यह गैर आवासीय सेक्टरों के 594.82 एवं 599.75 वर्ग मी० के स्थान पर 776.20 एवं 898.40 वर्ग मी० के गोदाम स्वीकार किया गया। 12.17 वर्ग मी० की कोठरी को गैर आवासीय भवन मानते हुए उत्तरी घोषणाद्वारा के रहने के आधार पर 500 वर्ग मी० भूमि अनुलग्नक के रूप में दिया गया, जो देय नहीं था। यदि आवासीय भवन के आधार पर देय स्वीकृति भी की जाय तो भू-धारक को प्रयोज्य क्षेत्र 1500 वर्ग मी० में से कम से कम 500 वर्ग मी० भूमि निकाल कर ही देय था। भारत सरकार द्वारा निर्मित गाइड लाइन आवास एवं निर्माण मंत्रालय के पत्र संख्या-1/132/76 प्रुसीओ/ दि० 29-12-76 द्वारा निर्दिष्ट है कि पट्टे मार्ग पर स्थित रोड को रिक्त भूमि माना जायेगा। तदनुक के लिए उक्त 800 वर्ग मी० की पूर श्री श्रीवास्तव उक्त द्वारा उक्त निर्माण में दिया जाना अनिवार्य है, क्योंकि निम्न दो गैर आवासीय गोदामों के लिए उक्त छूट दी गयी है इन गोदामों के लिए 1000 वर्ग मी० अनुलग्नक को छूट दी गयी थी, जो गोदामों के प्रयोग हेतु बर्खास्त की और बाँच के समय कोई तदनुक भी निर्मित नहीं बाँची गयी। तलवार ने भू-धारक के पास धमकी में भवन होने का ध्यान दिलाया कि जिसके संकेत में श्रीवास्तव उक्त द्वारा कोई स्पष्टीकरण का वाक्य प्राप्त किये बिना ही उक्त आदेश पारित किया गया। बराबरी में उपलब्ध मानचित्र एवं विवादित परिसर के निरीक्षण से प्रमाणित हुआ है कि परिसर में 594.82 वर्ग मी० एवं 599.75 वर्ग मी० के दो दो गैर आवासीय भवन गोदाम एवं कोठरियों के उनके लिए अधिकतम देय अनुलग्नक भूमि 1000 वर्ग मी०, दो गैर आवासीय कोठरियाँ 22.40 वर्ग मी० एवं उनके लिए देय अनुलग्नक भूमि 44.80 वर्ग मी० एवं चहारदीवारी 66.49 वर्ग मी० योग 2328.26 वर्ग मी० परिसर की सम्पूर्ण भूमि 5997.38 वर्ग मी० में से निकालकर शेष 3669.12 वर्ग मी० भूमि में से भू-धारक के लिए देय प्रयोज्य भूमि 1500 वर्ग मी० निकालकर शेष 2169.12 वर्ग मी० भूमि अतिरिक्त रिक्त होने योग्य थी परन्तु श्री श्रीवास्तव उक्त द्वारा अनिवार्य दंग से उक्त प्रकार से अपने निर्माण दि० 29-6-81 अंतर्गत धारा 8 141 में छोड़ते हुए केवल 342.08 वर्ग मी० भूमि को अतिरिक्त रिक्त घोषित किया इस प्रकार श्री श्रीवास्तव उक्त ने श्री गोयनका



Handwritten signature

उक्त को 1827.04 वर्ग मी० भूमि से लाभान्वित होने का अवसर प्रदान किया ।
 यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि उक्त दिनांक 29-6-81 को श्री श्रीवास्तव उक्त का
 स्थानान्तरण आदेश आ चुका था और वे दि० 30-6-81 को ही कार्यभार छोड़ गये ।

इस प्रकार श्री कमलेश्वर प्रसाद श्रीवास्तव कदापि कर्मचारी के रूप में कार्य नहीं करते हुए
 अशिक्षित भारतीय सेवार्य । आचरण । नियमावली 1968 के नियम -3 के अनुसार अपने
 कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ रहे । अतः वह दुराचरण के दोषी हैं ।

नीरा यादव ।
 सचिव



Handwritten signature

आरोप संख्या-5
=====

आय जब दिनांक 10-3-76 से 30-6-81 तक नगर भूमि सीमा रोपण, वाराणसी में तक्षम अधिकारी पद पर नियुक्त थे, तब आपने नगर भूमि सीमा विनियम अधिनियम 1976, प्रभावी दिनांक 17-2-76 के अधीन निर्धारित सीमा से अधिक भूमि/भवन को जनहित के लिए रिक्त घोषित कर, शासन को प्राप्त होने संबंधी कार्यवाही में पर्याप्त तत्परता न बरत कर उक्त अधिनियम की धारा-6, 8131141, 9, 10, 111121131, 11, 2111121 एवं 38 के प्रावधानों और शासकीय आदेशों के अनुसार अपने दायित्वा का निर्वहन न कर उक्त पद के अपने 5 वर्ष साढ़े तीन माह के कार्यकाल में धारा 8141 के अंतर्गत पारित आदेशों के परिप्रेक्ष्य में रिक्त घोषित भूमि का राज्य शासन के पक्ष में अवाप्ति संबंधी त्वरित कार्यवाही सुनिश्चित न कर बल्कि जानबूझ कर संबंधित रखकर प्रोमती स्नेहलता देवी, सर्वजी राकेश सम0 गुप्ता, रवी सम0 गुप्ता, सुशील कुमार, उषेन्द्र कुमार, सुज पात दास, विनय कुमार, वीरेन्द्र कुमार, अरविन्द कुमार, लालन प्रसाद एवं त्रिषदशन गुप्ता कुल 11 भू-धारकों के नाम नगर क्षेत्र हुकुलगंज वाराणसी की भूमि से संबंधित धारा 6111 की विवरणीय के बाद संख्या क्रमांक: 430, 371, 370, 369, 367, 432, 428, 429, 368, 427, एवं 426 में धारा 8131 के अंतर्गत दी गई नोटिसों के प्रति उत्तर में भू-धारकों द्वारा दिये गये आपत्ति पत्र संबंधी अभिलेखों को पत्रावली में सुरक्षित रखना सुनिश्चित न कर एवं उनके गायब होने के संबंध में अधिलेखों के उत्तरदायित्व निश्चित कर उनके विरुद्ध कार्यवाही सुनिश्चित न कर केवल सुज पात दास से संबंधित वाद सं0 432 में ही सभी उक्त भू-धारकों के भूमि/भवन संबंधी संयुक्त रूप से कार्यवाही कर उक्त भू-धारकों की क्रमांक: 435, 34, 4375, 65, 4459, 645, 38, 1354, 04, 902, 32, 10882, 13, 382, 13, 380, 54, 431, 45 एवं 1542, 32 वर्ग मी0 भूमि अतिरिक्त घोषित करते हुए दिनांक 15-1-80 को धारा 8141 के अधीन आदेश पारित किया किन्तु उक्त में घोषित की गयी अतिरिक्त भूमि को राज्य सरकार में अभ्यर्षित होने वाली त्वरित कार्यवाही न कर धारा 21(1) के अंतर्गत उक्त भू धारकों की ओर से कोई घोषणा-पत्र निर्धारित तिथि दिनांक 1-3-79 तक प्रस्तुत न करने एवं दिनांक 15-1-80 को आपके द्वारा पारित आदेश की तिथि तक धारा 20111 के अधीन भी उक्त भू-धारकों द्वारा कोई आवेदन पत्र न दिये जाने अथवा आदेश पारित किये जाने के काफी दिन बाद उक्त भूधारकों में से मात्र राकेश सम0 गुप्ता, रवी सम0 गुप्ता एवं विनय कुमार द्वारा ही धारा 20111 के अधीन हुट के लिए तक्षम प्राधिकारी वाराणसी कार्यालय के रजिस्टर के क्रमांक 2621, 2622, एवं 2623 पर वर्ष 1983 में दिये गये आवेदन-पत्र एवं अपने कार्यकाल में कोई आवेदन-पत्र न दिये जाने पर भी आपने धारा 20 एवं 21 के अंतर्गत हुट संबंधी मामला संबंधित होने के आधार पर घोषित अतिरिक्त भूमि के अभ्यर्षण संबंधी कार्यवाही रोक कर भू-धारकों को धारा 20 के अंतर्गत आवेदन-पत्र देने के लिए प्रोत्साहित किया। यही नहीं उक्त भू धारकों की अलग-अलग भू-खण्डों एवं स्थानों पर अतिरिक्त रिक्त घोषित भूमि को धारा 21111 के अंतर्गत समाज के कमजोर वर्ग के लिये आवासीय भवनों के निर्माण टिकाकर सभी को एक ही स्थान पर स्वीकृत किया जबकि भू धारकों का कोई घोषणा-पत्र धारा 21111 के अधीन नहीं दिया गया था। इस प्रकार आपने निर्णय देने के पूर्व सैलिलमेंट प्लॉट नं0-6 परिसर सत-10/5 हुकुलगंज वाराणसी का क्षेत्र प्लान सुनिश्चित कराये और समस्त क्षेत्र प्लान 5.61 एकड़ अर्थात् 22703, 67 वर्ग मी0 के स्थान पर 20912.99 वर्ग मी0 मानकर तन्मूर्त भू-धारकों को

MMISSTO

OW

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

1790.68 वर्गमी० भूमि का गणना में अन्तर करके लाभान्वित तो किया ही जाय ही:-

131- उक्त भू-धारकों द्वारा विकास प्राधिकरण वाराणसी द्वारा ले-आउट स्वीकृत कराये गये सम्पूर्ण भूमि के बटवारे का मानचित्र एवं उसमें तहक, पार्क, निर्मित आवासीय भवन दर्शाकर दिये गये अभिलेख का सत्यापन न कर भू-स्थल पर पार्क, तहक न होने पर भी तहक के नाम पर 5521.64 वर्गमी० भूमि की छूट देकर उक्त भू धारकों को लाभान्वित किया।

132-मानचित्र में रेखांकित प्लॉट नं०-33, 34, 35, क्रमशः सुशील कुमार गुप्ता राकेश सम० गुप्ता, रवी सम० गुप्ता के नाम क्रमशः 302, 97, 506, 70 एवं 310.40 वर्ग मी० में प्लॉट नं० 33 व 34 के 1/3 भाग को छोड़कर शेष भाग एवं प्लॉट नं०-35 के सम्पूर्ण भाग में प्रस्तावित रेखांकित तहक व सामने के पार्क में 1 गैर आवासीय भवन रेखांकित का क्षेत्रफल 1344.87 वर्ग मी० मानकर उक्त तीनों भू धारकों के अंश में अलग-अलग क्रमशः 548.33, 560.25, 236.29 वर्ग मी० में गैर आवासीय भवनों को स्वीकार करके प्रत्येक के लिए क्रमशः 418.52, 500, 172.49, योग 1091.01 वर्ग मी० भूमि अधिनियम की धारा 21जी० के अनुसार अधिकतम 500 वर्ग मी० की छूट दिये जाने एवं भारत सरकार द्वारा निर्गत गारहड लाइन में आवास एवं निमाण भंसाय के पत्रांक 1/132/76 यु० सी०ए० दिनांक 18-11-76 एवं 1/132/76यु०सी०ए००131 दिनांक 18-11-76 में एक भवन को एक ही अनुलग्नक देय होने के निर्देशों की उपेक्षा कर उक्त मकान के नाम पर 11091.01-500=591.01 वर्गमी० भूमि की अधिक छूट देकर उक्त भू-धारकों को लाभान्वित किया।

133 मानचित्र में रेखांकित प्रियदर्शन गुप्ता के नाम के प्लॉट नं० 14, 15, 16, 17, 18, 43, 44, 45 में कोई गैर आवासीय भवन न होने पर भी उनके हिस्से में 44.68 वर्ग मी० में गैर आवासीय भवन एवं उसके लिए 89.76 वर्गमी० अनुलग्नक के रूप में योग 134.44 वर्गमी० दर्शाकर 268, 44 वर्गमी० भूमि उक्त भू-धारक के पक्ष में अवमुक्त कर लाभान्वित किया।

134 भू-धारकों द्वारा दाखिल पारितर के रेखांकित मानचित्र में श्री लालन प्रसाद गुप्ता को आवंटित अंश 379 वर्गमी० में आवासीय भवन निर्मित होना दर्शाये जाने के आधार पर प्रथम अनुलग्नक के रूप में 355 वर्गमी० एवं द्वितीय अनुलग्नक के रूप में 500 वर्गमी० योग 1234 वर्गमी० भूमि पारितर की सम्पूर्ण भूमि 1784 वर्गमी० में से निकालकर 550 वर्गमी० भूमि को तीर्थांग में होना उक्त भू धारक की ओर से प्रदर्शित किये जाने के संबंध में 379 वर्गमी० के स्थान पर 380.39 वर्ग मी० गैर आवासीय स्वीकार करके उसके लिये अनुलग्नक के रूप में 500 वर्गमी० योग 880.39 वर्गमी० की अनिवार्य छूट देकर भू धारक को लाभान्वित किया एवं उक्त भवन को भू धारक द्वारा आवासीय दर्शाने पर भी आवासीय न मानकर उक्त क्षेत्रफल को प्रयोज्य क्षेत्र में दी गई भूमि में सम्मिलित कर के अतिरिक्त रिक्त भूमि घोषित नहीं किया।

135 भू धारकों द्वारा अधिष्ठापित पारितर रत 10/252-4डी, 10/253 स्थित मुहल्ला हुकूमत वाराणसी में एक मुख्य आवासीय भवन के आपसी बटवारे में पीछे का भाग भीमसी स्नेहमता देवी, तबड़ी उपेन्द्र कुमार, सुशील कुमार, रवी सम० गुप्ता, राकेश सम० गुप्ता के अंश में, सामने का हिस्सा श्री वृजपद दास, उनकी पत्नी रमा देवी दयशक पुत्र विनय कुमार/ विरेन्द्र कुमार/अरविन्द कुमार के अंश में दिया जाना दर्शाये जाने के अनुसार पर की भूमि के लिये



Handwritten signature

श्रीमती स्नेहलता देवी आदि के भाग में 2 भवन क्रमशः 530.80 एवं 86.98 वर्ग मी० को मान कर प्रथम एवं द्वितीय अनुलग्नक के रूप में क्रमशः 1000 एवं 665.26 वर्ग मी० भूमि तथा श्री वृजपाल दास आदि के भाग के एक भवन 1130.93 वर्गमी० के लिये प्रथम एवं द्वितीय अनुलग्नक के रूप में 1000 वर्गमी० अथवा कुल 11000 $\pm$ 665.26 $\pm$ 1000 = 2665.26 वर्गमी० भूमि की छूट प्रदान कर आपने उक्त अधिनियम की धारा-2(जी) एवं उक्त शासनादेश के अनुसार उक्त भवन के लिये प्रथम एवं द्वितीय अनुलग्नक के रूप में कुल 1000 वर्गमी० भूमि की देय छूट के विपरीत 12665.26-1000 = 1665.26 वर्गमी० भूमि की अधिक छूट देकर उक्त भू-धारकों को लाभान्वित किया तथा उक्त परिसर में उक्त भवन के सामने बीसों वर्ष पुराने लगे वृक्षों में भूस्थल पर कोई प्लेट फार्म न होने पर भी एक प्लेटफार्म स्वीकार करके भू-धारकों द्वारा प्रस्तुत किये गये मानचित्र में उक्त भाग को पार्किंग के प्रयोग दर्शाये जाने पर भी अतिरिक्त परिसर की अप्रोच/सर्विस रोड के नाम पर उक्त परिसर में उक्त भू-धारकों को गैर आवासीय /आवासीय भवनों के लिये 4342.18 वर्गमी० भूमि अनुलग्नक के रूप में छोड़े जाने के बावजूद भारत सरकार के निर्माण एवं आवास मंत्रालय द्वारा निर्गत गाइड/पत्र संख्या: 1/132/76 यू०सी०यू० दिनांक 4-1-77 द्वारा अप्रोच रोड/सर्विस रोड को रिक्त भूमि की परिभाषा में माने जाने के निर्देशों को उपेक्षा कर 2516.68 वर्गमी० भूमि अवमुक्त कर उक्त भू-धारकों को लाभान्वित किया।

181- श्री सुशील कुमार पुत्र बाबन दास के स्वामित्व के भवन सं० 10/266 हुकुलगंज वाराणसी के सम्पूर्ण क्षेत्रफल 2875.62 वर्गमी० में (भूधारक द्वारा आयकर विभाग वाराणसी में सम्पत्ति कर के लिए प्रस्तुत किये गये रिटर्न में 2952.56 वर्गमी० अंकित) आपने 1336.18 वर्गमी० के निर्मित 4 गैर आवासीय भवनों एवं उनके लिये प्रथम अनुलग्नक के रूप में 1380.84 वर्गमी० भूमि योग 2717.02 वर्गमी० भूमि को, उक्त भू-धारक की ओर से उक्त चारों भवनों को गैर आवासीय होने को प्रमाणित करने के लिए कोई प्रमाण-पत्र न दिये जाने पर भी अनियमित ढंग से छूट प्रदान की।

182- श्री अरविन्द कुमार पुत्र श्री वृजपाल दास के स्वामित्व के भवन सं०-10/254 हुकुलगंज वाराणसी के क्षेत्रफल 2056.87 वर्ग मी० में 996.12 वर्गमी० के निर्मित 4 गैर आवासीय भवनों एवं उनके लिये देय अनुलग्नक के रूप में 1045.68 वर्गमी० सम्पूर्ण योग 2041.80 वर्गमी० के स्थान पर आपने अपने निर्णय में 2041.37 वर्गमी० भूमि की छूट प्रदान की जबकि उक्त चारों भवनों को गैर आवासीय होने को प्रमाणित करने के लिए भू-धारक की ओर से कोई प्रमाण नहीं दिया गया था।

183- श्री उपेन्द्र कुमार पुत्र श्री बाबन दास के स्वामित्व के भवन सं०-10/263 हुकुलगंज वाराणसी के संबंध में उनके द्वारा धारा 6111 के अंतर्गत प्रस्तुत की गयी विवरणी में स्वयं द्वारा धारित 211.70 वर्गमी० के भवन का होना अंकित किया गया था किन्तु आपने अपने पारित निर्णय में उक्त परिसर के संबंध में कोई आदेश पारित नहीं किया।

184- श्री वृजपाल दास आदि से संबंधित मे० शिवराज पोल्ड्री एवं अग्रीकल्चर फार्म की आगरा नगरी क्षेत्र में स्थित 71645 वर्गमी० भूमि जिसे



Handwritten signature

सक्षम प्राधिकारी आगरा ने रिक्त घोषित करके धारा 20 के अंतर्गत छूट देने हेतु एवं वाराणसी नगर में स्थित तर्कश्री राकेश सम0 गुप्ता, रवी सम0 गुप्ता एवं विनय कुमार द्वारा धारित क्रमशः 4375.06 वर्ग मी0, 4459.85 वर्गमी0 एवं 10882.13 वर्गमी0 भूमि को उक्त भूधारकों की मुख्य आजीविका व्यापार होने से कृषि कार्य हेतु छूट देने का कोई औचित्य न होने पर भी आपने अतिरिक्त रिक्त भूमि घोषित किया था।

इस प्रकार आप कदाशयतापूर्ण व्यवहार कर अखिल भारतीय सेवायें । आचरण। नियमावली 1968 के नियम-3 के अधीन अपने कर्तव्यों का निर्वहन न कर दुराचरण के दोषी हैं।



आज्ञा से,

। नीरा यादव ।
सचिव

N. S. Yadav

श्री कमलेश्वर प्रसाद श्रीवास्तव, आई०एस०एस० तत्कालीन सक्षम प्राधिकारी,
नगर भूमि सीमारोपण, वाराणसी के विरुद्ध आरोप संख्या-5 से संबंधित साक्ष्य मेमो।

अभिलेखीय साक्ष्य मेमो

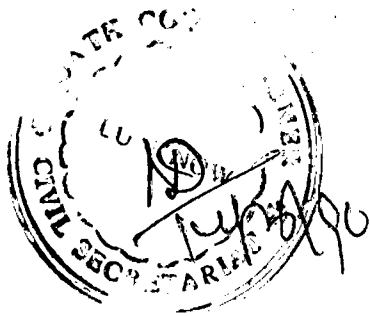
क्रमांक	अभिलेख	साक्षी का नाम	प्रमाणित होगा
1-	अ०शा०पत्रसं० 2158/उत्तातिस-3 -3एस०1171/1984 दिनांक 24-8-84	श्री के० पी० मणि त्रिपाठी, तत्कालीन पुलिस उपा- धीक्षक, उ०प्र० सतर्कता अधिष्ठान, वाराणसी	शासनादेश जितके द्वारा जांच/अन्वेषण सतर्कता अधिष्ठान को सुपुर्दहुई।
2-	अ०शा०पत्रसं० स०अ०/अनु-2- 171/84 दि० 31 अगस्त, 1984	तदैव	वरिष्ठ पुलिस उपाधी- क्षक, जांच उ०प्र० सतर्कता अधिष्ठान, लखनऊ का पत्र जितके द्वारा जांच वाराणसी परिक्षेत्र को आवंटित की गयी।
3-	पुलिस अधीक्षक, उ०प्र० सतर्कता अधिष्ठान, वाराणसी का आदेश सं० स०अ०/अनु-2-171/84 दि० 28-9-84	तदैव	आदेश जितके द्वारा जांच / अन्वेषण पुलिस उपाधीक्षक, श्री के० पी० मणि त्रिपाठी, सतर्कता अधिष्ठान, वाराणसी को सुपुर्द की गयी।
4-	नगर भूमि अनुभाग, उ०प्र० शासन का शासनादेश सं० 143/उन्वात- 275यू०सी०/8 दि० 18-2-81	श्री के० पी० मणि त्रिपाठी उक्त	धारा 20 नगर भूमि सीमा एवं विनियमन। अधिनियम 1976 के अंतर्ग. त छूट को निश्चय करने संबंधी आदेश एवं निर्देश प्रमाणित होगा।
5-	नगरभूमि अनुभाग, उ०प्र० शासन का शासनादेश सं० 4873/उन्वात- 188 यू०सी०/8 दि० 18-2-81	तदैव	तदैव
-	नगर भूमि अनुभाग, उ०प्र० शासन का शासनादेश सं० 875/उन्वात- 11यू०सी०/76 दि० 11 मार्च, 1980	श्री के० पी० मणि त्रिपाठी उक्त	दुर्बल वर्ग आवासव्यवस्था के संबंध में धारा 21 का छूट के संबंध में निर्देश प्रमाणित होगा

Handwritten signature



A123

W. B. Anderson



1124

तद्वैद्य

- 3- श्री विरेन्द्र कुमार पुत्र बृजपालदास
पता उपरोक्त
- 4- श्री अरुण कुमार जैन, तत्कालीन लिपिक,
न०भू० सी० वाराणसी
- 5- श्री के० पी० मणि त्रिपाठी, सेवानिवृत्त
पुलिस उपाधीक्षक, औरंगाबाद, वाराणसी

श्री के० पी० श्रीवास्तव, तत्कालीन तक्षम
प्राधिकारी न०भू०सी०, वाराणसी के लेख व
हस्ताक्षर प्रमाणित करेंगे।

श्री के० पी० श्रीवास्तव, तत्कालीन तक्षम
प्राधिकारी न०भू०सी०, वाराणसी के विरुद्ध
खुली जांच/अन्वेषण किया जाना ताबित है
करेंगे।

। नीरा यादव ।

सचिव



Urdu

श्री कमलेश्वर प्रसाद श्रीवास्तव, आईओएसओ तत्कालीन सक्षम प्राधिकारी,
नगर भूमि सीमा रोपण वाराणसी के विरुद्ध आरोप सं०-5 से संबंधित सुसंगत
तथ्यों का कथन:-

श्री कमलेश्वर प्रसाद श्रीवास्तव, उक्त दिनांक 10-3-76 से दि० 30-6-80 तक सक्षम प्राधिकारी, नगर भूमि सीमा रोपण वाराणसी के पद पर नियुक्त थे।
उक्त अवधि में 111- श्रीमती स्नेहलता देवी पत्नी स्व० बाबू लाल, 121- श्री राकेश
एम० गुप्ता, 131- श्री रवी एम० गुप्ता पुत्र स्व० महेन्द्र कुमार गुप्ता 141 श्री सुशील
कुमार पुत्र स्व० बावन दास, 151- श्री उपेन्द्र कुमार पुत्र स्व० श्री बावन दास 161
श्री वृजपाल दास पुत्र बाबू जी दास 171 श्री विजय कुमार पुत्र श्री वृजपाल दास,
181- श्री वीरेन्द्र कुमार पुत्र श्री वृजपाल दास, 191 श्री अरविन्द कुमार पुत्र श्री
श्री वृजपाल दास 1101- श्री लल्लन प्रसाद पुत्र स्व० बाबू जी दास, 1111 श्री प्रिय-
दर्शन गुप्ता पुत्र श्री लल्लन प्रसाद गुप्ता निवासी हुकुलगंज वाराणसी ने शहर वाराणसी
में अपने अपने नगरी भूमि/भवन के संबंध में धारा-6111 के अंतर्गत विवरणी श्री के०पी०
श्रीवास्तव उक्त के समक्ष प्रस्तुत किया। श्री श्रीवास्तव ने भूमि/भवन का सर्वेक्षण
कराकर धारा 8131 के अंतर्गत नोटिस देकर सभी उक्त भू-धारकों के संबंध में निर्णय
पत्रावली संख्या-432/647/79-80 बनाम श्री वृजपाल दास झकजाई स्थ में दिनांक
15-1-80 को पारित किया उक्त भू-धारकों से संबंधित धारा-8131 की नोटिस
दि० 4-1-79 पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। श्री वृजपाल दास द्वारा विवरणी में
वाराणसी व आगरा की भूमि/भवन का विवरण व अपनी पत्नी रमा देवी के नाम
भूमि/भवन का विवरण भी अंकित किया। श्री श्रीवास्तव द्वारा उक्त धारा 8141 का
निर्णय दिये जाने के पूर्व सक्षम प्राधिकारी आगरा के यहां से विवरण मगाने हेतु पत्र
निर्गत किया गया था परन्तु उसका जवाब नहीं प्राप्त हुआ। श्री वृजपाल दास की
ओर से आयुक्त एवं निदेशक नगर भूमि सीमा रोपण निदेशालय लखनऊ को सक्षम
प्राधिकारी श्री बनारसी दास द्वारा प्रेषित पत्रांक दिनांक 5-10-77 के अवलोकन से
पाया गया कि आगरा में श्री वृजपाल दास द्वारा धारित 75655.845 वर्गमी०
भूमि में से 71645.0017 वर्गमी० को धारा 20 के अंतर्गत छूट दिये जाने की संस्तुति
की गयी थी। श्री श्रीवास्तव ने दि० 15-1-80 को धारा-8141 के अंतर्गत निर्णय
के साथ श्री दिनेश कुमार सर्वेधर द्वारा तैयार संलग्न गणक तालिका-क, क-1, क-2,
क-3, एवं स में विवरित एवं सूची क्रमांक 1 से 11 के अनुसार वाराणसी नगरी क्षेत्र
में उक्त सभी 11 भू-धारकों की क्रमशः 435.34, 4375.65, 4459.83, 695.38,
1354.04, 902.35, 1882.13, 382.83, 380.54, 431.45 एवं 1542.32
वर्गमीटर भूमि अतिरिक्त रिक्त घोषित किया।



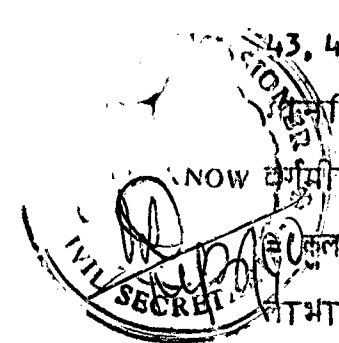
Signature

T-
के
के
नांक
श्रीव
है।

भू-धारकों ने उक्त परिसर में आपसी बटवारे के आधार पर सम्पूर्ण भूमि के बारे में एक मानचित्र सड़क, पार्क निर्मित भवनों को अंशित करते हुए प्रस्तुत किया, जो विकास प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत नहीं था। नगर भूमि सीमा रोपण की कार्यवाही के अंतर्गत भू-धारकों द्वारा दिये गये मानचित्र सड़क व पार्क के नाम पर छूट देकर इस क्षेत्रफल को समानुपातिक रूप में प्रत्येक भू-धारक के अंश में सम्मिलित करके 5521.64 वर्गमी० छूट देकर लाभान्वित किया गया, जो नियमानुसार देय नहीं था।

उक्त मानचित्र में रेखांकित प्लॉट नं०-33, 34, 35 का क्षेत्रफल क्रमशः 302.97, 306.70, 310.40 वर्ग मी० है। प्लॉट नं०-33 व 34 के 1/3 भाग को छोड़कर शेष भाग एवं प्लॉट नं० 35 के सम्पूर्णभाग में प्रस्तावित रेखांकित सड़क व सामने के पार्क में एक गैर आवासीय भवन के रेखांकित का क्षेत्रफल 1344.87 वर्गमी० मानकर उक्त तीनों भू-धारकों के अंश में अलग-अलग क्रमशः 548.33, 560.25, 236.29 वर्ग मी० में गैर आवासीय भवनों को स्वीकार के प्रत्येक के लिए क्रमशः 418.52, 500, 172.49 योग 1091.01 वर्गमी० भूमि अधिनियम की धारा-21जी के अनुसार अधिकतम 500 वर्ग मी० को छूट दिये जाने एवं भारत सरकार द्वारा निर्गत गाइड लाइन में आवास एवं निर्माण मंत्रालय के पत्रांक 1/132/76 यू०सी०यू० दिनांक 18-11-76 एवं 1/132/76 यू०सी०यू०॥तीन॥ दिनांक 18-11-76 में एक भवन में एक ही अनुलग्नक देय होने की निर्देशों की उपेक्षा कर उक्त भवन के नाम पर 11091.01-5001=591.01 वर्गमी० भूमि की अधिक छूट देकर उक्त भू-धारकों को लाभान्वित किया।

श्री प्रिय दर्शन गुप्ता के अंश में आवंटित प्लॉटों 14, 15, 16, 17, 18, 43, 44, 45, में कोई निर्मित आवासीय या गैर आवासीय निर्मित भवन मानचित्र में अंशित नहीं है फिर भी श्री श्रीवास्तव द्वारा उनके अंश में 44.68 वर्गमी० गैर आवासीय भवन दर्शाकर अनुलग्नक के रूप में 144.68+89.76=234.44 वर्गमी० भूमि को दर्शाकर 264.44 वर्गमी० छूट दी गयी और लाभान्वित किया गया। उक्त मानचित्र में श्री रस०पी० गुप्ता के अंश में 379 वर्ग मी० में आवासीय भवन का निर्मित होना प्रदर्शित है और उसी लिए देखा मानचित्र में प्रथम अनुलग्नक के रूप में 355 वर्गमी० एवं द्वितीय अनुलग्नक के रूप में 500 वर्गमी० कुलयोग 1234 वर्गमी० परिसरकी तगस्त भूमि 1724 में से निकाल कर 550 वर्गमी० भूमि भू-धारक द्वारा सीलिंग में होना प्रदर्शित किया गया था। किन्तु उक्त भवन को श्री श्रीवास्तव द्वारा 380.39 वर्गमी० में गैर आवासीय भवन मानकर 380.39 वर्गमी० एवं अनुलग्नक 500 वर्गमी० की छूट देकर लाभान्वित



Subbaraman

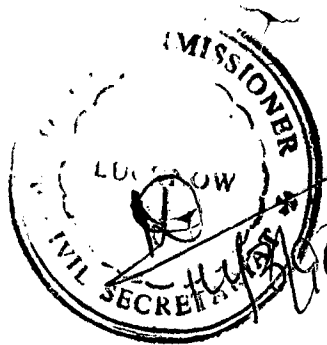
सर्वश्री वीरेन्द्र कुमार, उपेन्द्र कुमार, पी०डी० गुप्ता, लल्लन प्रसाद गुप्ता, राकेश एम० गुप्ता, तुशील कुमार गुप्ता, रवी एम० गुप्ता और धृजपाल दास ने दिनांक 16-11-79 को, सर्वश्री एल०पी० गुप्ता, धिनय कुमार गुप्ता, अरविन्द्र कुमार गुप्ता, पी०डी० गुप्ता, ने दिनांक 1-12-79 को अलग-अलग सक्षम प्राधिकारी वाराणसी को संबोधित करते हुए प्रार्थना पत्र अपने द्वारा धारित भूमि/भवन सं०-एस-10/5, एस-10/253, एस०-10/252, 4-डी, का सर्वेक्षण कराना अंकित कर प्रत्येक द्वारा धारित अधिक भूमि का एक जगह एस-10/5 के दक्षिणी छोर पर कमजोर घर्षों के लिए आवासीय भवनों का निर्माण हेतु अंकित करने के लिए दिया। श्री श्रीवास्तव द्वारा धारा-8141 के निर्णय में घोषित उक्त अतिरिक्त रिक्त भूमि के अधिग्रहण की विधिक कार्यवाही धारा-20 व 21 के अंतर्गत भू-धारकों द्वारा छूट हेतु दिये गये आपेदन-पत्रों के आधार पर स्थगित कर दिया गया जबकि भू-धारकों द्वारा छूट हेतु प्रार्थना-पत्र अंकित करने की अंतिम नियत तिथि दि० 31-3-79 के पूर्व कोई छूट संबंधी प्रार्थना-पत्र दिया जाना नहीं पाया गया और न ही कोई कार्यवाही उक्त छूट के संबंध में संबंधित पायी गई। इस प्रकार श्री श्रीवास्तव द्वारा भू-धारकों का हित साधन किया गया। श्री श्रीवास्तव द्वारा उक्त भू-धारकों से संबंधित भूमि/भवन की आपसी बटवारा के आधार पर बटा हुआ मानकर उक्त निर्णय दिया गया जो बटवारा मात्र सम्पत्ति कर/आयकर बचाने के उद्देश्य से उक्त भू-धारकों द्वारा पत्नियों/विधवाओं/नाबालिक बच्चों के नाम किया गया था। अतः श्री श्रीवास्तव द्वारा आपसी बटवारे को मानकर उक्त की गयी कार्यवाही नगर भूमि सोमा रोपण अधिनियम एवं नियमावली के अनुसार नहीं था। भवन सं० एस-10/5 नगर गहापालिका के कर अधीक्षक के पत्र दि० 20-7-71 द्वारा भी एकजोड़ सम्पत्ति थी। उक्त तीनों परिसरों का क्षेत्रफल कितना था, को प्रमाणित करने के लिए भू-धारकों ने कोई प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं किया। श्री श्रीवास्तव द्वारा इसकी सुनिश्चित न कराकर भवन सं०-एस-10/5 के बटवारे के आधार पर क्षेत्रफल मानकर निर्णय दिया गया। श्री श्रीवास्तव द्वारा परिसर में सड़क न होते हुए भी सड़क के नाम पर छूट दी गई। भवन सं० एस-10/5 का रकबा बिनामा के कागजात से 8 बीघा 19 बिस्वा 13 धूर तथा मेसर्स श्री दास एण्ड सन्स द्वारा आयकर बैलुअर 30 महात्मा गांधी मार्ग इलाहाबाद को प्रेषित पत्र दिनांक 10-8-78 से रकबा 5.41 एकड़ अर्थात् 22603 वर्गमी० है जबकि श्री श्रीवास्तव ने उक्त भवन का सम्पूर्ण क्षेत्रफल 2021.99 वर्गमी० मानकर निर्णय किया है। इस प्रकार 1799.68 वर्ग मी० भूमि से भू-धारकों को लाभान्वित किया।



Handwritten signature

श्री कमलेश्वर प्रसाद श्रीवास्तव, आई०ए०एस० तत्कालीन सक्षम प्राधिकारी, नगर भूमि सीमा रोपण वाराणसी के विस्तार आरोप सं०-5 से संबंधित ससंगत तथ्यों का कथन:-

श्री कमलेश्वर प्रसाद श्रीवास्तव, उक्त दिनांक 10-3-76 से दि० 30-6-81 तक सक्षम प्राधिकारी, नगर भूमि सीमा रोपण वाराणसी के पद पर नियुक्त थे। उक्त अवधि में 111- श्रीमती स्नेहलता देवी पत्नी स्व० बाबू लाल, 121- श्री राकेश रम० गुप्ता, 131-श्री रवी रम० गुप्ता पुत्र स्व० महेन्द्र कुमार गुप्ता 141 श्री सुशील कुमार पुत्र स्व० बावन दास, 151-श्री उपेन्द्र कुमार पुत्र स्व० श्री बावन दास 161 श्री वृजपाल दास पुत्र बाबू जी दास 171 श्री विजय कुमार पुत्र श्री वृजपाल दास, 181- श्री वीरेन्द्र कुमार पुत्र श्री वृजपाल दास, 191 श्री अरविन्द कुमार पुत्र श्री वृजपाल दास 1101- श्री लल्लन प्रसाद पुत्र स्व० बाबू जी दास, 1111 श्री प्रियदर्शन गुप्ता पुत्र श्री लल्लन प्रसाद गुप्ता निवासी हुकुलगंज वाराणसी ने शहर वाराणसी में अपने अपने नगरी भूमि/भवन के संबंध में धारा-6111 के अंतर्गत विवरणी श्री के०पी० श्रीवास्तव उक्त के समक्ष प्रस्तुत किया। श्री श्रीवास्तव ने भूमि/भवन का सर्वेक्षण कराकर धारा 8131 के अंतर्गत नोटिस देकर सभी उक्त भू-धारकों के संबंध में निर्णय पत्रावली संख्या-432/647/79-80 यनाम श्री वृजपाल दास झुकाई रूप में दिनांक 15-1-80 को पारित किया उक्त भू-धारकों से संबंधित धारा-8131 की नोटिस दि० 4-1-79 पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। श्री वृजपाल दास द्वारा विवरणी में वाराणसी व आगरा की भूमि/भवन का विवरण व अपनी पत्नी रमा देवी के नाम भूमि/भवन का विवरण भी अंकित किया। श्री श्रीवास्तव द्वारा उक्त धारा 8141 का निर्णय दिये जाने के पूर्व सक्षम प्राधिकारी आगरा के यहां से विवरण मगाने हेतु पत्र निर्गत किया गया था परन्तु उसका जवाब नहीं प्राप्त हुआ। श्री वृजपाल दास की ओर से आयुक्त एवं निदेशक नगर भूमि सीमा रोपण निदेशालय लखनऊ को सक्षम प्राधिकारी श्री बनारसी दास द्वारा प्रेषित पत्रांक दिनांक 5-10-77 के अवलोकन से पाया गया कि आगरा में श्री वृजपाल दास द्वारा पारित 75655.845 वर्गमी० भूमि में से 71645.0017 वर्गमी० को धारा 20 के अंतर्गत छूट दिये जाने की संस्तुति की गयी थी। श्री श्रीवास्तव ने दि० 15-1-80 को धारा-8141 के अंतर्गत निर्णय के साथ श्री दिनेश कुमार सर्वेधर द्वारा तैयार संलग्न गणक तालिका-क, क-1, क-2, क-3, एवं ख में विवर्णित एवं सूची क्रमांक 1 से 11 के अनुसार वाराणसी नगरी क्षेत्र में उक्त सभी 11 भू-धारकों की क्रमशः 435.34, 4375.65, 4459.83, 695.38, 1354.04, 902.35, 1882.13, 382.83, 380.54, 431.45 एवं 1542.32 वर्गमीटर भूमि अतिरिक्त रिक्त पोषित किया।



Handwritten signature

भू-धारकों ने उक्त परिसर में आपसी बटवारे के आधार पर सम्पूर्ण भूमि के बारे में एक मानचित्र तैयार, पार्क निर्मित भवनों को अंकित करते हुए प्रस्तुत किया, जो विकास प्रबंधन द्वारा स्वीकृत नहीं था। नगर भूमि सीमा रोपण की कार्यवाही के अंतर्गत भू-धारकों द्वारा दिये गये मानचित्र तैयार व पार्क के नाम पर छूट देकर इस क्षेत्रफल को समानुपातिक रूप में प्रत्येक भू-धारक के अंश में सम्मिलित करके 5521.64 वर्गमी० छूट देकर लाभान्वित किया गया, जो नियमानुसार देय नहीं था।

उक्त मानचित्र में रेखांकित प्लॉट नं०-33, 34, 35 का क्षेत्रफल क्रमशः 302.97, 306.70, 310.40 वर्ग मी० है। प्लॉट नं०-33 व 34 के 1/3 भाग को छोड़कर शेष भाग एवं प्लॉट नं० 35 के सम्पूर्णभाग में प्रस्तावित रेखांकित तैयार व सामने के पार्क में एक गैर आवासीय भवन के रेखांकित का क्षेत्रफल 1344.87 वर्गमी० मानकर उक्त तीनों भू-धारकों के अंश में अलग-अलग क्रमशः 548.33, 560.25, 236.29 वर्ग मी० में गैर आवासीय भवनों को स्वीकार के प्रत्येक के लिए क्रमशः 418.52, 500, 172.49 योग 1091.01 वर्गमी० भूमि अधिनियम की धारा-21जी के अनुसार अधिकतम 500 वर्ग मी० को छूट दिये जाने एवं भारत सरकार द्वारा निर्मित गाइड लाइन में आवास एवं निर्माण मंत्रालय के पत्रांक 1/132/76 यू०सी०यू० दिनांक 18-11-76 एवं 1/132/76 यू०सी०यू० दिनांक 18-11-76 में एक भवन में एक ही अनुलग्नक देय होने की निर्देशों की उपेक्षा कर उक्त भवन के नाम पर 11091.01-5001=591.01 वर्गमी० भूमि की अधिक छूट देकर उक्त भू-धारकों को लाभान्वित किया।

श्री प्रिय दर्शन गुप्ता के अंश में आवंटित प्लॉटों 14, 15, 16, 17, 18,

43, 44, 45, में कोई निर्मित आवासीय या गैर आवासीय निर्मित भवन मानचित्र में अंकित नहीं है फिर भी श्री श्रीवास्तव द्वारा उनके अंश में 44.68 वर्गमी० गैर आवासीय भवन दर्शाकर अनुलग्नक के रूप में 144.68+89.76=

234.44 वर्गमी० भूमि को दर्शाकर 264.44 वर्गमी० छूट दी गयी और लाभान्वित किया गया। उक्त मानचित्र में श्री रतनजी० गुप्ता के अंश में 379 वर्ग मी० में आवासीय भवन का निर्मित होना प्रदर्शित है और उसके लिए देखा मानचित्र में प्रथम अनुलग्नक के रूप में 355 वर्गमी० एवं द्वितीय अनुलग्नक के रूप में 500 वर्गमी० कुल योग 1234 वर्गमी० परिसर की समस्त भूमि 1704 में से निकाल कर 550 वर्गमी० भूमि भू-धारक द्वारा सीलिंग में होना प्रदर्शित किया गया था, किन्तु उक्त भवन को श्री श्रीवास्तव द्वारा 380.39 वर्गमी० में गैर आवासीय भवन मानकर 380.39 वर्गमी० एवं अनुलग्नक 500 वर्गमी० की छूट देकर लाभान्वित



Handwritten signature

लाभान्वित किया गया, क्योंकि आवासीय भवन मानने से 880.39 वर्गमी के कारण रिक्त की परिभाषा में आता है। इस प्रकार 880.39 वर्गमी से भू-धारक को लाभान्वित किया गया। भू-धारकों ने संश्लिष्ट परिसर सत-10/252, 4-डी, 10/253 स्थित मुहल्ला हुकुलगंज वाराणसी में एक मुख्य आवासीय भवन के आपसी बटवारे में पीछे का भाग श्रीमती स्नेहलता देवी, सर्वश्री उपेन्द्र कुमार, रवी रामगुप्ता, राधेश रामगुप्ता के अंश में तथा सामने का हिस्सा श्रीवृजपाल दास उनकी पत्नी रमा देवी उनके वयस्क पुत्र सर्वश्री विनय कुमार, वीरेन्द्र कुमार, अरविन्द कुमार के अंश में दिया जाना एवं उसको रेखांकित मानचित्र में प्रदर्शित किया गया था। एक ही भवन के लिए श्रीमती स्नेहलता देवी आदि के नाम में दो भवन क्रमशः 530.80 वर्गमी० एवं 86.98 वर्गमी० को मानकर प्रथम एवं द्वितीय अनुलग्नक के रूप में क्रमशः 1000 वर्गमी० एवं 665.26 वर्गमी० भूमि तथा श्री वृजपाल दास आदि के भाग के एक भवन 1130.93 वर्गमी० के लिए प्रथम अनुलग्नक एवं द्वितीय अनुलग्नक के रूप में 1000 वर्गमी० अर्थात् 2665.26 वर्गमी० की छूट श्री श्रीवास्तव द्वारा दिया गया जबकि अधिनियम की धारा 21जी० के अनुसार एवं भारत सरकार के आवास एवं निर्माण मंत्रालय के पत्रांक उक्त दिनांकित 18-11-76 के अनुसार उक्त भवन के लिए प्रथम अनुलग्नक एवं द्वितीय अनुलग्नक के रूप में कुल 1000 वर्गमी० भूमि की छूट ही देय है। इस प्रकार श्री श्रीवास्तव ने उक्त भू-धारकों को उक्त भवन के नाम पर 1665.26 वर्गमी० भूमि की अधिक छूट देकर लाभान्वित किया।

उक्त परिसर में उक्त भवन के सामने जितने बीसों वर्ष पुराने पेड़ लगे हैं, में एक प्लेट फार्म स्वीकार करके जबकि भू-स्तर पर कोई प्लेटफार्म नहीं है और भू-धारकों द्वारा प्रस्तुत किये गये मानचित्र में उक्त भाग को पार्किंग के रूप में प्रयोग होना प्रदर्शित है, के अतिरिक्त परिसर की एप्रोच रोड, सर्विस रोड के नाम पर 2516.68 वर्गमी० भूमि को श्री श्रीवास्तव उक्त द्वारा मुक्त कर दिया गया, जबकि उक्त परिसर में भू-धारकों को चार आवासीय भवनों एवं आवासीय भवनों के लिए 4342.18 वर्गमी० भूमि अनुलग्नक के रूप में छोड़ी गई थी। भारत सरकार के निर्माण एवं आवास मंत्रालय द्वारा निर्गत गाइड लाइन पत्र सं०-1/132/76 यू०सी०यू० दिनांक 4-1-77 द्वारा एप्रोच रोड, सर्विस रोड आदि को रिक्त भूमि की परिभाषा में माना जाना निर्दिष्ट है, अतः श्री श्रीवास्तव उक्त द्वारा उक्त 2516.68 वर्गमी० भूमि भू-धारकों के पथ में मुक्त करके उन्हें लाभान्वित किया गया।

श्री सुशील/पुत्र श्री बाबन दास के स्वामित्व के भवन सं० सत-10/266

1129

हुकुलगंज वाराणसी के सम्पूर्ण क्षेत्रफल 2875.62 वर्गमी० में श्री श्रीवास्तव ने 1336.18 वर्गमी० में 4 गैर आवासीय भवनों एवं उनके लिए प्रथम अनुलग्नक के रूप में 1380.84 वर्गमी० भूमि सम्पूर्ण 2717.02 वर्गमी० भूमि की छूट उक्त भवनों को गैर आवासीय होने का प्रमाण-पत्र भू-धारकों को ओर से न दिये जाने के फलस्वरूप भी मुक्त कर दिया गया। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि उक्त भू-धारक द्वारा आयकर के संबंध में प्रस्तुत किये गये रिटर्न में उक्त परिसर का क्षेत्रफल 32200 वर्ग फीट अर्थात् 2992.565 वर्गमी० होना अंकित किया गया था।

श्री अरविन्द कुमार पुत्र श्री वृज पाल दास के स्वामित्व के भवन सं०-एस्-1/264 हुकुलगंज, वाराणसी के क्षेत्रफल 2056.87 वर्गमी० में 996.12 वर्गमी० के निर्मित 4 गैर आवासीय भवनों एवं उनके लिए देय अनुलग्नक के रूप में 1045.68 वर्गमी० सम्पूर्ण योग 2041.80 वर्गमी० के स्थान पर श्री श्रीवास्तव उक्त ने 2041.37 वर्गमी० की छूट भू-धारकों द्वारा उक्त भवनों को गैर आवासीय भवन होने का प्रमाण-पत्र दि जेम्स पर भी मुक्त कर दिया गया।

श्री उपेन्द्र कुमार पुत्र श्री बावन दास के स्वामित्व के भवन सं० एस्-10/263 हुकुलगंज वाराणसी के संबंध में उन्होंने धारा-611 के अंतर्गत दाखिल की गयी विवरणी में अपने द्वारा धारित 214.70 वर्गमी० भवन का होना अंकित किया था किन्तु श्री श्रीवास्तव ने उक्त परिसर के संबंध में कोई कार्यवाही नहीं की। यह भवन मीके पर किसी अन्य के प्रयोग में नहीं है।

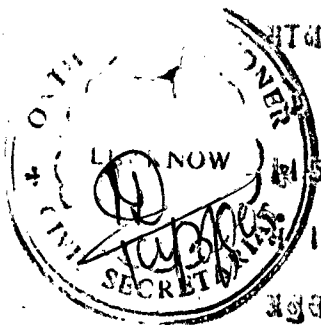
श्री वृज पाल दास आदि से संबंधित शिवराज पोल्ट्री एवं एग्रीकल्चर फार्म की आगरा नगराज क्षेत्र में स्थित 71645 वर्गमी० भूमि जिसे तत्कालीन प्राधिकारी आगरा ने रिक्त घोषित करके धारा-20 के अंतर्गत छूट देने हेतु एवं वाराणसी नगर में स्थित सर्वश्री राकेश/गुप्ता रवी एम० गुप्ता, एवं विनय कुमार द्वारा धारित क्रमशः 4375.06 वर्ग मी० 4459.85 वर्गमी० एवं 1882.13 वर्गमी०/जिसे श्री श्रीवास्तव ने अतिरिक्त रिक्त भूमि घोषित किया था, को धारा-20 की छूट प्रदान करने के लिए उक्त भू-धारकों की मुख्य आजीविका व्यापार होने के फलस्वरूप यह कृषि कार्य हेतु छूट दिये जाने के आधार पर श्री श्रीवास्तव द्वारा कोई विधिक कार्यवाही नहीं की गयी।

इस प्रकार श्री कमलेश्वर प्रसाद श्रीवास्तव उक्त कटाक्षतापूर्ण व्यवहार करने एवं अखिल भारतीय सेवाएँ। आचरण। नियमावली 1968 के नियम-3 के अनुरूप कर्तव्य पालन में असफल पाये गये तथा दुराचरण के दोषी हैं।

। नीरा यादव ।
सचिव

कमरों की एक इकाई मानकर 23 आवासीय इकाइयाँ स्वीकार करके प्रथम अनुसूचक के रूप में 3087.40 व०मी० व द्वितीय अनुसूचक के रूप में 11500 व०मी० गैर आवासीय भवनों में से 4 गैर आवासीय भवनों के कुल क्षेत्रफल क्रमशः 42.66, 46.24, 170.74 एवं 61.60 व०मी० के लिये आठवीं ओरों पैर के अनुसार 1:2 के निर्धारित अनुपात क्रमशः 85.32, 92.48, 381.48, 123.20 योग 682.48 के स्वातंत्र्य पर अभियोजित कि से प्रत्येक को 500 व०मी० से योग 2000 व०मी० तथा अन्य अनुसूचक के नाम पर छूट देकर सम्पूर्ण वारित भूमि 37111 व०मी० में से मात्र 5899.45 व०मी०/मी^{मुमि} अतिरिक्त रिक्त घोषित करने का उक्त पद से स्वातन्त्र्य होने की जानकारी होने पर स्वातन्त्र्य पर जाने के एक दिन पूर्व दि० 29.6.81 को भारत 8141 के आदेश दोषपूर्ण आदेश वारित कर निम्न प्रकार से प्रकार को लागू किया गया ।

1. आपने, वर्ष 1964 से निरवरोधता में रही उक्त फैली भूमि की भूमि/भवन की विही करके प्रकार द्वारा कंधारों का कर्म गुणात्मक होना था, अधिवियम लागू होने के 10 वर्ष पूर्व से पंद उक्त फैली परिवार के कंधारियों के रहने के लिये कुल 62 कमरों के उक्त 3 भवन क्रमशः 562.28, 343.42, 506 वर्ग मी^{मुमि} सम्पूर्ण क्षेत्रफल 1543.70 व०मी० में से दो भवन 1066र^{मुमि} एवं मात्र एक भवन 592.28 ही रहने योग्य होने सर्वेक्षण द्वारा मानचित्र में दर्जिये जाने पर भी एवं वर्ष 1976 के पूर्व से आवासीय रूप में प्रयोग न होने से प्रत्येक के लिये देय अनुसूचक 500 व०मी० से 1500 व०मी० के स्वातंत्र्य पर सभी को आवासीय मानकर तीन भवनों के लिये 62 कमरों को प्राप्त तीन-तीन कमरों की इकाई के रूप में 23 आवासीय इकाई के रूप में स्वीकार कर प्रथम अनुसूचक के रूप में 1543.70 फुट 1:2 से 3087.40 व०मी० भूमि, एवं द्वितीय अनुसूचक के रूप में 11500 व०मी० भूमि की छूट दे दी, जबकि अधिवियम को भारत 21वीं के अनुसार आवासीय भवनों के लिये प्रथम एवं द्वितीय अनुसूचक के रूप में अधिकतम प्रत्येक के लिये 500 व०मी० भूमि की छूट देय होने का प्रावधान है । यही न आपने मेसर्स जमीन छूट मिल्य वीकायाट, धारापदी से संबंधित मामले में दो बड़े-बड़े बेरजुमा तथा आवासी भवनों के नाम पर 22 आवासीय परिवारों के रहने की बात मानकर केवल दो भवनों के ही नाम पर प्रत्येक के लिये 500 व०मी० से योग 1000 व०मी० भूमि की छूट दी थी, किन्तु स्वयं द्वारा वारित



Handwritten signature

4132

उक्त मातृशाला के विस्तार तथा भारत सरकार के निर्माण एवं आवास
मंत्रालय के माह 5 माह वन सं० 1/132/76 प्र० सी० प्र० दि० 18.11.76 एवं
1/132/76 प्र० सी० प्र० दि० 18.11.76 में किया गया में उक्त आवासीय
इकाइयों के रखने के आधार पर नौ केवल भवनों के लिये 500 वर्गमीटर
अनुसूचित व्यक्तियों के निर्देशों को उपेक्षाकर, तीनों भवनों के भू-
आवासीय क्षेत्र पर नौ, जिन्हें अधिकतम 1500 वर्गमीटर की छूट देव थी,
आपने प्रथम एवं द्वितीय अनुसूचित के रूप में 13087.40 + 115001 =
14537.40 वर्गमीटर की छूट देकर 14537.401-115001=13087.40 वर्गमीटर
भूमि को अधिक छूट देकर भूधारकों को लाभान्वित किया।

14 आपने उक्त मातृशाला के चारों ओर में छतों के आगे-आगे
के मार्ग के काम पर, जबकि फाटो बंद हो तथा परिवार में निर्मित मार्गों
का प्रयोग छतों के प्रयोग के लिये नहीं किया जाता था, व नविक्रम में प्रयोग
होने जाता था कि उक्त भूधारक द्वारा सम्पूर्ण चारों ओर भूमि 9.17

एकड़ अर्थात् 3711 वर्गमीटर मूल्य 8020 लाख में दो वारतपक्षों उप विपक्ष
विचार एवं निर्माण सहकारी समिति, वारतपक्षों के नाम बिछो करके का
दि० 12.10.82 को इश्वरदास दास एवं दि० 29.2.84 को 3.24 एकड़
भूमि मूल्य रूपया सात लाख में बेजाता हो हो गयी। 5297.40 वर्गमीटर
भूमि को अधिविवरण को चारा 2 रु० 11.1 के अनुसार छोड़ दिया, जबकि
विपक्ष रेगुलेशन के अंतर्गत उक्त परिवार में मार्गों का निर्माण नहीं हुआ
था और भूधारक उक्त प्रयोग अपनी इच्छानुसार करने के लिये स्वतंत्र था।
इसके अतिरिक्त भारत सरकार के निर्माण एवं आवास मंत्रालय के द्वारा
निर्मित माह 5 माह वन सं० 1/132/76 प्र० सी० प्र० दि० 4.1.77 में सर्विस

रोड, आधी रोड को रिवत ग्राम गांव जावे के दिये नये निर्देशों का अमल
नमूने उक्त फाटो से संबंधित भू-आवासीय भवनों के नाम पर अनुसूचित
के रूप में 7157.42 वर्गमीटर भूमि को आवासीय भवनों के नाम पर अनुसूचित
के रूप में 7157.42 वर्गमीटर भूमि को आवासीय भवनों के लिये हाथ छूट
दिये जाने के पारित आदेश के बावजूद सर्विस रोड के नाम पर 5297.40
वर्गमीटर की छूट देकर भू-धारक को लाभान्वित किया।

15 आपने परिवार के अंदर 17 भू-आवासीय भवनों में से
13 के लिये आर० सी० प्र० दि० के अनुसार 1:2 के अनुपात में देव अनुसूचित



ए स्वयं छूट दिए जाने
पारित आदेश के
वजह से सर्विस रोड के

Handwritten signature

की परिणामात तालिफ में अंशित कर शेष 4 के अंश: 42.66, 45.24, 190.74 एवं 61.60 व०मी० क्षेत्रफल के लिये उक्त अनुपात से देय अनुलम्बक अंश: 85.32 92.48, 381.40 एवं 123.20 योग 683.48 व०मी० के स्थान पर अनियमित ढंग से प्रत्येक के लिये 500 व०मी० से योग 2000 व०मी० अर्थात् 12000-683.48=1316.52 व०मी० ग्रीन की छूट देकर सुधारक को लागू किया गया।

14। आपसे अधिनियम लागू होने के पूर्व ही बंद एवं निरिवडेजल में आ चुकी उक्त फील्डों जिसमें कोई उत्पादन नहीं हो रहा था व तो फील्डों के वसूलीवाले की कोई संभावना ही थी, परिसर में स्थित मेलेवर ढाब के आगे पर निर्मित आवासीय भवन जो अधिनियम लागू होने के पूर्व से ही भू-आवासीय रूप में पड़ा था और आवासीय प्रयोग में नहीं लाया जा रहा था, कुर्सी क्षेत्रफल 328.43 व०मी० के लिये प्रथम अनुलम्बक के रूप में मात्र 500 व०मी० ही देय के विरुद्ध आवासीय मानकर अनियमित ढंग से प्रथम एवं द्वितीय अनुलम्बक के रूप में 500+500 = 1000 व०मी० अर्थात् 500 व०मी० अधिक ग्रीन की छूट देकर सुधारक को लागू किया गया।

इस प्रकार आप कदाचित्तापूर्व व्यवहार करते अखिल भारतीय सेवाएं अधिनियम/नियमावली 1968 के नियम 3 के अनुसूचि अपने कर्तव्यों का निर्वहन व कर पुरावरण के दोषी हैं।

आशा है,

बीरत यादव
अधिव।



Mr. P. S. Datta

श्री कमलेश्वर प्रसाद श्रीवास्तव, आर००५०५६०, लक्ष्मीनारायण प्रसाद प्राधिकारी, नगर ग्राम
सीमारोपण, वाराणसी के विरुद्ध आरोप सं०६ के संबंधित आदेश भेजे ।

11/3/84

अभिनेत्री व आदेश

क्रमांक	अभिनेत्री	आदेश का नाम	वर्णन प्रमाणित होता
1.	आर००५०५०५०२१५८/उत्पत्ति-3 -३५५११७१/१९८४ दि० २४.८.८४	श्री डेवीलामणि मिश्रा जी लक्ष्मीनारायण प्रसाद उपाधी- वक, उपाधीनारायण सार्वजनिक अधिकार, वाराणसी।	आदेशानुसार जिसके द्वारा नगर/लक्ष्मीनारायण सार्वजनिक अधिकार को सुदृढ़ किया ।
2.	आर००५०५०५०३०/अनु-२-१७१ /८४ दि० ३१ अगस्त, १९८४	तदेव	वरिष्ठ पुलिस उपाधीवक, नगर उपाधीनारायण अधिकार, लक्ष्मीनारायण का पत्र जिसके द्वारा नगर वाराणसी वरिष्ठ को आदेश की गयी ।
3.	पुलिस उपाधीवक, उपाधीनारायण अधिकार, वाराणसी का आदेश सं० ५०५०/अनु-२-१७१/८४ दि० २८.९.८४	तदेव	आदेश जिसके द्वारा नगर/लक्ष्मीनारायण पुलिस उपाधीवक, श्री डेवीलामणि मिश्रा जी, सार्वजनिक अधिकार वाराणसी को सुदृढ़ की गयी।
4.	नगर ग्राम अनुमत, उपाधीनारायण का आदेश सं० १४५/उत्पत्ति- -२७५५ सी०/८ दि० १८.२.८१	श्री डेवीलामणि मिश्रा जी उत्पत्ति	द्वारा २०/अगस्त ग्रामसीमा एवं विनियमन अधिनियम १९७६ के अंतर्गत छूट को नियंत्रित करने संबंधी आदेश एवं निर्देश प्रमा- नित होता ।
5.	नगर ग्राम अनुमत, उपाधीनारायण का आदेश सं० ४८७३/उत्पत्ति- १८३५० सी०/८ दि० १८.२.८१	तदेव	तदेव
6.	नगर ग्राम अनुमत, उपाधीनारायण का आदेश सं० ८७५/उत्पत्ति ११५५/७६ दि० ११ मार्च, १९८०	श्री डेवीलामणि मिश्रा जी उत्पत्ति	सुदृढ़ एवं आदेश व्यवस्था के संबंध में द्वारा २१ का छूट के संबंध में निर्देश प्रमाणित होता
7.	उपाधीनारायण नियुक्ति अनुमत -२ का अर्थ-आर००५०५०२०६५/ दो० १२१/१९७६ दि० १२ मार्च, १९७६ एवं उपाधीनारायण नियुक्ति अनु० १२१ का आर००५०५०३७८-५/दो० १२१/४ २१३२१/१९७६ दि० १० मार्च, १९७६	श्री डेवीलामणि मिश्रा जी उत्पत्ति	श्री कमलेश्वर प्रसाद श्रीवास्तव के लक्ष्मीनारायण लक्ष्मीनारायण वाराणसी पद पर नियुक्ति प्रमाणित होती ।
8.	पद सं० १०६०/२/८०-८१ के संबंधित आदेश, वाराणसी की पत्रिका	1. श्री प्रसाद, ५०६५/४२२, लक्ष्मीनारायण वाराणसी,	श्रीवास्तव लक्ष्मीनारायण व लक्ष्मीनारायण की आदेश के संबंध में द्वारा ६१११ की



2. श्री देवीमणि मिश्रा जी,
उप

विवरण पर श्री देवीमणि
श्रीवास्तव, लखनऊ सदन
प्राधिका, लखनऊ, वाराणसी
द्वारा पुनः कार्यवाही एवं श्री
महोदयमित्रताएं प्रमाणित होनी

मौखिक वाक्य

प्रमाणित

वाक्य का नाम

द्वारा सिद्ध होता

1. श्री गोविन्द दास प्रसाद, डी 65/
422, लखनऊ, वाराणसी
2. श्री अरुण कुमार मिश्र, लखनऊ
मिथिल, लखनऊ, वाराणसी
3. श्री देवीमणि मिश्रा जी, देवा
विष्णुदास गुप्त उपाधीन, औरंगाबाद
वाराणसी

विवरण पर श्री देवीमणि मिश्रा जी 65/422,
लखनऊ, वाराणसी के निवासस्थान में होता, वारा
6111 में विवरणों का विवरण करता एवं श्री देवीमणि
श्रीवास्तव द्वारा पुनः कार्यवाही में निर्णय दिया जाता
प्रमाणित करेंगे ।

श्री देवीमणि श्रीवास्तव, लखनऊ सदन प्राधिका,
लखनऊ वाराणसी के लखनऊ लखनऊ प्रमाणित
करेंगे ।

श्री देवीमणि श्रीवास्तव, लखनऊ सदन प्राधिका,
लखनऊ, वाराणसी के पिछले पुनः कार्यवाही में निर्णय
का विवरण करेंगे ।

मौखिक वाक्य
विवरण



Handwritten signature

श्री कमलेश्वर प्रसाद श्रीवास्तव, आईओएसओ, नरकालीन हथम प्राधिकारी
बनर भूमि सीमारोपण, वाराणसी के विरुद्ध आरोप संख्या: 6 से संबंधित सुसंगत तथ्यों
की कथना ।

====

श्री कमलेश्वर प्रसाद श्रीवास्तव, आईओएसओ ~~नरकालीन~~ दि० 10.3.76 से
दि० 30.6.81 तक हथम प्राधिकारी, बनर भूमि सीमारोपण, वाराणसी के पद पर
नियुक्त थे। उक्त अवधि में बनर भूमि सीमारोपण कार्यालय में मेवर्स विलवर ग्लास
वर्क, लहरनाट, वाराणसी में संबंधित वाद सं० 1050/2/80-81 में श्री गोविन्द दास
प्रधान निपिबेडर द्वारा उक्त कर्म से संबंधित भूमि की विवरणी दिये गये वारा
6111 के अंतर्गत प्रस्तुत किया गया, जिसपर फेहरी द्वारा चारित भूमि का सर्वेक्षण करा
कर दि० 21.8.80 को वारा 8131 की नोटिस श्री श्रीवास्तव उक्त वारा निर्गत
की गई। नोटिस के अनुसार कुल 37111 व०मी० भूमि में से आवासीय एवं गैर
आवासीय भवनों का क्षेत्रफल 4582.41 व०मी० एवं उनके लिए प्रथम एवं द्वितीय
अनुसूचक के रूप में 5206.29 व०मी० योन 9588.70 व०मी० देकर क्षेत्र 27522.30 व०मी०
भूमि को अत्यधिक किए जाने का प्रस्ताव किया गया । सर्वेक्षण आख्या में वसीउन
हथम, वायव्य नहरों वारा गेजवर 528.43 व०मी० में प्रस्ताव एवं द्वितीय
अनुसूचक के रूप में 500-500 व०मी० वायव्यों के दो आवासीय का 36-36 एवं
28-52 व०मी० देय प्रथम अनुसूचक 72-72 एवं 57.04, द्वितीय अनुसूचक 500-500
व०मी० लेकर स्वाटरी के तीन भवनों क्षेत्रफल क्रमशः 592.28 व०मी० देय अनुसूचक 500
व०मी०, 345.42 व०मी० 606 व०मी० के अतिरिक्त अन्य गैर आवासीय भवनों का क्षेत्रफल
तथा देय प्रथम अनुसूचक के क्षेत्रफल को अंकित किया था । नोटिस प्राप्त होते पर
गोविन्द दास प्रस्ताव उक्त वारा दि० 29.9.80 को अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत
किया गया, जिसे दि० 29.9.79 को दिया जाता अंकित किया गया है । तदुत्तरांत
श्री श्रीवास्तव वारा श्री प्रस्ताव व अन्य दो साक्षियों का कथन लेकर परिवार में
निर्दिष्ट सक्षों के नाम पर 5297.40 व०मी० भूमि वारा 27111 के अंतर्गत, 3 लेकर
स्वाटरी के कुल क्षेत्रफल 1543.17 व०मी० के लिए 23 आवासीय इकाइयों को स्वी-
कार करके प्रथम अनुसूचक के रूप में 3087.40 व०मी० एवं द्वितीय अनुसूचक के रूप में
500 व०मी० 17 गैर आवासीय 5 भवन में से 4 गैर आवासीय भवनों से 42-66,
46-24, 190-74, 61-60 व०मी० कुल क्षेत्र के लिए आर०बी०ओ० देकर के अनुसार
1-2 के अनुसार में क्रमशः 85.32, 92.48, 381.48, 123.20 व०मी० योन 683.18 व०मी०
के स्वाट पर 500-500 व०मी० योन 2000 व०मी० निर्णय से संलग्न श्री दिनेश कुमार
श्रीवास्तव, सर्वेयर वारा गेजवर गणना नाशिका के अनुसार जो अन्य आवासीय
गैर आवासीय भवनों के कुल क्षेत्रफल एवं देय अनुसूचक की छूट देकर सम्पूर्ण चारित



Handwritten signature

ग्राम 37111 वामो में से केवल 5899.45 वामो ग्राम अतिरिक्त घोषित करने का आदेश दि० 29.6.81 को पारित किया।

उक्त फैली वर्ष 1964 से निरियोजना में थी, जिसकी प्रगति करके परिवारों का कर्जा श्री प्रधान उक्त द्वारा चुकाया गया था। उक्त फैली आयोजना लागू होने के पूर्व से ही बंद थी। पुनरावृत्ति द्वारा फैली परिवार के मातापिता में उ मूल्य प्रमाण: 592.28, 345.42 एवं 606 वामो के कुल 62 इंचाईर बताया जाता अंशित किया गया। सर्वेक्षण रिपोर्ट में केवल एक मूल्य 592.28 वामो का रहने योग्य क्षेत्र उद्धर क्षमता में अंशित है। उक्त मूल्यों का प्रयोग करवरी 1976 के पूर्व से ही आवसीय एवं में वहाँ हो रहा है, जिसके लिए 500-500 वामो के हिसाब से अनुमति देय था, किन्तु श्री श्रीवास्तव द्वारा उन तीनों मूल्यों को आवसीय मूल्य मानकर तीनों मूल्यों में स्थित 62 कमरों में तीन-तीन कमरों को एक इंचाई मानकर कुल 23 आवसीय इंचाई के आधार पर प्रथम अनुमति के तम पर 387.40 वामो एवं द्वितीय अनुमति के रूप में 11500 वामो ग्राम को छू प्रदान किया गया। जबकि अधिनियम की धारा 2 की के अनुसार आवसीय मूल्यों के लिए अधिकतम 500-500 वामो अनुमतिदिए जाने का प्रावधान किया गया है और श्री श्रीवास्तव स्वयं ने नेहरू जनजीवन उत्थान मिसन, वीरगढ़ के मामले में भी दो बड़े-बड़े बेरुजगता आवसीय मूल्यों के तम पर जिसमें 22 आवसीय परिवारों के रहने को बात भी मानी थी, फिर भी केवल दो मूल्यों के तम पर प्रथम एवं द्वितीय अनुमति के रूप में 500-500 वामो को छू दी थी। किन्तु प्रस्ताव प्रकरण में भारत सरकार के निर्माण एवं आवसीय

मातृत्व के मातृत्व मातृत्व वन सं० 1/132/76 यो० यो० यो० दि० 18.11.76 एवं संख्या: 1/132

X76 यो० यो० यो० 131 दि० 18.11.76 के अनुसार किसी मूल्य में कोई आवसीय इंचाईयों

के रहने के आधार पर भी केवल मूल्य के लिए 500 वामो अनुमति स्वीकार दिए जाने

के प्रावधानों का अतिक्रमण करके उक्त तीनों मूल्यों के गैर आवसीय होते हुए भी

अधिकतम 1500 वामो की छू देय थी, जो आवसीय मानकर भी अधिकतम

3000 वामो को छू दी जा सकती थी, जो अलग-अलग आवसीय इंचाई मानकर श्री

श्रीवास्तव द्वारा प्रथम अनुमति एवं द्वितीय अनुमति के रूप में 14507.40 वामो

की छू देकर गैर आवसीय मूल्य के आधार पर 13087.40 वामो एवं आवसीय

मूल्य के आधार पर 13087.40 वामो एवं आवसीय मूल्य के आधार पर 11587.40

वामो को अधिक छू देकर पुनरावृत्ति को लागू किया गया।

भारत फैली के परिवार में दूनों के आवसीय क्षेत्र संविधान भाग के तम पर 5297.40 वामो ग्राम को श्री श्रीवास्तव द्वारा अधिनियम की धारा 21 ग्राम के

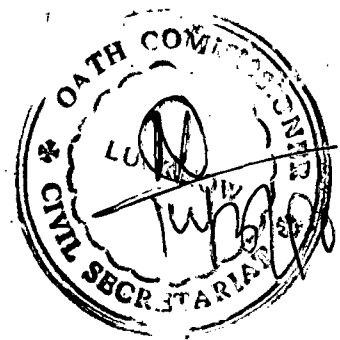
अनुसार छोड़ दिया गया। अर्वादि बिजुलिंग रेगुलेशन के अंतर्गत उत्त परिवार में मातों का निर्माण नहीं हुआ था एवं भारत सरकार के निर्माण एवं आवास मंत्रालय द्वारा निर्मित माइड लाइन परांक: 1/132/76 यू०सी०यू० दि० 4.1.77 द्वारा सर्विस रोड व प्रोवि रोड को रिवत भूमि में नाजा नया है। श्री श्रीवास्तव द्वारा उत्त फैमली परिवार से संबंधित भेर आवासीय भवनों के नाम पर 7157.42 वर्गमी० भूमि की छूट आवासीय भवनों के लिए दी गई छूट के अतिरिक्त दिया गया था। इस प्रकार सर्विस रोड के नाम पर उत्त 5297.40 वर्गमी० भूमि को छूट देकर भू-धारक को लाभान्वित किया गया।

फैमली परिवार के अन्तर 17 भेर आवासीय भवनों में से 4 भेर आवासीय भवनों 42.66, 46.24, 190.24 एवं 61.60 वर्गमी० को छोड़कर अन्य 13 भेर आवासीय भवनों के लिए आर०पी०ओ० ऐक्ट के अनुसार 1:2 के अनुपात में देय अनुमति का परिगणन भण्डा तालिका में अंकित किया गया था। किन्तु उत्त 4 भेर आवासीय भवनों के लिए उत्त अनुपात में देय अनुमति क्रमशः 85.32, 92.48 381.48 एवं 123.20 वर्गमी० योग 683.48 वर्गमी० भूमि के स्वात पर 500-500 वर्गमी० भूमि की छूट देकर इस प्रकार कुल 1316.52 वर्गमी० से भूधारक को लाभान्वित किया गया।

उत्त अधिनियम लागू होने के 10 वर्ष पूर्व से फैमली बंद होने की दशा में परिवार में स्थित भोजर कब के नाम पर निर्मित भवन कुल क्षेत्रफल 328.43 वर्गमी० जो आवासीय भवन के रूप में प्रयोग नहीं हो रहा था, को आवासीय भवन मान कर श्री श्रीवास्तव द्वारा भेर आवासीय भवन की दशा में 500 वर्गमी० अनुमति देय होने के स्वात पर प्रथम व द्वितीय अनुमति के रूप में 500-500 वर्गमी० अनुमति भूमि देकर 500 वर्गमी० अतिरिक्त भूमि से भू-धारक को लाभान्वित किया गया।

इस प्रकार श्री कमलेश्वर प्रसाद श्रीवास्तव उत्त कदाशयतापूर्ण व्यवहार कर अखिल भारतीय सेवार्थ आचरण विनियमावली 1968 के नियम 23 के अंतर्गत अपने कर्तव्यों का पालन करने में असफल रहे। अतः श्री श्रीवास्तव दुराचरण के दोषी हैं।

Handwritten signature



नोरा यादव
अधिव।

(4137)

आरोप संख्या: 7

=====

आप जब दि० 10.3.76 से 30.6.81 तक नगर भूमि विभागीय, वाराणसी में सख्त प्राधिकारी पद पर नियुक्त थे, तब आपके नगर भूमि विभागीय एवं विनियमन विभाग 1976 प्रभावी दि० 17.2.76 के अधीन विनियमित सीमा के अधिक भूमि/मकान जो नजदिक के लिये रिक्त घोषित कर शासन को प्राप्त होने संबंधी कार्यवाही में पर्याप्त सतर्कता न करत कर उक्त अधिनियम की धारा 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 एवं 38 के प्रावधानों और शासकीय आदेशों के अनुसार अपने दायित्वों का निर्वहन न कर उक्त पद के अपने 5 वर्ष 3 1/2 माह के कार्यकाल में धारा 3141 के अंतर्गत पारित आदेशों के परिप्रेक्ष्य में रिक्त घोषित भूमि का पुनरीक्षण स्टेटमेंट तैयार कराकर मुख्यालयों को धारा 9 के अधीन नोटिस देने एवं राज्य शासन के पास में भूमि अधिग्रहण की तयारित कार्यवाही सुनिश्चित न कर नगरीय कानून मित, योजनाएं, वाराणसी द्वारा अपनी नगर भूमि के संबंध में सख्त प्राधिकारी, वाराणसी कार्यालय में धारा 6111 के अंतर्गत क्रमांक 2759 पर दिनांक 15.9.76 को प्रस्तुत की गई विवरणों के संबंध में अधिनियम की धारा 3121 के अंतर्गत नियमावली के नियम 5 के विनियमित कार्य सं० 3 के अनुसार धारा 19, 20, 21 के अंतर्गत छोड़ी गई भूमि का वेनफुल एवं अधिग्रहित होने वाली भूमि का स्टाफ स्टेटमेंट तैयार कराना सुनिश्चित न कर दिनांक 28.1.78 को धारा 3131 के अंतर्गत नोटिस जारी कर एवं उक्त दिनांक 20.2.78 को प्रतिउत्तर प्राप्त होने पर भी उक्त नोटिसों का निराकरण लिये बिना दि० 31.3.78 को वाद सं० 513/2759/76-77 के अधीन धारा 3141 के अंतर्गत मुख्यालय को पारित भूमि 114673 वर्ग मी० में मुख्यालय के अन्तर्गत के अन्तर्गत निर्मित सड़कों के नाम पर छूट मांगे जाने पर नगर सरकार के आवास निर्माण मंत्रालय के माइकल लाइव में निर्दिष्ट आदेश सं० 01/132/76 यूसीओ यूसीओ 4.1.77 के अनुसार एवं परिवार में निर्मित 3 बड़े मकानों में कई परिवारों के रहने की पुष्टि करने में, उक्त मकानों के नाम पर प्रथम/द्वितीय अनुसूचक के रूप में, भारत सरकार माइकल लाइव के पत्र सं० 01/132/76 यूसीओ यूसीओ दि० 18.11.76 के तारक प्रत्यक्ष-प्रत्यक्ष हस्ताक्षरों के आधार पर छूट स्वीकार न कर प्रथम एवं द्वितीय अनुसूचक के रूप में छूट देकर 70581.62 वर्ग मी० भूमि अधिग्रहित घोषित करके भी मुख्यालय द्वारा धारा 21 के अंतर्गत घोषणा पत्र लिये जाने बिना पर उचित समय पर कार्यवाही करने का उल्लेख कर आदेश पारित किया। उक्त



Handwritten signature/initials

1140

निर्णय पारित करने के पूर्व मू-वारक द्वारा वारा 20 के अंतर्गत आवेदन पत्र न
दिये जाये पर भी ज्ञातन द्वारा 10 संबंधी आवेदन आवे तक अतिरिक्त भूमि के
अधिकृत/मुवायजा संबंधी कार्यवाही स्वमित रहा, जबकि नियम 5 का पालन
करना अनिवार्य है। अपने आधिकारिक रूप से मू-वारक की घोषित की गई
अतिरिक्त रिक्त भूमि 70581.62 वमी० की ज्ञातन एवं अपने स्तर से वारा 20
एवं 21 के अंतर्गत 100 दिनांक/देकर मूवारक की निम्न प्रकार से लानांचित किया।

131। भारत सरकार के माइड लाइव निर्माण एवं आवास मंत्रालय के पत्र सं०
1/57/76 प्रवीय दि० 28.8.76 के अनुसार जो औद्योगिक इकाइयां चल रही हों
या चलाई जाने वाली हों या उनके विस्तार के लिये 100 दिये जाये के निर्देशों
की उपेक्षाकर आपने मू-वारक द्वारा वर्ष 1964 में औद्योगिक इकाई चलाने के
लिये सरकार से प्राप्त स्वीकृति के बावजूद कोई औद्योगिक इकाई न चलाने अवस्था
चलाने का प्रयास न करके तथा आवेदन पत्र में भी तद्विषयक कोई आश्वासन न
देने पर भी भारत सरकार की माइड लाइव संख्या 1/231/76 प्र० सी० प्र० दि० 17.8.76
का संदर्भ देकर प्रमांक 1890 पर मांगी गई भूमि 25996.50 वमी० के
स्थाप परमुक्त फेदी के कुर्वा प्रमका 10493 वमी० के लिये 3/2* कुर्वा प्रमका =
15737.50 वमी० भूमि की 100 देने की दि० 15.7.78 को अविधित संसृति
किया।

132। आपने प्रमांक 1891 के द्वारा मूवारक द्वारा मांगे गये 4097 वमी०
अतिरिक्त अनुसूचित भूमि के स्थाप पर 32 सटे हुए कमरे के एक भवन, 10 ओरि-
यों के एक घरे के लिये 2,2 कमरों के 21 आवासीय इकाई के आधार पर 10500
वमी० अतिरिक्त अनुसूचित भूमि जिसमें 1000 वमी० अतिरिक्त अनुसूचित भूमि
के प्रयोज्य क्षेत्र के लिये पहले ही दिये गये निर्णय के अनुसार निशानकर
1000 वमी० भूमि के 100 के मूवारक द्वारा नियम में कोई फेदी न चलाने
आवासीय इकाइयों के रूप में प्रयोग करने की संभावना सुनिश्चित लिये बिना
भारत सरकार के निर्माण एवं आवास मंत्रालय के पत्र सं० 1/132/76 प्र० सी० प्र० दि० 18.11.76 के अनुसार राज्य सरकार में ही अधिक अनुसूचित रूप में वारा
2011/11 के अन्तर 100 देने के लिये प्राविधान होने से दि० 15.7.78 को अविधित
रूप से संसृति किया।



Handwritten signature

133। मूवारक द्वारा प्रमांक 1892 द्वारा विवेका भवन हेतु 100 मांगी गई
5342 वमी० भूमि मू-प्रयोग मास्टर प्लान में आवासीय एवं व्यवसायिक व
प्रदर्शित विवेका भवन का निर्माण अधिविवन के प्रतिबंधात्मक प्रमाणित होने के

11/11/76

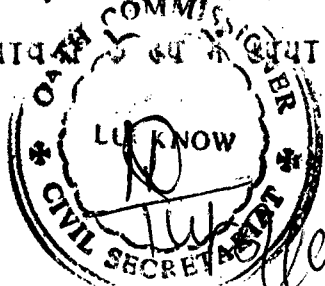
कारण बिना अवोग अधिकारी की संस्तुति के साथ आपने भारत सरकार के माहक
माहक पर सं० 132/76 प्र० सी० प्र० दि० 19.11.76 द्वारा केवल आवासीय भवनों
के लिये विधीय अनुमति के रूप में की गई छूट में केवल आवासीय भवनों के निर्माण
के विदेशों की उपेक्षा कर अपने परां० 493 दि० 3.1.79 द्वारा संस्तुति करते हुए

सं० 1890, 1891, 1893, 1894 की संस्तुतियों में उक्त ग्राम के सम्मिलित होने
का तथ्य उचित किया था और शासन द्वारा बार-बार पूछे जाने पर जाबजबाद कर
विलम्ब कर अपने परां० एचटी/दि० 13.1.80 द्वारा शासन को सूचित किया था
कि आवासीय भवनों के संबंधित अनुमति के रूप में सं० 1891 द्वारा किसी
संस्तुति की गई थी। छूट का विषय शासन के विचारार्थ है और उक्त में मांगी
गई छूट की श्रम में ही विवेका भवन के निर्माण की अनुमति दी गई है, जिसको
स्वीकार करने की संस्तुति की थी कि वर्ष 1974 में ही विवेका भवन के निर्माण
की श्रमिता: स्वीकृति प्राप्त हो गई थी। सं० 1890 द्वारा की गई संस्तुति
के आधार पर भी आवासीय भवनों के लिये अतिरिक्त अनुमति श्रमि स्वीकार्य
नहीं थी फिर भी उसी विवेका भवन के निर्माण के अनुमति हेतु आपने संस्तुति
किया।

191 सं० 1894 द्वारा कटन मिल परिवार में 31607 वर्ग मी० श्रमि की वारतः
जहाँ नगर के माहक प्लान में आवासीय एवं व्यवसायिक प्र-प्रयोग होने के तथ्य
को उचित व कर तथा उक्त क्षेत्र में आवासीय कालोनी बनने हेतु वारतः
विशेष प्राधिकरण द्वारा अध्यापित की कार्यवाही की जा रही है एवं छूट का
आदेश शासन द्वारा विधित हो जाने के बाद भी अतिरिक्त, वारतः द्वारा
श्रमि की मोके पर परती और बंजर होने की सूचना देते हुए वारत 20121 के
अंतर्गत छूट के आदेश को विरस्त करने हेतु अतुल्य लिये जाने संबंधी तथ्यों को
नगरपालिका कर उक्त अधिनियम की वारत 11 के अंतर्गत 31607 वर्ग मी० श्रमि राज्य
सरकार में विहित होने की वृत्ति में 5/- प्रति वर्ग मी० की दर से देय ग्राहक
के वारतः प्राधिकरण द्वारा प्रस्तावित लोडिंग में आवासीय कालोनी के निर्माण
के संबंधित एकर माहक प्लान में आवासीय प्र-प्रयोग की श्रमि को क्षीय कार्य के
वर्ग पर क्षीय कार्य हेतु छूट देने की संस्तुति करते शासन से छूट बिना दिया और
वारतः विशेष प्राधिकरण की कालोनी हेतु श्रमि के अध्यापित होने के बाद
प्र-वारतः को ग्राहक के रूप में वारत 3881701.86 अनुमान प्र-वारतः को करत

पृष्ठ 1

Signature



442

1. **आपने** आर 3141 के अंतर्गत उक्त भू-धारक की अतिरिक्त रिक्त घोषित की गई भूमि 70581.62 वर्ग मीटर भू-धारक के प्रयोग हेतु आर 20111 के अंतर्गत छह संबंधी पत्रों के आधार पर 64095.50 वर्ग मीटर भूमि के छोड़ने की संसृति की थी, जबकि आर 21111 के अंतर्गत 7188 वर्ग मीटर में आवासीय भवनों के निर्माण का घोषणा पत्र दि 014.9.76 से संबंधित होना दर्शाया गया है। छह हेतु संसृति के बाद केवल 6486.12 वर्ग मीटर भूमि अवशेष थी, जिसके कारण छह से संबंधित आदेश आने की प्रतीक्षा में आपने कोई कार्यवाही प्रारंभ नहीं किया। ज्ञातव्य आर उक्त में अंकित आदेशों द्वारा 59005.24 वर्ग मीटर की भूमि की छह प्रदान कर दिये जाने के परवाह घोषणा पत्र के आधार पर जिसके द्वारा भूधारक ने 7188 वर्ग मीटर भूमि में कमजोर वर्ग के लिये आवासीय भवनों के निर्माण को प्रस्तावित किया था, के त्याग पर परिसर छह से बची छह क्षेत्र 11576.38 वर्ग मीटर भूमि में आवासीय भवनों के निर्माण हेतु भू-धारक द्वारा प्रस्तुत रेखांकित मासिक की स्वीकृति दि 021.6.81 को प्रदान करके घोषणा पत्र में अंकित क्षेत्रफल से अधिक क्षेत्रफल से अधिक क्षेत्रफल में निर्माण की अनुमति देकर भूधारक की भूमि को राज्य सरकार में अम्यर्षित होने से संबंधित किया।

इस प्रकार आप कदाचित्पूर्ण व्यवहार करके अखिल भारतीय सेवाएं/आवरण नियमावली 1963 के नियम 3 के अंतर्गत अपने कर्तव्यों का पालन न कर दुरावरण के दोषी हैं।

आज्ञा से,

बीरत यादव
सचिव।

Handwritten signature



શ્રી કમલેશ્વર પ્રસાદ શ્રીવાસ્તવ, ટાઉંબોલો, તત્કાલીન સહન પ્રાધિકારી, બનર
શ્રીમ લીંગારોપ, વારાણસી કે વિશ્વ કારોપ સંઘે સંબંધિત નામો મેમો

AM3

==

અનિલેશીય નામો

=====

ક્રમાંક	અનિલેશીય નામો	સત્તી જા. નામ	કયા પ્રમાણિત હોવા
1.	અનિલેશીય 02158/5નામિય-3 -3541171/1984 દિ024.8.84	શ્રી કેપ્ટીનશિ પ્રિયટી, તત્કાલિન ઉપાધીક્ષક, કોમ્પોઝિટ અધિકારી, વારણસી	સત્તીનામિય પ્રિયટી દ્વારા જાંવ/ અનિલેશીય સત્તીનામિય અધિકારીનો સુધારો કરેલો
2.	અનિલેશીય 02158/5નામિય-2-171/84 દિ0 31 માર્ચ, 1984	તત્કાલિન	વરિષ્ઠ પ્રિયટી ઉપાધીક્ષક, જાંવ કોમ્પોઝિટ અધિકારી, સત્તીનામિય જાંવ પ્રિયટી દ્વારા જાંવ, વારણસી પરિશદનો પ્રતિનિધિ હોવા
3.	પ્રિયટી અધીક્ષક, કોમ્પોઝિટ અધિકારીવારણસી દ્વારા જાંવ 02158/5નામિય-2-171/84 દિ026.9.84	તત્કાલિન	પ્રિયટી પ્રિયટી દ્વારા જાંવ/ અનિલેશીય પ્રિયટી ઉપાધીક્ષક શ્રી કેપ્ટીનશિ પ્રિયટી, સત્તીનામિય અધિકારી વારણસીનો સુધારો કરેલો
4.	બનરશિ પ્રિયટી, કોમ્પોઝિટ જાંવ સત્તીનામિય સં0143/કલ્યાણ -2754040/8દિ018.2.81	શ્રી કેપ્ટીનશિ પ્રિયટી કલ્યાણ	દ્વારા 20 બનરશિ પ્રિયટીનામિય વિનિયમનામિયનામિય 1976 કે સત્તીનામિય 02 જો વિનિયમ કરેલો સંબંધી પ્રિયટી અને પ્રિયટી પ્રમા- ણિત હોવા
5.	બનરશિ પ્રિયટી, કોમ્પોઝિટ જાંવ સત્તીનામિય સં04873/કલ્યાણ- 1884040/8દિ018.2.81	તત્કાલિન	તત્કાલિન
6.	બનરશિ પ્રિયટી, કોમ્પોઝિટ જાંવ સત્તીનામિય સં0875/કલ્યાણ-1140 સી0/76 દિ011 માર્ચ, 1980	શ્રી કેપ્ટીનશિ પ્રિયટી કલ્યાણ	સુધારો અને સત્તીનામિય વ્યવસ્થા કે સંબંધી પ્રિયટી 21 જાંવ 02 કે સંબંધી પ્રિયટી પ્રમાણિત હોવા
7.	કોમ્પોઝિટ વિનિયમ 02158-2 જાંવ અનિલેશીય 02065/સી0121 1976 દિ012 માર્ચ, 1976 અને કોમ્પોઝિટ વિનિયમ 02158-2 જાંવ અનિલેશીય 0378-5/સી0121 4/21321/1976 દિ010 માર્ચ, 1976	શ્રી કેપ્ટીનશિ પ્રિયટી વિવાહિત/વિવેક કોમ્પોઝિટ, વારણસી વારણસી	શ્રી કમલેશ્વર પ્રસાદ શ્રીવાસ્તવ જો સહન પ્રાધિકારી, કોમ્પોઝિટ વારણસી વડે પર વિનિયમ પ્રમાણિત હોવા

Handwritten signature



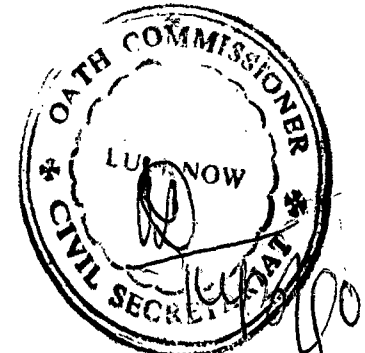
Amu

8. वार 80513/2759/76-77 नमूना 1. श्री एमएनएम, वाराणसी से संबंधित वाराणसी 2. श्री एमएनएम, वाराणसी से संबंधित वाराणसी 3. श्री एमएनएम, वाराणसी से संबंधित वाराणसी 4. श्री एमएनएम, वाराणसी से संबंधित वाराणसी 5. श्री एमएनएम, वाराणसी से संबंधित वाराणसी 6. श्री एमएनएम, वाराणसी से संबंधित वाराणसी 7. श्री एमएनएम, वाराणसी से संबंधित वाराणसी 8. श्री एमएनएम, वाराणसी से संबंधित वाराणसी 9. श्री एमएनएम, वाराणसी से संबंधित वाराणसी 10. श्री एमएनएम, वाराणसी से संबंधित वाराणसी

नौबिह सत्य
= = = = =

क्रमांक	वार्ता का नाम	वार्ता का नाम
1.	श्री एमएनएम, वाराणसी	श्री एमएनएम, वाराणसी
2.	श्री - एमएनएम, वाराणसी	श्री एमएनएम, वाराणसी
3.	श्री एमएनएम, वाराणसी	श्री एमएनएम, वाराणसी

[Handwritten signature]



नौबिह सत्य
वार्ता

AKS

श्री कमलेश्वर प्रसाद श्रीवास्तव, आर्योपदेश, लखनऊ नगर प्रशासक, नगर ग्राम सीमांतरोपण, वाराणसी के विद्युत् आरंभ सं-7 के संबंध में सुसंगत तथ्यों का कथन ।

- - - - -

श्री कमलेश्वर प्रसाद श्रीवास्तव उक्त दि० 10.3.76 से दिनांक 30.6.81 तक लखनऊ प्रशासक, नगर ग्राम सीमांतरोपण, वाराणसी के पद पर नियुक्त थे । उक्त अवधि में श्री श्रीवास्तव के लखनऊ में आकर आने, वाराणसी, वाराणसी के संबंधित वाद सं० 513/2759 / 76-77 के संबंध में धारत 8141 की प्रभावना उपलब्ध नहीं है । उक्त मामले में श्री श्रीवास्तव के दि० 31.3.78 को धारत 8141 का निर्णय दिया है । उक्त निर्णय के बाद ग-धारत के लखनऊ न्यायालय में अपील दाखल कर दिया, जिसका मुद्दा सं० 167/78 एवं के लखनऊ न्यायालय में । उक्त निर्णय को प्रभावना दि० 18.11.78 को न्यायालय में भेजा जाता था । नगर ग्राम सीमांतरोपण विधिम-यन विधिम 1976 को धारत 8111 के अंतर्गत लखनऊ ग्राम सीमांतरोपण विधिम 1976 को धारत 8131 को नोटिस दि० 28.1.78 को श्री श्रीवास्तव धारत को भेजे । श्री श्रीवास्तव धारत उक्त नोटिस में अधिविधिम को धारत 8121 के अंतर्गत नियमावली के नियम 3 के काम 3, जिसमें धारत 19, 20, 21 के अंतर्गत छोड़ी गई ग्राम का क्षेत्र एवं अभ्यर्षित होने वाली ग्राम का क्षेत्र अंकित होता है, धारत-2 सेटमेंट के लिये नहीं करता । उक्त नोटिस का उत्तर ग-धारत के दि० 20.2.78 को दिया । तदुपरांत दि० 31.3.78 को धारत 8141 के अंतर्गत ग-धारत धारत लखनऊ में 114673 व०मी० में ग-धारत धारत निर्मित भूजों के नाम पर भू मालिकों के नाम पर धारत के निर्माण प्रस्ताव न्यायालय के माध्यम से विदेशित करने पर सं० 1/132/76 य०वी०य० दि० 4.1.77, परिवार में निर्मित बड़े-2 भूजों के नाम पर भू परिवारों के रहने की सुविधा के बाद भी प्रथम एवं द्वितीय अनुसूची ग्राम के ल में प्रथम-प्रथम भूजों के आधार पर धारत धारत के माध्यम से सं० 1/132/76 य०वी०य० दि० 18.11.76 के धारत भू स्वामित्व का करने हुए केवल तीन भूजों के नाम पर प्रथम एवं द्वितीय अनुसूची के ल में भू देकर 70581.62 व०मी० अधिस्थित ग्राम घोषित किया । श्री श्रीवास्तव ने उक्त आदेश में संलग्न ~~प्रमाण~~ तालिका के अनुसार 23 आवतलीय भूजों का कुल क्षेत्रफल 6770 व०मी०, उक्त नियमावली के अनुसार 4277.40 व०मी०, द्वितीय देय अनुसूची 11500 व०मी० और आवतलीय भूजों का क्षेत्रफल 17331 व०मी० एवं देय अनुसूची 5212.18 व०मी० का



Subsidiary

AMC

44091.3840मी० को निरंतर उत 70581.62 व०मी० ग्राम अतिरिक्त घोषित किया था । आदेश में यह भी अंकित किया कि गू-वारक के चारत 21 के अंतर्गत घोषणा पर वापिस किया, जिसपर बाद में कार्यवाही होनी एवं गू-वारक के चारत चारत 20 के अंतर्गत 90 का प्राथम्य पर देने का निर्णय किया जाता निरंतर उत रिक्त ग्राम के संबंधित ग्राम कार्यवाही को स्थगित किया था, जबकि तत्काल गू-वारक चारतचरत 20 के अंतर्गत 40 को प्राथम्य पर नहीं दिया गया था । नियम 5 का अनुपालन किया जाता उच्च स्वायत्तत्व, हस्तांतर-वाद का निर्णय, जिसका प्रकाशन 1986 के ए०३६५०वी० पु० सं० 222 पर है, के अनुसार भेजे गयी है । इसे अनुसार ग्राम को रिक्त घोषित करने संबंधी आदेश नियम 5 एवं अधिनियम की चारत 8 के प्रावधानों के अनुपालन न होने से सीमा अधिकतर के बाहर है । आवाधिकारिक रूप से श्री श्रीवास्तव द्वारा गू-वारक की रिक्त घोषित की गई समस्त 70581.62 व०मी० ग्राम को शासन एवं अपने स्तर से चारत 20 एवं 21 के अंतर्गत 90 दिनांक तथा देकर गू-वारक को निरंतर प्रसार के अंतर्गत होने का अवसर प्रदान किया ।

महर्षि अमजीत काटन मित के जनरल मैनेजर द्वारा समस्त प्राधिकारी नगर ग्राम सीनारोपण, चारतचरती के माध्यम से फेडरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को संबोधित 5 आदेश पर उत 90 प्राप्त हेतु दि० 20.4.78 को दिया गया, जिसमें श्री श्रीवास्तव के अपने पत्रांक 1890 द्वारा अतिरिक्त घोषित 70581.62 व०मी० में से 31600 व 7251 व०मी० विस्तार देने पर 31730.62 व०मी० ग्राम में भी पर मुख्यतः रोक तथा बड़े औद्योगिक एवं आवासीय भवनों के अनुसूचक के रूप में प्रयोग होता, फेडरी की पूर्वा का क्षेत्र

का 10493 व०मी० होता इसके लिए उत के द्वारा 500 व०मी० ग्राम अनुसूचक के रूप में दिया जाता, जो सर्वदा उत के लिए उपर्याप्त होता अंकित करते हुए उत भवन बनने तथा अमल-बनत घोषित अतिरिक्त ग्राम में फेडरी के उपयोग हेतु दिया जाता अंकित करके भारत सरकार की माइड लाइन सं० 4428 1/231/76 व०मी० दि० 17.8.76 के अनुसार विधिः औद्योगिक भवनों के लिए कुली ग्राम दिया जाता अंकित करके 15730.5 व०मी० अतिरिक्त ग्राम दिए जाने की संस्तुति दि०

15.7.78 को किया है । जबकि उत माइड लाइन चारत 20 के अंतर्गत उत की गई ग्राम को चारत 26 की सीमा से बाहर रखने के लिए जारी है । वस्तुतः औद्योगिक भवनों के लिए कुली ग्राम देने का विधि भारत सरकार के माइड लाइन निर्माण एवं आवास मंत्रालय के विधि विभाग द्वारा जारी है नई की लाइन से दि० पत्रांक 1890 द्वारा की गई संस्तुति के आधार पर भी आवासीय



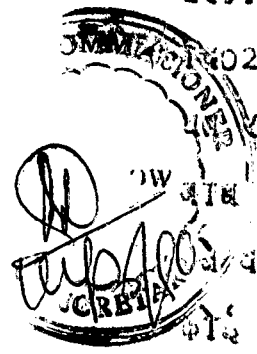
Handwritten signature

1147

मजदूरी के लिए अन्य अतिरिक्त अनुसूचित भूमि स्वीकार नहीं की । फिर भी उनमें विद्यमान अन्य के निर्माण की अनुमति हेतु संसूचित श्री श्रीवास्तव ने की, जबकि आवासीय भवनों के लिए द्वितीय अनुसूचित के रूप में दी गई छूट केवल आवासीय भवनों के निर्माण के अंतर्गत भारत सरकार के ग्राह्य लाइन पत्र सं० 1/132/76 यू०पी० यू० दि० 19.11.76 द्वारा दिया जाता अनुमोदित है ।

सं० 1394 द्वारा कालन मिल परिवार में 31607 वर्गमी० जमीन को कृषि कार्य हेतु छूट दिए जानेकी संसूचित श्री श्रीवास्तव ने किया, जबकि उक्त भूमि को वाराणसी विकास प्राधिकरण द्वारा आवासीय कालोनी बनाये हेतु अध्यापित की जाने की कार्यवाही की जा रही थी । यह तथ्य भी श्री श्रीवास्तव द्वारा संज्ञित नहीं किया गया तथा कालन द्वारा छूट का आदेश प्राप्त हो जाने के बाद, जिलाधिकारी द्वारा उक्त भूमि मीठे की परती व बंदर संज्ञित करते हुए

द्वारा 20121 के अंतर्गत छूट को विरस्त करने हेतु आदेश दिए जाने पर भी श्री श्रीवास्तव द्वारा उक्त भूमि पर कृषि कार्य होने की पुष्टि की गई । इस प्रकार उक्त भूमि सीमारोपण अधिनियम की धारा 11 के अंतर्गत उक्त 31607 वर्गमी० भूमि राज्य सरकार में विहित होने की दशा में रु० 5/- प्रति वर्गमी० दरसे अधिक से अधिक 2 लाख रुपये देव वा, को वाराणसी विकास प्राधिकारी ने लोकहित में आवासीय कालोनी प्रस्तावित किया था, जबकि श्री श्रीवास्तव द्वारा उक्त बंदर व परती भूमि कृषि कार्य हेतु छूट की संसूचित करते कालन से छूट दिनांक 29-12-76 से वाराणसी विकास प्राधिकरण को प्रश्न अध्यापित होने की दशा में मुताबक के रूप में उसे रुपये 388170.86 अनुमान करार मानांकित करवा गया । भारत सरकार के ग्राह्य लाइन निर्माण एवं आवास मंत्रालय के पत्र सं० 1/57/76 यू०पी० यू०



सं० 23.8.76 के प्रसार 5 में स्पष्ट रूप से उल्लेख है कि जो औद्योगिक इकाईयों का निर्माण हो या बनाए जाने वाली हों, उनके विस्तार के लिए ही छूट दिया जा सकता है । किन्तु उक्त औद्योगिक इकाई जमनीत कालन मिल की अ-धारा के वर्ष 1964 में बनाये के लिए प्राप्त किया था और अ-धारा ने उसे बनाये का कोई प्रयास वर्ष 1976 तक नहीं किया न ही कोई आशवासन की बनाये संबंधी

अपने आदेश पत्र में दिया था । अतः श्री श्रीवास्तव द्वारा उक्त परिवार में संसूचित किया जाता व्यत्योदित नहीं था । उक्त संसूचित भूमि एवं जमीन तथ्यों पर आधारित है ।

सं० 1391 के माध्यम से श्री श्रीवास्तव ने उक्त जमनीत कालन मिल के संबंधी निर्मित अन्य आवासीय भवनों के अतिरिक्त 2 वर्ग आवासीय भवन

जिसमें एक में एक से अटे हुए 32 ऊमरे एक धरेक के रूप में बने हैं, जो लगभग 300 कीट इमारत में बने हैं, जिसमें 22ग्राम-अलग परिवार रह रहे हैं जो 16 नवम मात्र कर तथा दूसरे नवम में जिसमें 10 कोठरियां धरेक के रूप में बना हैं, जो 5नवम मात्र कर अर्थात् 21 आवासीय इकाई मात्रा के कुल 10500 वर्गमी० भूमि में से पूर्व में दी गई 1000 वर्गमी० को बिनाकर 9500 वर्गमी० भूमि को पूरा दिए जाने को संसुति नगर सरकार के निर्माण एवं आवास मंत्रालय के पत्र सं० 1/132/76वर्गमी० प्रोत्साहित दिनांक 13.11.76 के अनुसार दि० 15.7.78 को किया क्योंकि इस नगर 3 लाख में राज्य सरकार में ही अधिक अनुसूचित के रूप में चार 2011 के अंदर पूरा दिये जाने हेतु तबम हैं, किन्तु केंद्रों के नविक्रम में न बताने और उसे आवासीय इकाइयों के रूप में ही प्रयोजन करने की कोई संभावना न होने से पूरा हेतु की गई इस संसुति व्यापकित नहीं थी ।

ग्र-धारक द्वारा दिए गए आशंका पत्र पर प्रमाणिक 1892 द्वारा मांगी गई पूरा 5342वर्गमी० विवेका नवम निर्माण संबंधित जिला उद्योग अधिकारी की संसुति के साथ पूरा की संसुति को श्रीवास्तव उक्त द्वारा अपने पत्रांक 4493 दि० 3.1.79 द्वारा प्रमाणिक 1890, 1891, 1893, 1894, की संसुतियों में उक्त भूमि सम्मिलित होने का उल्लेख प्रमाणिक किया था और ज्ञातन द्वारा बार-बार पूरे जाने परश्री श्रीवास्तव ने अपने पत्रांक/एचसी दि० 18.1.90 द्वारा ज्ञातन को सूचित किया गया था । आवासीय नवनों से संबंधित अनुसूचित के रूप में पूरा का विवेक ज्ञातन के विचारधीन है और इस मांगी गई पूरा की मात्र में ही विवेका नवम के निर्माण को अनुमति दी गई है । इसको स्वीकार करने का संसुति उन्होंने ही थी । वर्ष 1974 में ही विवेका नवम के निर्माण को श्री श्रीवास्तव ने द्वारा 8141 के अंतर्गत उक्त ग्र-धारक की रिक्त घोषित की गई भूमि में से ग्र-धारक के विवेक हेतु द्वारा 20 के अंतर्गत पूरा संबंधी आवेदन पत्र के आधार पर 64095.50वर्गमी० भूमि छोड़ने की संसुति की थी जबकि द्वारा 2111 के अंतर्गत 7183 वर्गमी० में आवासीय नवनों के निर्माण का घोषणा पत्र दि० 14.9.76 से लपित होता दर्शाया गया । इस प्रकार पूरा हेतु संसुति के बाद केवल 6486.12 वर्गमी० भूमि अवशेष थी । ज्ञातन द्वारा 59005.24 वर्गमी० की पूरा प्रदान करने के बाद घोषणा पत्र 11576.38 वर्गमी० भूमि में प्रस्तावित निर्माण के स्थान पर परिवार में ज्ञातन द्वारा पूरा से बची हुई क्षेत्र 11576.38 वर्गमी० भूमि में आवासीय नवनों के निर्माण हेतु ग्र-धारक द्वारा प्रस्तावित रेखांकित मानचित्र की स्वीकृति दि० 21.6.81 को प्रदान करके घोषणा पत्र में अंतर्गत क्षेत्र से अधिक क्षेत्र में निर्माण की अनुमति



Signature

देकर भू-भारत की भूमि को राज्य सरकार में अर्पित होने से बचा
गिया ।

इस प्रकार श्री कमलेश्वर प्रसाद श्रीवास्तव उचित कदाशयतापूर्व
व्यवहार करके अखिल भारतीय सेवाएं प्राप्त कर लिये। नियम 1968 के नियम
उ के अनुसार अपने कर्तव्यों का पालन करने में अवकाश रहे । अतः श्री श्रीवास्तव
दुराचरण के दोषी हैं ।

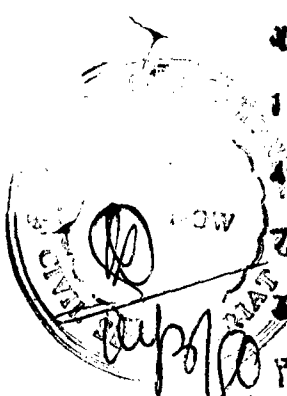
श्री रा. यादव
सचिव।



Dr. P. S. Das

आप, जब दिनांक 10-3-76 से दिनांक 30-6-81 तक
बनर झूमि सीमारोपण, वाराणसी में छत्तम प्राधिकारी पद पर
विद्युत हो तब आपने अपने 5 वर्ग 3 1/2 माह के कार्यकाल में बनर
झूमि सीमा एवं विनियमन अधिनियम 1976, प्रभावी दिनांक
17-2-76 के अधीन विद्यार्थित सीमा से अधिकांश झूमि/माका को
अज्ञात के तौर पर रिकॉर्ड में दर्ज कर वास्तव को प्राप्त होने संबंधी
कार्यवाही में पर्याप्त सतर्कता बरतते हुए उक्त अधिनियम की धारा
6, 8, 9, 10, 11, 21 एवं 38 के प्राविष्टादों और वास्तवीय बांधेबाँधों
के अनुसार अपने वास्तव का विवरण न कर सर्वेक्षी प्रमोद कुमार पुत्र
मोदुल बहादुर, शरद कुमार पुत्र श्री राजकुमार एवं राजीव कुमार पुत्र
प्रमोद कुमार निवासी सीके 14/37 बस्वत साहूख, वाराणसी द्वारा
दिनांक 13-6-76 एवं 15-6-76 का प्राम गुललीपुर बनर की झूमि से
संबंधित एवं धारा 6111 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई विवरणी धारा
20111 के अंतर्गत सूट की मांग विनियमन दिने मने बांधेबाँध पद पर दिनांक
31-7-77 एवं 20-4-78 द्वारा वास्तवीय वास्तव को बांधा बाँध-
कर उक्त झूमि-धाराओं को क्रमांक: 3861-50, 5220, 10358, 16996
यानी 0 झूमि को अवलोकित कठिनाइयों के आधार पर मुक्त किये
बांधे की संस्तुति किया था और राज्य सरकार ने बांधेबाँध सं० क्रमांक:
1134बी/49-51/1838/77, 1134बी/49-51/1839/77, 1134बी/
49-51/1939/77, 1134बी/49-51/1938/77 सही दिनांक 21-12-
78 द्वारा उक्त झूमि को, इस प्रतिबंध के बाधे कि 11-झूमि का
अवयव केवल कृषि के लिये किया जायेगा, 2-झूमि का प्लान्टिंग कर
विशेष/अंतरण नहीं किया जायेगा परन्तु कृषि प्रयोजन हेतु विश्व/
अंतरण नहीं छत्तम प्राधिकारी की अनुमति से किया जायेगा ।
उक्त प्राप्त झूमि यदि बेची जाती है तो बड़े झूमि स्वामी पर भी
उपरोक्त बातें लागू होंगी । मुक्त करने का बांधेबाँध दिया गया एवं
बांधों के अंतर्गत की वस्तु में धारा 20121 के अंतर्गत सूट का
बांधेबाँध निरस्त होने का निर्देश था ।

आपने श्री राज कुमार उक्त झूमि-धारा से संबंधित सूट प्रभाव



Handwritten signature

करने की रिपोर्ट दिनांक 31-7-77 में सूचि संख्या 286,95,99,100/ ।
 मोतीबाई प्रॉपर्टी में रिहात 4863 वर्गमी० को उक्त सू-प्लान के आवासीय
 भाग के लिये आवंटित हुए, उनके एक अन्य आवासीय भाग 49-50 वर्गमी०
 को रिहात सूचि की परिभाषा में करके 1450-50 वर्गमी० सूचि
 प्रयोग्य होने के रूप में प्लॉट नं० 286,95 से वेक्टर परिवार की सम्पूर्ण सूचि
 4863 वर्गमी० से उक्त होमलैंड को विकसित कर योजना 3412-50 वर्गमी० एवं 449
 वर्गमी० कुल सूचि का उपलब्ध कर योग 3861-50 वर्गमी० की रूट की संरक्षित
 किया गया, जिस प्लॉट 8141 की कार्यवाही लिये जाने पर अपने निर्णय
 दि० 20-8-79 में उक्त परिवार के 6 आवासीय भागों के कुल होमलैंड
 118-49 वर्गमी०, एक और आवासीय भाग के कुल होमलैंड 22-30 वर्गमी०
 योग 149-79 वर्गमी० के लिये पुनः पुनः अनुसूचक के रूप में 767-49 वर्गमी०
 एवं द्वितीय अनुसूचक के रूप में प्रत्येक को 500 से 3000 वर्गमी० कुल योग
 [140-79+767-49+3000]=3908-28 सूचि को रिहात सूचि की परिभाषा
 में जाने के आधार पर परिवार की सम्पूर्ण सूचि 4863 वर्गमी० में से
 विकसित कर [4863-3908-28]=954-72 वर्गमी० सूचि को ही रिहात सूचि
 में छोड़े योग्य समझकर संविदा करके, राज्य सरकार द्वारा प्लॉट 20111 के
 संरक्षित कुल प्रयोग हेतु सुक्त की गई 3412-50 वर्गमी० सूचि को राजकीय
 प्रतिबंधों से मुक्त कर दिया और कुलित कर में छोड़ी गई सूचि का
 उत्तरदायित्व/विशेष दुर्घटना में कुलित कार्य के अतिरिक्त अन्य कार्य के लिये राज्य
 सरकार द्वारा प्रतिबंधित लिये जाने पर भी लगभग 1300 वर्गमी० एवं 9 1/2
 एकड़ सूचि को 3 पुनः व्यवस्थाओं के माध्यम से छोड़ी करने की प्लॉट 26
 संविदा दिनांक 1-9-79 को अनुमति दिया ।



Handwritten signature

आपने, वि. वाराणसी उप निवेशन आवास एवं निर्माण सहकारी
 समिति लि० वाराणसी को आवासीय कारोबारों के विकास एवं निर्माण
 कार्य के लिये सहायक निबंधक एवं सहायक आवास आयुक्त उत्तर प्रदेश,
 आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ के यहाँ से वाराणसी जिले की संख्या
 194 पर दि० 26-7-79 को निर्वाहित की, राजकीय आदेशों द्वारा
 सू-प्लान की प्रवीण कुमार एवं उनके पुत्र श्री राजीव कुमार की क्रमशः
 4450 एवं 16184 वर्गमी० छोड़ी गई कुलित सूचि को उक्त समिति के माध्यम
 से छोड़ी करने की अनुमति संव से दि० 21-8-89 को अनुमति प्रदान किया ।
 फलस्वरूप उक्त समिति से उक्त सू-प्लानों की सूचि को दिनांक 14-11-84
 को 2 पैमानों द्वारा रु० 4,50,000/- 14 1/2 भाग रु० में ख़य करके

152

रतीलमर कालोनी का नामकरण करके उक्त भूमि को 90 प्लॉटों में विभाजित करके आवासीय भावनों के निर्माण हेतु बिक्री कर दिया। इस प्रकार राज्यादेश में विहित भावना एवं आदेश का उल्लंघन कर अपने को दोषमुक्त प्रमाणित करने के उद्देश्य से बिक्री हेतु निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र में यह उल्लिखित कर कि भूमि को आवासीय प्लॉटों में विभाजित करके विक्रय नहीं किया जायेगा, किन्तु आवासीय कालोनियों के विकास/निर्माण के लिये पंजीकृत उक्त समिति के लिये अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत कर तद्वत् उसके द्वारा कृषि कार्य के विपरीत आवासीय प्लॉटों में विभाजित कर विक्रय किये जाने की दशा में उक्त समिति के विरुद्ध अपने अपने कार्यकाल तक कोई कार्यवाही नहीं किया।

इस प्रकार आप उचित भारतीय सेवाएँ। आवरण। नियमावली 1968 के नियम 3 के अनुसार अपने कर्तव्यों का निर्वहन न कर कदापि पूर्ण व्यवहार करने एवं दुराचरण के दोषी हैं।

आज्ञा है,

बीरत वादवा
सचिव।



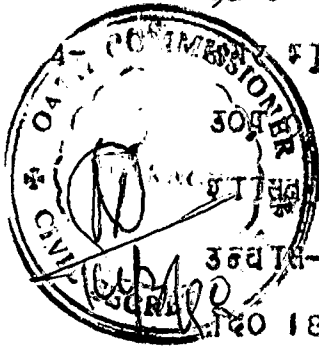
Signature

श्री कमलेश्वर प्रसाद श्रीवास्तव, आई०ए०एस० तत्कालीन सहाय प्रशासिकारी
बगर झुमि सीमारोपणा, के विरुद्ध आरोप संख्या ८ से संबंधित साक्ष्य मेमो ।

समस्तसमस्त

अभिलेखीय साक्ष्य मेमो

क्रमांक	अभिलेख	साक्षी का नाम	क्या प्रमाणित होगा
1-	आ०११०५०५० 2158/ उत्तमलिस-3-3एस। 171/ 1984 दि० 24-8-84	श्री के०पी० मणि त्रिपाठी तत्कालीन पुलिस उपाधी- द०, 30५० सतर्कता अद्विष्टान, वाराणसी	शासनआदेशा जिसके द्वारा अचि/ अन्वेष्टाणा सतर्कता अद्विष्टान को सुपुर्द हुई ।
2-	आ०११०५०५० ५०५० अनु०-2-171/84 दि० 31 अगस्त, 1984	-तदैव-	वरिष्ठ पुलिस उपाधीद०, अचि 30५० सतर्कता अद्विष्टान तहानक का पत्र जिसके द्वारा अचि वाराणसी परिदोष को आवंटित की गयी ।
3-	पुलिस अद्विष्टान, 30५० सतर्कता अद्विष्टान, वाराणसी का आदेश संख्या ५०५०/अनु०-2- 171/84 दिनांक 28-9-84	-तदैव-	आदेशा जिसके द्वारा अचि/ अन्वेष्टाणा पुलिस उपाधीद०, श्री के०पी० मणि त्रिपाठी सतर्कता अद्विष्टान, वाराणसी को सुपुर्द की गई ।
4-	झुमि अनुष्ठान श्री के०पी० मणि 30५० शासन का त्रिपाठी उक्त आदेशा सं० 143/ उत्तमलिस-275५०सी०/8 दि० 18-2-81		द्वारा 20 बगर झुमि सीमा एवं विनियमन अद्विष्टानियम 1976 के अंतर्गत दूट को नियमन करने संबंधी आदेशा एवं निर्देशा प्रमाणित होगा ।
5-	बगर झुमि अनुष्ठान 30५० शासन का शासनआदेशा सं० 4873/ उत्तमलिस-188५०सी०/8 दि० 18-2-81	-तदैव--	-तदैव-



Signature

15/4

- 6- बगर मूनि अनुमति श्री के०पी० मणि दुर्बल वर्ग आवास व्यवस्था के संबंध में धारा 21 का छूट के संबंध में निर्देश प्रमाणित होता ।
उ०प्र० शासन का विपत्ती, उपर
शासनदेश सं० 875/
उ०प्र०-म० 880/सी०/76
दिनांक 11 मार्च, 1980
- 7- उ०प्र० शासन नियुक्ति श्री के०पी० मणि श्री कमलेश्वर प्रसाद श्रीवास्तव की अनुमति-2 का उ०प्र० विपत्ती सेवा- सहाय प्राधिकारी ब०म०सी० प०सं० 2065/दो-2- नियुक्ति विवेक, वाराणसी पद पर नियुक्ति 1976 दि० 12 मार्च, अरिभावा, प्रमाणित होती ।
1976 एवं उ०प्र० शासन वाराणसी नियुक्ति अनुमति-2 का उ०प्र०प०सं० 378-5/दो- 2-4/21321/1976 दि० 10 मई, 1976
- 8- वाद सं० 516/6593/79- 1-श्री शरद कुमार ग्राम तुलसीपुरा मोतीश्रील में रिहात 80, 517/2627/79-80, पुत्र राजकुमार मूनि के संबंध में दाखिल 516/2515/79-80, 2- श्री राजीव विवरणी पर श्री के०पी० श्रीवास्तव 519/1662/79-80 कुमार/मुक्त वि० सहाय प्राधिकारी, ब०म०सी० वाराणसी द्वारा दूध कार्यवाही एवं प्रमोद कुमार, शरद कुमार बन्धन साहू लेब, अधिनियमितताएं प्रमाणित होती ।
एवं राजीव कुमार मुक्त से छात्रा चौक, वाराणसी संबंधित ब०म०सी० वाराणसी वाराणसी की पत्रावली 3- श्री के०पी० मणि विपत्ती, उपरोक्त
- 9- उ०प्र० शासन के बगर श्री के०पी० विपत्ती श्री राजीव कुमार मुक्त, प्रमोद मूनि अनुमति धारा उपरोक्त कुमार मुक्त, राजकुमार मुक्त एवं शरद कुमार मुक्त के नाम धारा 20 के अंतर्गत शर्तों के साथ मूनि की छूट दी जाती प्रमाणित होता
- 1134जी/49-51118381/77
1134जी/49-51118391/77
1134जी/49-51118381/77 22व
1134जी/49-51118391/77 दि
21-12-78

4150

साहित्यिक साक्ष्य
समयसमयसमयसमयसमय

क्रम क्र. साक्षी का नाम क्या चिह्न होमा

- 1- श्री शारद कुमार पुत्र राजकुमार
निवासी सीके 14/37, बन्दन
साहू लैब, चौक, वाराणसी
 - 2- श्री राजिव कुमार पुत्र
राज कुमार पता
उपरोक्त
 - 3- श्री अरुण कुमार जैन, लिपिक
बोम्बे 10सी०, वाराणसी
 - 4- श्री के०पी० मणि प्रियाठी
सेवा विधुत पुलिस
अधीक्षक, औरंगाबाद,
वाराणसी
- ग्राम तुलीसीपुर की झूमि से संबंधित दारा
6111 के अंतर्गत विवरणी दाखिल होमा,
दारा 20111 के अंतर्गत छूट हेतु आवेदन पत्र
दिया जाता, शासन द्वारा शर्तों के अधीन
झूम-दाराक श्री राजिव कुमार, प्रमोद कुमार
राज कुमार शारद कुमार के नाम झूमि
अवमुक्त किया जाता तथा श्री के०पी०
श्रीवास्तव स्वाम प्राधिकारी द्वारा पालित
आदेश को प्रमाणित करेंगे ।
- श्री के०पी० श्रीवास्तव उक्त के लेखा व हस्ताक्षर
प्रमाणित करेंगे ।
- श्री के०पी० श्रीवास्तव उक्त के विरुद्ध झुली जाय/
अवेगण करके की पुष्टि करेंगे ।

। श्री यादव
सचिव ।

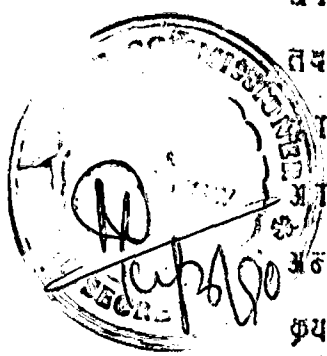
Handwritten signature



103

श्री कमलेश्वर प्रसाद श्रीवास्तव, आईओएसओ, तत्कालीन स्थायी
नगर मूिमि सीमारोपणा, वाराणसी के विरुद्ध आरोप सं-8 के
संबंध में सुसंगत तथ्यों का कटाव ।

श्री कमलेश्वर प्रसाद श्रीवास्तव, आईओएसओ दिनांक 10-3-76
से 30-6-81 तक सहाय प्रशासिका, नगर मूिमि सीमारोपणा,
वाराणसी के पद पर नियुक्त थे । उक्त अवधि में नगर मूिमि
सीमारोपणा कार्यालय, वाराणसी में सर्वश्री राज कुमार व प्रमोद
कुमार पुत्र स्व० श्री गोकुल चन्द्र, शारद कुमार पुत्र राज कुमार एवं
राजीव कुमार पुत्र प्रमोद कुमार निवासी सी० 14/37 लक्ष्मण साहू
लै, वाराणसी से संबंधित याद सं० 516/6593/79-80, 517/
2627/79-80, 519/1662/79-80, एवं 518/2515/79-80 में उक्त
मूिमि-द्वाराओं के दिनांक 13-6-76 एवं 15-6-76 को अपनी मूिमि/
भाव संबंधी विवरणी नगर मूिमि सीमा विनियमन अधिनियम
1976 की धारा 61.1 के अंतर्गत दाखिल किया । विवरणी में
धारा 20 के अंतर्गत छूट में आवेदन पत्र में दोषपूर्ण अंकित करते हुए
दिया था । आवेदन पत्र के आधार पर श्री श्रीवास्तव ने उक्त
मूिमि-द्वाराओं की क्रमांक: 3861-50, 5220-00, 10358-00, 169,
96-00 सभी मूिमि को व्यवस्थापन समीक्षा में फिलहाल के
आधार पर मुक्त किये जाने की संस्तुति राज्य सरकार से किया ।
तत्पश्चात् राज्य सरकार ने क्रमांक: आदेश दिनांकित 21-12-78
धारा कृति प्रयोग हेतु इस प्रतिबंध के साथ मुक्त करने का
आदेश दिया कि मूिमि का प्रयोग कृति कार्य के लिए होगा,
अंतरण/विषय दुर्घटों में नहीं होगा । मुक्त की गई मूिमि को
क्य करने वालों पर भी यह प्रतिबंध लागू होगा । शर्तों का
उल्लंघन करने पर धारा 20.21 के अंतर्गत छूट का आदेश निरस्त
कर दिया जायेगा । छूट का आदेश आने के बाद दिनांक 31-7-79
को श्री श्रीवास्तव द्वारा सभी मूिमि-द्वाराओं को अलग-अलग
धारा 81.3 की बोटिंग निर्गत किया जबकि उस समय दिनांक
5-5-79 को उक्त सर्वश्री प्रमोद कुमार एवं राजीव कुमार ने शासन
द्वारा मुक्त की गई मूिमि विषय करने के लिए अनुमति प्राप्त करने



Signature

157

हेतु आवेदन पत्र सहाय प्रशासिकारी के समक्ष प्रस्तुत कर दिख द्यो ।

दिनांक 20-8-79 को उक्त मू-द्वारकों के मामले में दारा 8141 का निर्णय अलग-अलग श्री श्रीवास्तव से दिया । प्रत्येक मू-द्वारकों की मूमि सीमाधिक्य जो भी पाई गई वह दारा 20111 के अंतर्गत मुक्त किया जाता अंकित करते हुए मू-द्वारकों की कोई मूमि राज्य सरकार में लिखित होने हेतु रोना न होना अंकित कर डाफ्ट नोटिस निरस्त कर दिया ।

श्री राज कुमार मूद्वारक द्वारा दिए गए आवेदन पत्र के संबंध में श्री श्रीवास्तव द्वारा मूमि सं० 286,95,99,100/1 रिहात मोतीहील प्रांगण में 4863 वर्ग मूमि को उक्त मूद्वारक के आवासीय भावन के लिए आवश्यक होता दर्शाकर एक अन्य आवासीय भावन 49-50 वर्ग मूमि दोषफल को रिक्त मूमि में सम्मिलित करके 1450-50 वर्ग मीटर मूमि प्रयोज्य दोष के रूप में प्लॉट सं० 286 एवं 95 से लेकर परिसर की सम्पूर्ण मूमि 4863 वर्ग मूमि से उक्त दोषफल को बिकालकर 148631-1 1450-501=3412-50 वर्ग मूमि की छूट दिए जाने की संरक्षित किया ।

पुनः दिनांक 20-8-79 को उक्त मूमि के संबंध में पारित आपने निर्णय दारा 8141 में श्री श्रीवास्तव से उक्त परिसर के 6 आवासीय भावनों के कुर्सी दोषफल 118-49 वर्ग मूमि, एक गैर आवासीय भावन का कुर्सी दोषफल 22-30 वर्ग मूमि योम 140-79 वर्ग मीटर के लिए प्रथम अनुलम्बक के रूप में 767-49 वर्ग मूमि एवं द्वितीय अनुलम्बक के रूप में 3000 वर्ग मीटर योम 3908-28 वर्ग मूमि को रिक्त मूमि की परिभाषा में न आता मानते हुए परिसर की सम्पूर्ण मूमि 4863 वर्ग मूमि से उक्त दोषफल बिकालकर केवल 954-72 वर्ग मूमि रिक्त मूमि की

परिभाषा में होने योग्य मन्तव्य अंकित किया । इस प्रकार राज्य सरकार द्वारा दारा 20111 के अंतर्गत कृषिक प्रयोग हेतु मुक्त की गई 3412-50 वर्ग मीटर मूमि को राजकीय प्रतिबंधों से मुक्त कर दिया । लगभग 9 1/2 विरवा मूमि अर्थात् 1300 वर्ग मीटर मूमि को तीन पृष्ठाक पृष्ठाक व्यवस्थित के नाम दि० 1-9-79 को विधुय करने की अनुमति उक्त अधिनियम की दारा 26 के अंतर्गत दिया । जबकि

राज्य सरकार से अपने उपरोक्त आदेश के तहत कृषिक रूप में मुक्त की गई मूमि का अन्तरण/विधुय दुम्हों-दुम्हों में कृषिक कार्य के अतिरिक्त

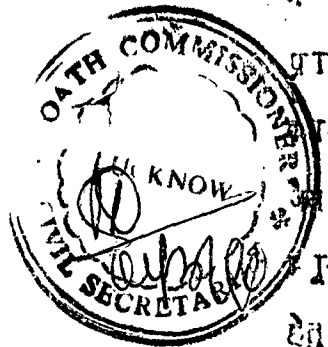


Signature

अन्य कार्य के लिए बाधित किया गया। इस प्रकार श्री श्रीवास्तव ने राज्य सरकार द्वारा प्रतिबंधात्मक मुक्त की गई भूमि को अपने उक्त निर्णय से मुक्त करते हुए भू-द्वारक को लाम्बा किया।

AKO

दि वाराणसी उप निवेशन आवास एवं निर्माण सहकारी समिति लि० वाराणसी आवासीय एवं विकास कार्य के लिए वाराणसी जिले की संख्या 194 पर दिनांक 26-7-79 को सहायक निबंधक एवं सहायक आवास आयुक्त उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद उ०प्र० लखनऊ के यहाँ निबंधित थी। उक्त भू-द्वारक श्री कृष्ण प्रमोद कुमार एवं उनके पुत्र श्री राजीव कुमार द्वारा अपनी शासन द्वारा द्वारा 20 के अंतर्गत मुक्त की गई भूमि को उक्त सहकारी समिति को विप्रेषण किये जाने हेतु सहायक प्राधिकारी, वाराणसी श्री देवी० श्रीवास्तव के यहाँ निवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया, जिस पर दिनांक 21-8-79 को श्री श्रीवास्तव द्वारा कृषिक प्रयोजन हेतु विप्रेषण एवं अंतरण किए जाने की अनुमति देने का आदेश राज्यशासनादेशों में होना अंशित कर उक्त भूमि के संबंध में विप्रेषण की अनुमति प्रदान की गई, जबकि उक्त सहकारी समिति केवल आवासीय कालोनियों के विकास एवं निर्माण हेतु पंजीकृत थी। इस प्रकार श्री श्रीवास्तव ने उक्त आवासीय सहकारी समिति को उक्त वार भू-द्वारकों को शासन द्वारा कृषिक प्रयोजन हेतु मुक्त की गई भूमि को विप्रेषण किए जाने की अनुमति देकर राज्यशासनादेश का उल्लंघन किया और अपने को दोषा मुक्त प्रमाणित करने के उद्देश्य से पिछी के अलावति प्रमाण पत्र में यह तथ्य अंशित कर दिया कि भूमि को आवासीय प्लॉटों में विभाजित करके विप्रेषण नहीं किया जायेगा और शासन द्वारा आदेशित प्राविद्यालयों का पालन होता भी रहेगा, जबकि सहकारी समिति कृषिक कार्य के लिए पंजीकृत नहीं थी, अपितु आवास निर्माण हेतु पंजीकृत थी। कि अन्वेषण से पाया गया कि उक्त सहकारी समिति द्वारा उक्त भू-द्वारकों को छुप करके प्लॉटों में विभाजित करके आवासीय निर्माण हेतु विप्रेषण कर दिया गया। इस प्रकार शासन द्वारा उक्त भूमि के संबंध में निश्चित प्रतिबंधों का उक्त सहकारी समिति द्वारा उल्लंघन किए जाने के संबंध में श्री श्रीवास्तव द्वारा अपने कार्यकाल में उक्त समिति के विरुद्ध कोई कार्यवाही करना सुनिश्चित नहीं किया गया।



Signature

इस प्रकार श्री अमरेश्वर प्रसाद श्रीवास्तव उक्त अधिकार भारतीय

सेवाये [आवरण] नियमावली 1968 के नियम 3 के अनुरूप अपने कार्टवर्क का पालन करने में असफल रहे। अतः श्री श्रीवारतय कदाशायतापूर्ण व्यवहार करने एवं दुरावरण के दोषी पाये गये।

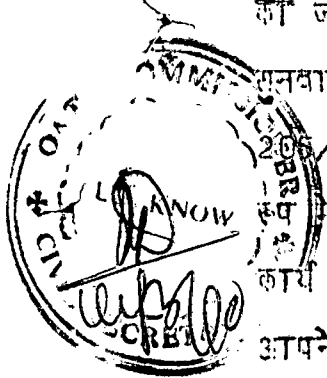
श्रीरा यादव
सचिव।



Subandaw

आरोप संख्या-9 =====

आप जब दिनांक 10-3-76 से दिनांक 30-6-81 तक नगर भूमि सीमा रोपण वाराणसी में सक्षम प्राधिकारी के पर नियुक्त थे तब आपने अपने पांच वर्ष साढ़े तीन माह के कार्य-काल में नगर भूमि सीमा एवं विनियमन अधिनियम 1976 प्रभावी दिनांक 17-2-76 के अधीन निर्धारित सीमा से अधिक भूमि/भवन को जनहित के लिए रिक्त घोषित कर शासन को प्राप्त होने संबंधी कार्यवाही में पर्याप्त सतर्कता न बरत कर उक्त अधिनियम की धारा-6, 8, 9, 10, 11, 21 एवं 38 के प्राविधानों और शासकीय आदेशों के अनुसार अपने दायित्व का निर्वहन न कर, श्रीमती लक्ष्मी देवी घोरपड़े निवासी धी-21/100-ए कमच्छा वाराणसी द्वारा अधिनियम की धारा 6111 के अंतर्गत क्रमांक 7085 पर ग्राम मड़ौली, वाराणसी की कुल 7.10 एकड़ अर्थात् 28793.70 वर्ग मी० भूमि/भवन से संबंधित दायित्व की गयी विचारणी पर सर्वेक्षण के पश्चात् उपान्त क्षेत्र में भू-धारिका द्वारा धारित उक्त भूमि भवन जो राजस्व अभिलेखों में कृषि रूप में अंकित थी किन्तु मास्टर प्लान में कृषि से भिन्न भू-प्रयोग प्रदर्शित होने के आधार पर रिक्त भूमि की परिभाषा में मान्य होने से भू-धारिका द्वारा धारित उक्त क्षेत्रफल से 1500 वर्ग मी० प्रयोज्य क्षेत्रफल निकालकर शेष 27293.70 वर्ग मी० अतिरिक्त रिक्त भूमि प्रस्तावित करते हुए धारा -8131 के अंतर्गत दिनांक 7-11-78 को नोटिस निर्गत किया। भू-धारिका की ओर से दिनांक 5-12-78 को उक्त नोटिस की जवाब देते हुए मास्टर प्लान की वैधता का प्रश्न उठाया गया एवं मामले की सुनवाई की ही अवधि में राज्य सरकार ने विज्ञप्ति संख्या-3036/आई०एच०-2006/यू०सी०/79 दिनांक 15-11-79 द्वारा आपका कार्य सक्षम प्राधिकारी के रूप में केवल नगर क्षेत्र के लिये ही सीमित कर दिया और उपान्त क्षेत्र के सम्स्त कार्य आपसे हटकर उपनगर अधिकारी में समाहित कर दिया गया, फिर भी आपने उक्त मामला उपान्त क्षेत्र के सम्म अधिकारी के पास हस्तान्तरित न कर समय सुनवाई करके अपने स्थानान्तरण आदेश की जानकारी होने पर उक्त पद के कार्य-भार से दिनांक 30-6-81 को मुक्त होने के एक दिन पूर्व नगरीय क्षेत्र के मास्टर प्लान को अनाधिकारिक रूप से अवैध घोषित करके उक्त भू-धारिका की सम्स्त भूमि-भवन स्वयं द्वारा दिनांक 7-11-78 को धारा-8131 के अंतर्गत निर्गत नोटिस में 27293.70 वर्ग मी० अतिरिक्त रिक्त प्रस्तावित भूमि/भवन



Handwritten signature

(A/67)

करके भी उसे याद संख्या-30/174/928/7025/76-77 के अधीन दिनांक 29-6-81 को अपने अधिकार क्षेत्र में न होते हुए भी प्रकाश करके नोटिस को निरस्त करने का आदेश पारित किया।

इस प्रकार आप अखिल भारतीय सेवायें, आचरण, नियमावली, 1968 के नियम-3 के अनुसार अपने कर्तव्यों का निर्वहन न कर कदापि पूर्ण व्यवहार एवं दुराचरण के दोषी हैं।

आज्ञा से,

। नीरा यादव ।
सचिव



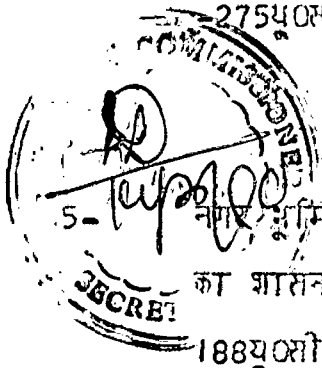
N. Yadav

162

श्री कमलेश्वर प्रसाद शीवास्तव, आई०ए०ए० तत्कालीन सधम प्राधिकारी, नगर भूमि सीमारोपण, वाराणसी के विरुद्ध आरोप संख्या ९ से संबंधित साक्ष्य भेगो।

अभिलेखीय साक्ष्य भेगो

क्रमांक	अभिलेख	साक्षी का नाम	क्या प्रमाणित होगा
1-	आ०शा०प्र०सं० 2152/उन्वास्त-3 -3एस॥171/1984 दिनांक 24-8-84	श्री के०पी०एम० त्रिपाठी तत्कालीन पुलिस उपाधीक्षक, जांच/अन्वेषण सतर्कता उ०प्र० सतर्कता अधिष्ठान, अधिष्ठान को सुपुर्द हुई। वाराणसी।	शासनादेश जिसके द्वारा
2-	आ०शा०प्र०सं० 171/84 दि० 31 अगस्त, 1984	तदैव	वरिष्ठ पुलिस उपाधीक्षक, जांच उ०प्र० सतर्कता अधिष्ठान, लखनऊ का पत्र जिसके द्वारा जांच वाराणसी परिक्षेत्र को आवंटित की गई
3-	पुलित अधीक्षक, उ०प्र० सतर्कता अधिष्ठान, वाराणसी का आदेश सं० स०जी०/अनु-2-171/84 दि० 28-9-84	तदैव	आदेश जिसके द्वारा जांच/अन्वेषण पुलित उपाधीक्षक, श्रीके०पी०एम० त्रिपाठी, सतर्कता अधिष्ठान, वाराणसी को सुपुर्द की गयी।
4-	नगरभूमि अनुभाग, उ०प्र० शासन का शासनादेश सं० 143/उन्वास्त- 275यू०सी०/8 दि० 18-2-81	श्री के०पी०एम० त्रिपाठी, उक्त	धारा 20 नगर भूमि सीमा एवं विनियमन अधिनिय- म 1976 के अंतर्गत छूट को नियमन करने संबंधी आदेश एवं निर्देश प्रमाणित होगा
5-	नगरभूमि अनुभाग, उ०प्र० शासन का शासनादेश सं० 4873/उन्वास्त- 188यू०सी०/8 दिनांक 18-2-81	तदैव	तदैव
6-	नगर भूमि अनुभाग, उ०प्र० शासन का शासनादेश सं० 875/उन्वास्त- 188यू०सी०/76 दि० 11 मार्च, 1980	श्री के० पी०एम० त्रिपाठी उक्त	दुर्गल वर्ग आवास व्यवस्था के संबंध में धारा 21 को छूट के संबंध में निर्देश प्रमाणित होगा



- 7- उ०प्र० शासन नियुक्ति अनुभाग-2 श्री के० पी० मणि त्रिपाठी श्री कमलेश्वर प्रसाद
का अ०शा०पत्र सं० 2065/दो० 121 सेवा निवृत्त विवेचक, श्रीवास्तव की सक्षम
1976 दि० 12 मार्च, 1976 एवं उ०प्र० औरंगाबाद, प्राधिकारी, न०भू०सी०,
शासननियुक्ति अनुभाग 121 का थाना लक्सा, वाराणसी वाराणसी पद पर नियुक्ति
अ०शा०पत्र सं० 378-5/दो० 1214/ प्रमाणित होगी।
21321/1976 दि० 10 मई, 1976
- 8- वाद सं० 30/174/928/7085/ श्रीमती लक्ष्मी देवी धोरपड़े ग्राम मझौली की 7-10
76-77 बनाम श्रीमती लक्ष्मी देवी नि०बी 21/100ए।, कमच्छा एकड़ भूमि भवन से
धोरपड़े से संबंधित पत्रावली थाना भलूपुर, वाराणसी संबंधित विवरणी दाखिल
2-श्री के०पी० मणि त्रिपाठी करना, श्री के०पी०
उक्त श्रीवास्तव उक्त द्वारा
की गई कार्यवाही एवं
अनियमितताएं प्रमाणित
होगी
- 9- श्रीचन्दन गोपाल, तत्कालीन संयुक्त श्री चन्दन गोपाल, श्री के० पी० श्रीवास्तव
निदेशक, न०भू०सी० वाराणसी का तत्कालीन सक्षम प्राधिकारी, द्वारा दिनांक 29-6-81
अर्थात्पत्रांक 135/एसटी/मांग पत्र न०भू०सी० वाराणसी। को धारा 8141 के
न०भू०सी०, वाराणसी दिनांक 20-10-81 अंतर्गत पारित आदेश
मय वाद सं० 30/174/928/7085/76-77 के अधीन xxxxx अद्वैधानिक होना
धारा 8141 के अंतर्गत श्री के०पी० श्रीवास्तव प्रमाणित होगा।
द्वारा पारित आदेश दिनांकित 29-6-81
- 10- मुख्य नगर नियोजक, वाराणसी विकास वाराणसी महायोजना
प्राधिकरण का पत्रांक 2048/वि०प्र० में प्रस्तावित भू-प्रयोग
म०नि०/84-85 दिनांक 24-11-85 प्रमाणित होगा
मय संलग्नक सहित
आनन्द प्रकाश वर्मा
मु०न०नि० एवं वास्त-
विद, वा० वि० प्र०
वाराणसी
श्री के० पी० मणि त्रिपाठी
उपरोक्त
श्री के० पी० श्रीवास्तव,
सक्षम प्राधिकारी उक्त के
अधिकार क्षेत्र का पुनः
निर्धारण प्रमाणित होगा

उ०प्र० शासन के नगर विकास अनुभाग
के विज्ञापित सं० 3036/आई०एस०/
205/पु०सी०/79 दिनांक 15-11-79

[Handwritten signature]

मौखिक साक्ष्य
=====

क्रमांक
=====

साक्षी का नाम
=====

क्या सिद्ध होगा
=====

- 1- श्रीमती लक्ष्मी देवी, धोरपड़े,
निवासी बी 21/100ए, कमछा,
भूलपुर, वाराणसी
- 2- श्री चन्दन गोपाल, तत्कालीन
सक्षम प्राधिकारी, न०भू०सी०,
वाराणसी।
- 3- श्री अरुण कुमार जैन, लिपिक
न०भू०सी० वाराणसी
- 4- श्री के० पी० मणि त्रिपाठी
सेवा निवृत्त पुलिस उपाधीक्षक,
औरंगाबाद, वाराणसी

ग्राम मड़ौती की 7-10 एकड़ भूमि के संबंध
में धारा 611 के अंतर्गत विवरणी दाखिल
करना श्री के० पी० श्रीवास्तव द्वारा आदेश
पारित होना, जिसके विरुद्ध श्री चन्दन
गोपाल द्वारा धारा 34 की कार्यवाही
करने की पुष्टि करेंगी।

श्री के० पी० श्रीवास्तव द्वारा धारा 814
के अंतर्गत पारित आदेश का दोषपूर्ण होना
एवं भूधारिका के विरुद्ध धारा 34 के अंतर्गत
कार्यवाही करना प्रमाणित करेंगे।

श्री के० पी० श्रीवास्तव उक्त के लेख व
हस्ताक्षर की पुष्टि करेंगे।

श्री के० पी० श्रीवास्तव उक्त के विरुद्ध
खुली जांच/अन्वेषण करने की पुष्टि करेंगे।



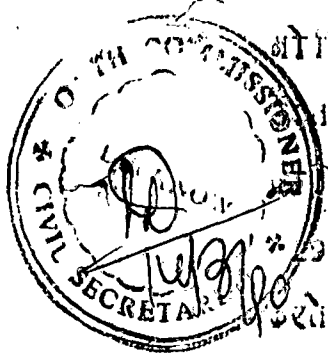
। नीरा यादव ।
तथिव

Signature

श्री जगदीश्वर प्रसाद श्रीवास्तव, आईओएचओ, अन्तर्गत नाम प्राधिकारी,
बनर ग्राम सीमांतरोपण वाराणसी के पिछा आरक्षण 10-9 के संबंधित सुव्यवस्था
तदर्थों का प्रश्न :-

1165

श्री जगदीश्वर प्रसाद श्रीवास्तव, उक्त दिनांक 10.3.76 से दिनांक
30.6.81 तक नाम प्राधिकारी, बनर ग्राम सीमांतरोपण, वाराणसी के पद पर
नियुक्त थे। उक्त अवधि में श्रीमती लक्ष्मी देवी घोरपड़े से संबंधित वाद संख्या:
30/174/928/7085/76-77 के संबंध में श्रीमती लक्ष्मी देवी घोरपड़े उक्त आरक्षण
अधीन ग्राम/नयन संबंधी विवरणों आदि 7085 पर उक्त अधिनियम की धारा
6(1) के अंतर्गत प्रत्यक्ष की गयी, तदुपरांत श्री श्रीवास्तव उक्त आरक्षण संबंधित ठर
अथवा धारा 3(3) के अंतर्गत उक्त न-धारिता आरक्षण धारिता, आरक्षण महीने उपांत
में से 7.10 एचओ आदि 23793.70 योजी 0 ग्राम/नयन रोजन
अधिनियम में अंतर्गत होवे, किन्तु वाराणसी बनर मास्टर प्लान में ग्राम से
नियम एवं में प्रयोग होने के आधार पर स्थित ग्राम की परिभाषा में मान्य
होवे के कारण धारा-8(3) के अंतर्गत दि. 07.11.78 को नोटिफिकेशन किया
गया। न-धारिता की तरफ से इस नोटिफिकेशन का अभाव दि. 05.12.78 को
दिया गया निम्न मास्टर प्लान की धारिता की सुविधा की गयी। उक्त वाद
की अवधि में ही दि. 19.11.79 को राज्य सरकार के विभाजित संख्या: 3036/
49-2059041090/79 आरक्षण श्री श्रीवास्तव उक्त/आरक्षण नाम प्राधिकारी के
एवं में देवन बनरी क्षेत्र के लिए सीमांत अथवा आरक्षण उपांत क्षेत्र के समस्त
कार्य उपकरण अधिनियमों में समाहित कर दिया किन्तु श्री श्रीवास्तव ने उक्त
नोटिफिकेशन के अभाव में ही उक्त आरक्षण महीने में अन्तर्गत आरक्षण क्षेत्र में
आरक्षण में जो उक्त सीमा से बाहर हो गया था, जो उपांत क्षेत्र के अन्तर्गत
प्राधिकारी के पद अधिनियम कार्यवाही के अन्तर्गत नहीं किया अपितु दि. 0
29.6.81 को जबकि उक्त स्वातंत्र्य आदेश आरक्षण आरक्षण धारिता
उक्त आरक्षण क्षेत्र के मास्टर प्लान को अधिनियमिक एवं में अन्तर्गत धारिता
करके उक्त न-धारिता को समस्त ग्राम/नयन को अन्तर्गत अन्तर्गत आरक्षण की गयी
धारा -8(3) को नोटिफिकेशन को निरस्त कर दिया।



Handwritten signature

श्री श्रीवास्तव के स्वातंत्र्य के बाद उक्त अधिनियमों श्री अन्तर्गत
नियम के श्री श्रीवास्तव आरक्षण निर्मित उक्त वाद में अन्तर्गत आरक्षण संख्या: 135/
एचओ/आरक्षण दि. 20.10.81 आरक्षण निर्मित, बनर ग्राम सीमांतरोपण
उपांत उक्त निर्मित को अधिनियम की सीमा से बाहर दिये जाने के आधार

1166

-113-

पर राज्य सरकार ने धारा-34 के अंतर्गत पुनरीक्षण दिये जाने की संस्तुति
 किया जिसके आधार पर राज्य सरकार ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद
 धारा-34 के अंतर्गत श्री श्रीवास्तव द्वारा दि० 29.6.81 को पारित किये गये
 निर्णय को विरस्त कर दिया और पुनः सुनवाई हेतु आदेश दिया गया ।
 पुनः सुनवाई किये जाने के आदेश को नू-धारित न उच्च न्यायालय में
 चुनौती दिया कसबख उच्च न्यायालय ने अपने आदेश दि० 6.11.85 के
 द्वारा कार्यवाही स्थगित कर दिया । अतः कार्यवाही रुकी हुई है ।

इस प्रकार श्री कमलेश्वर प्रसाद श्रीवास्तव उक्त कदाचित्तावधि
 व्यवहार करते एवं अखिल भारतीय सेवाएं आवरण नियमावली 1968 के नियम-3
 के अन्तर्गत कर्तव्य पालन में अग्रस्त पाये गये तथा दुराचरण के दोषी हैं ।

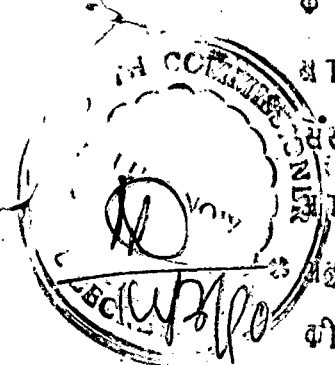
lebbandar



दीर्घा वास्तव
 सचिव

AK67

आप, जब दिनांक 10-3-76 से दिनांक 30-6-81 तक नगर
मूमि सीमारोपणा, वाराणसी में सहाय प्रशासिकारी के पद पर
नियुक्त हो तब आपने अपने 5 वर्ष 3 1/2 माह के कार्यकाल में नगर
मूमि सीमा एवं विनियमन अधिनियम 1976 प्रभावी दि०
17-2-76 के अर्थात् निर्धारित सीमा से अधिका मूमि/स्थल का
जलदित के लिए रिक्त घोषित कर शासन को प्राप्त होते संबंधी
कार्यवाही में पर्याप्त सतर्कता न करत कर उक्त अधिनियम की धारा
6, 8, 9, 10, 11, 21 एवं 38 के प्राविधानों और शासकीय आदेशों
के अनुसार अपने दायित्व का निर्वहन न कर श्रीमती ^{उत्प} लक्ष्मी
नाम पत्नी श्री प्रदुम्न राम, नगर निवासी - सी०के०-7/104
सिद्धेश्वरी, वाराणसी द्वारा ग्राम तुलसीपुर शहर वाराणसी में
स्थित अपने नाम की 4.31 एकड़ मूमि अर्थात् 17522.57 वर्गमी०
क्षेत्रफल से संबंधित धारा-61.11 के अंतर्गत क्रमांक 2757 दिनांक
15-9-76 को दाखिल की गयी विवरणी एवं उसके तादा लेहस
विद्या संस्था गृह निर्माण सहकारी समिति से संबंधित इकरारनामा
एवं उद्घोष बलात् के कामजात संलग्न करते हुए धारा-20.1. के अंतर्गत
मूमि मुक्त किये जाने की मांग विनायक प्रार्थना पत्र पर धारा 8.3.
के अंतर्गत दि० 27-7-79 को निर्गत नोटिस के प्रति उत्तर में श्रीमती
नाम द्वारा दि० 20-8-79 को दी गयी सूचना में लेहस विद्या
संस्था गृह निर्माण समिति से हुए एकरारनामा के विपरीत
आवासीय, गैर आवासीय भावनों के कुर्सी क्षेत्रफल एवं उनके लिये देय
अनुलग्नक तहसील मास्टर प्लान से प्रभावित सड़क के आधार पर छूट
की मांग करते हुए शेष अतिरिक्त घोषित मूमि कृषिक प्रयोग
हेतु धारा 20.1. के अंतर्गत मुक्त करने के अनुरोध के परिप्रेष्य में
मास्टर प्लान से प्रभावी सड़क के क्षेत्रफल को मूमि-धारिका से
स्पष्ट न कराकर एवं सहाय प्रशासिकारी वरिष्ठ नियोजक कम वास्तुकला
विद वाराणसी विकास प्राधिकरण अध्याय संयुक्त नियोजक
वाराणसी सम्भागीय नियोजक कण्ड या नगर एवं ग्राम्य नियोजक
विभाग वाराणसी से उक्त मूमि-धारिका के क्षेत्र से मूमि-कण्ड में



Leah Bhandari

में कितना होत्रकल मारटर प्लाज की सड़क से प्रमाणित था, का विराकरण सुनिश्चित दिये बिना उक्त मू-टारिका द्वारा टारित मू-काण्ड 261, 266, 267, 270, 271, 272 से 1276.30 वर्ग मी० मूमि को मारटर प्लाज की सड़क के विस्तारण के काम पर वाद संख्या 527/2757/79-80 के अंतर्गत टाररा-8*4" में दिनांक 27-8-79 को अवमुक्त कर दिया।

आपने दिनांक 27-8-79 को टाररा 8*4" के अंतर्गत पारित आदेश में मू-टारिका के मू-काण्डों में से सम्मिलित रूप में 14269.12 वर्ग मी० अतिरिक्त रिक्त मूमि घोषित किया था। उक्त मूमि को कृषिक प्रयोग हेतु मू-टारिका की दयवितमत कछाई के आटार पर टाररा 20*1" के अंतर्गत मुक्त करने की शायन से दि० 4-9-79 एवं 24-12-79 को संस्तुति किया था। मू-टारिका द्वारा बेहर विद्या संर डालन गृह निर्माणा सहकारी समिति से किये गये इकरारनामा एवं उपयोग के आटार पर छूट की विवरणी में अंकित माँग तथा उसके संबंधित अभिलेखा प्रमायती में रकबा सुनिश्चित न कर, टाररा-20*1" के अंतर्गत राज्य सरकार के कवर मूमि अनुमान टाररा-20 सेल के आदेश सं०-2222जी/49-5111711/76 दिनांक 7-2-80 द्वारा कृषि कार्य हेतु उपयोग किये जाने, मूमि प्लान्टिंग कर अंतरण/विक्रय न करने, कृषिक प्रयोजन हेतु विक्रय/अंतरण सहाम प्राधिकारी की अनुमति से होने, बिछी की दरगा में लये मू-स्वामी पर मी उपर्युक्त बातें लागू होने की बातों के साथ अतिरिक्त रिक्त घोषित की गई मूमि को मुक्त करने के परिप्रेक्ष्य में आपने कृषिक कार्य से निवृत्त सहायक आयुक्त आवास विकास परिषद लखनऊ के यहाँ से क्रमांक 227 पर दि० 16-3-80 को भावनों के निर्माणा हेतु पंजीकृत एवं कृषिक कार्य हेतु बिना पंजीकृत इकाई उक्त समिति के पद में 7100 वर्ग मी० मूमि की उक्त मू-टारिका को बिछी करने की टाररा 26 के अग्रिम अनुमति पत्रांक-862 दिनांक 25-3-81 को प्रदान किया, जिसके फलस्वरूप दिनांक 11-5-81 को उक्त समिति से मूकाण्ड सं०-266, 267, 270, 271, 272, उक्त मू-टारिका से ग्रह किया।



Signature

इस प्रकार आप अहिंस भारतीय सेवा में आवरण नियमावली 1968 के नियम-3 के अन्तर्गत अपने कर्तव्यों का निर्वहन न कर कदापि पूर्ण व्यवहार एवं दुराचरण के दोषी हैं ।

आप्त से,

श्रीरा यादव
सचिव ।



bbsdudaw

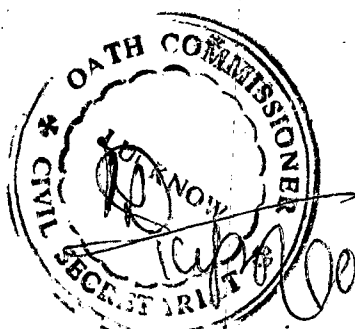
श्री कमलेश्वर प्रसाद श्रीवास्तव, आई०ए०एस० तत्कालीन सहाय
प्रतिष्ठापक, नगर मूिमि सीमांश, वाराणसी के विरुद्ध
आरो सं०-10 से संबंधित साक्ष्य मेमो ।

1170

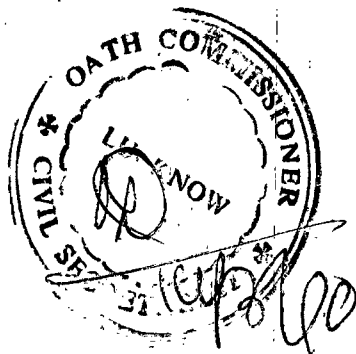
अतिरिक्त साक्ष्य मेमो

क्रमांक	अतिरिक्त	साक्षी का नाम	व्या प्रमाणित होता
1-	आरोपित सं० 2158/ उत्तरांचल-3-3एस। 171 1984 दिनांक 24-9-84	श्री कै०पी० मणि प्रियाठी, तत्कालीन पुलिस उपनिरीक्षक, उ०प्र० सतलुआ अतिरिक्त, वाराणसी	आदेशों द्वारा जॉय/ अन्यथा सतलुआ अतिरिक्त को सुपुर्द हुई ।
2-	आरोपित सं० सो०/० अनु०-2-171/84 दि० 31 अगस्त, 1984	-तदैव-	वरिष्ठ, पुलिस उपनिरीक्षक, जॉय उ०प्र० सतलुआ अतिरिक्त लुआउ का पत्र जिसके द्वारा जॉय वाराणसी पुलिस को आवंटित की गई ।
3-	पुलिस अतिरिक्त, उ०प्र० सतलुआ अतिरिक्त, वाराणसी का आदेश सं० सो०/अनु०-2-171/ 84 दिनांक 28-9-84	-तदैव-	आदेशों द्वारा जॉय/अन्यथा पुलिस उपनिरीक्षक, श्री कै०पी० मणि प्रियाठी, सतलुआ अतिरिक्त वाराणसी को सुपुर्द की गयी ।
4-	नगर मूिमि अनुष्ठान, उ०प्र० शासन का शासन- उत्तर देश सं० 143/उत्तरांचल-275 पु०सी०/8 दि० 18-2-81	श्री कै०पी० मणि प्रियाठी	द्वारा 20 नगर मूिमि सीमा एवं विनियमन अतिरिक्त 1976 के अन्तर्गत कूट को नियमन करने संबंधी आदेश एवं निर्देश प्रमाणित होता ।
5-	नगर मूिमि अनुष्ठान उ०प्र० शासन का शासनदेश सं० 4873/उत्तरांचल-188 पु०सी०/8 दि० 18-2-81	-तदैव-	-तदैव-

Handwritten signature



- Uppendaw



(472)

- 11- 30प्र0 श्रुतसं के लमर श्री के०पी० मणि त्रिपाठी श्रीमती उष्ता लक्ष्मी नायर की
 मूनि अनुमति दत्त उपरोक्त
 201सेल का पत्रांक 2282
 स०प्र० जी/49-5111711/
 76 दि० 7-2-80
- 12- 30प्र0 श्रुतसं के लमर मूनि श्री के०पी० मणि
 अनुमति के आदेश सं० 1132/त्रिपाठी उपरोक्त
 49-17यू०पी०/76 दि०
 25-4-77, 715/49-32
 यू०सी०/76 दि० 7-4-77
 154/49-17यू०सी०/76
 दि० 23-1-78, 97जी/49-
 78-50211761/76 एवं
 निदेशक ल०फू०सी० उ०प्र०
 लक्ष्मी का आदेश सं०
 294एस०टी०/3-21 धी०एम०
 अ०टि०/साम०तय/सह/76
 दिनांक 18-7-78

गौडि क सहय

क्रमिक

सहती का नाम

- 1- श्रीमती उष्ता लक्ष्मी नायर पत्नी श्री
 प्रदुम्न राम, 7/104 सिद्धेश्वरी बाना
 चौक, वाराणसी

व्याप्ति सिद्ध होगा

ग्राम तुलसीपुर में 4-31 एकड़ मूनि के
 संबं० में विवरणी दाखिल करवा,
 द्वारा 8141 में श्री के०पी० श्रीवास्तव
 द्वारा पारित आदेश एवं द्वारा 20
 में छूट हेतु आवेदन पत्र देना, श्री के०पी०
 श्रीवास्तव द्वारा की गई संस्तुति से
 कृषि कार्य हेतु छूट प्राप्त होना, किन्तु
 बाद में आवासीय सहकारी समिति को
 विक्रय कर देना प्रमाणित करेंगी ।



Signature

2- श्री अरुण कुमार वैज,
लिपिक, 808 जोशी 0,
वाराणसी

3- श्री देवी 0 मणि प्रियाती,
सेवा निवृत्त पुलिस उपाधीक्षक
प्रौरंगाबाद, वाराणसी

श्री देवी 0 श्री वास्तव उद्योग के लेटा प
हस्ताक्षर को प्रमाणित करेंगे ।

(A173)

श्री देवी 0 श्री वास्तव उद्योग के विरुद्ध
हुज्जी जाँच/अन्वेषण करने की प्रणिति
करेंगे ।

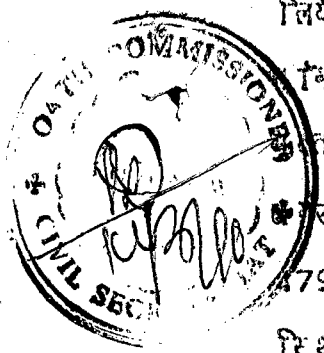
श्रीरा यादव
सचिव ।



Shri Arun Kumar

श्री कमलेश्वर प्रसाद श्रीवास्तव, आईओएसओ तत्कालीन सहायक प्राधिकारी, बगर भूमि सीमारोपण, वाराणसी के विरुद्ध आरोप संख्या-10 से संबंधित मुसंमत तथ्यों का कथान :-

श्री कमलेश्वर प्रसाद श्रीवास्तव, आईओएसओ दिनांक 10-3-76 से दिनांक 30-6-81 तक सहायक प्राधिकारी, बगर भूमि सीमारोपण वाराणसी के पद पर नियुक्त थे। उक्त अवधि में बगर भूमि सीमारोपण कार्यालय में श्रीमती उषा लक्ष्मी बागर पत्नी श्री पुष्पेन्द्र राम बागर, निवासी-सी०के०-7/104 विद्वदेश्वरी वाराणसी, से संबंधित वाद संख्या-527/2757/79-80 के संबंध में श्रीमती उषा लक्ष्मी बागर, उक्त ले दिनांक 15-9-76 को बगर भूमि सीमा एवं विनियमन अधिनियम 1976 की धारा 6111 के अंतर्गत विवरणी संख्या-2757 दाखिल किया। विवरणी में 4.31 एकड़ अर्थात् 17522.37 वर्ग मी० में भूमि/भावक होना अंकित है। विवरणी के साथ धारा-19 व 20 के अंतर्गत छूट हेतु आवेदन-पत्र दिया जाता विवरणी में अंकित है परन्तु पत्रावली में उपलब्ध नहीं है। श्री श्रीवास्तव द्वारा उक्त विवरणी के संबंध में सर्वेक्षण कराकर धारा 8131 की नोटिस दि० 27-7-79 को निर्गत किया गया। नोटिस का जवाब श्रीमती बागर की ओर से दिनांक 20-8-79 को दिया गया और पूर्व में दाखिल की गई विवरणी में अंकित गेहूँ खेती-संरक्षण, गृह निर्माण सहकारी समिति से हुए इकरारनामों के आधार पर धारा-20 में मांगी गयी छूट वाली भूमि को विकाल कर आवासीय/नगर आवासीय भावक के किसी फौजदारी उल्लेख लिये देय अनुल्लेखों, मास्टर प्लान से प्रमाणित सड़क के आधार पर छूट की मांग करके रोना बगी भूमि को कृषि कार्य हेतु धारा-20 "1" के अंतर्गत छूट दिये जाने हेतु अनुरोध किया। श्री सी०पी० अरोड़ा तत्कालीन बगर अभियन्ता विकास वाराणसी विकास प्राधिकरण का पत्र संख्या-479 दिनांक 20-8-79 जिसमें भूखण्ड संख्या-261, 266, 267, 270, 271 स्थित मुहल्ला तुलसीपुर को मास्टर प्लान की 100 फुट चौड़ी सड़क से प्रमाणित होना अंकित किया गया था, को श्रीमती बागर ने अपने प्रतिवेदन के साथ संलग्न किया था। तदुपरांत श्री श्रीवास्तव द्वारा उक्त के संबंध में उक्त पत्रों व प्रतिवेदन का हवाला देते हुए उक्त भूखण्डों के संबंध में श्री रवीन्द्र बाटा श्रीवास्तव सहायक तहसीलदार द्वारा तैयार गणना तालिका जिसमें उक्त भूखण्ड में से फ्लैट-2 होकर प्रमाणित था का अंकन न होने पर श्री तालिका के आधार पर दि० 27-8-79 को धारा-8 "1" अंतर्गत भी दिये गये निम्नलिखित निर्णय में सड़क विस्तार के बावजूद



Signature

117

1276 वर्ग मी. भूमि एकाधिकार में आता हुआ है उस भूमि में से कुछ हिस्से को देना गया जबकि उस क्षेत्र का आकार पता में बता दिया होने के बाद कोर वास्तव में आगे भू-आवरण के विष-विष भूमि से निकाल दिया क्षेत्र में प्रमाणित होने की पुष्टि करिष्ठ नियोजन का वास्तव आधिकारिक वारणती विचार प्रारंभिक अवस्था संगत नियोजन वारणती समन्वय नियोजन कृष्ण अवस्था और एवं आर्थिक नियोजन विचार वारणती से कोर करार में ।

श्री श्रीवास्तव द्वारा दि. 27-3-79 को दिये गये निर्णय क्रमांक एनएच-8141 के अनुसार रिक्त घोषित की गयी भूमि 14269.12 वर्ग मी. को भूमि के अधिकार प्रयोग हेतु भू-आवरण को दृष्टिगत करिष्ठ के आदेश पर गृहनिर्माण करने हेतु एनएच 2011 के अनुसार दि. 4-9-79 एवं 4-12-79 को संज्ञा की गयी जबकि भू-आवरण द्वारा विवरण में उल्लेख किया संस्कार गृह निर्माण कक्षा को समिति से उपकरणों व उद्योग के आदेश पर पूरा की जाय दिया गया था । इस पर एनएच के अपने आदेश से उक्त भूमि को गृह करने हुए गृह कर दिया और अधिक कार्य के आदेशित उक्त भूमि का प्रयोग दिये जाने की वृत्ति में एनएच 20*2 के अनुसार पूरा वास्तव कर दिये जाने का प्रतिबंध विचार दिया था । यह भी प्रतिबंध बताया गया था कि सदन प्रारंभिकों के अनुसार से गृह भूमि का विषय भूमि कार्य हेतु दिया जा सके है और देना के कर को उक्त प्रतिबंध लागू होने । एनएच द्वारा उक्त भूमि को भूमि के संज्ञा में

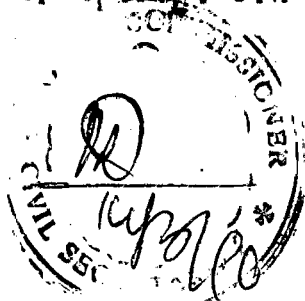
दि. 25-3-81 को अनुमति संख्या 812 द्वारा 7100 वर्ग मी. भूमि को अवधिगत गृह आवास कक्षा को समिति को विषय दिये जाने हेतु अनुमति प्रदान की गयी जिसका उल्लेख उक्त कक्षा को समिति को दि. 1 के अनुसार के एनएच के अनुसार दि. 11-5-81 में किया है, जिसके द्वारा कक्षा को समिति के उक्त भूमि संख्या 266, 267, 270, 271, 272 की जाती वास्तव से दिया गया था । उक्त निर्दिष्ट अवधिगत गृह आवास समिति को संज्ञा 63/190 की प्रकृति वारणती के अर्थ एवं अर्थ द्वारा उक्त भूमि को भूमि में अवधि के निर्माण हेतु भू-विचार वारणती विचार प्रारंभिक के उक्त प्रमाण दिया गया जिसके द्वारा समिति द्वारा एवं आर्थिक संगत नियोजन वारणती समन्वय नियोजन कृष्ण और आर्थिक नियोजन विचार निर्धारित आवास वारणती द्वारा करिष्ठ नियोजन का वास्तव आधिकारिक वारणती विचार प्रारंभिक वारणती को संज्ञित करार 1233/ गृह प्रयोग / 4080-80/80 -81 दि. 9-7-81 द्वारा केवल 266 एवं 267 के विचार के मात्र को उक्त विचारण में जाने भूमि को पुष्टि की गया । इसके उक्त में संज्ञित भूमि

117

117

से देवन 40 वर्ग मी० का सड़क विस्तारण में अना प्रस्तावित है । श्री श्रीवास्तव द्वारा उक्त सड़क विस्तारण में 1276.30 वर्ग मी० ग्राम छोड़ी गया था । इस छूट में सम्मिलित ग्राम की 267 का यह अंश जो सड़क विस्तारण से प्रभावित था जो पिछो उक्त सहकारी समिति को नहीं दिया गया जिससे यह कह पाता संभव नहीं है कि 1276.30 वर्ग मी० उक्त छोड़ी गया ग्राम, सड़क विस्तारण से प्रभावित नहीं है । मू-विन्यास अंशित सड़क से ^{उत्पन्न} ~~उत्पन्न~~ से यही प्रतीत होता है कि लगभग उक्त क्षेत्र सड़क विस्तारण से प्रभावित है । उक्त सहकारी समिति द्वारा प्रस्तुत मू-विन्यास के संबंध में दिये गये आवेदन-पत्र पर श्री श्रीवास्तव द्वारा दि० 29-6-81 को रिपोर्ट में यह अंशित दिया गया कि सहकारी समिति किसी भी सीमा तक ऐसा ग्राम जो सीमा रोपण अधिनियम से मुक्त है, जो रहने के लिए द्वाारा -1911 के अंतर्गत अधिग्रहीत है । जबकि श्री श्रीवास्तव द्वारा यह उल्लेख नहीं दिया गया कि उक्त ग्राम द्वाारा 2011 के अंतर्गत मात्र कृषि ग्राम के शर्तानुसार मुक्त हो गया है । ऐसी दशा में मू-विन्यास स्वीकार करने योग्य नहीं है । कलसूर्य श्री श्रीवास्तव ^{उक्त क्षेत्र} उक्त ग्राम के संबंध में शर्तानुसार के प्रतिबंधों का स्पष्ट उल्लेख न दिये जाने के कारण विस्तार प्रस्तावण वाराणसी द्वारा दि० 19-8-83 को मू-विन्यास स्वीकृत करके नया निर्माण के अंगुलि दी गया ।

इस प्रकार श्री श्रीवास्तव द्वारा श्रीवास्तव द्वारा पूर्ण ~~का~~ व्यवहार करते हुए अंशित भारतीय सेवाएं ^{द्वारा} ~~द्वारा~~ नियमावली 1968 के नियम-3 के अंतर्गत अपने अधिकारों का पालन करने में अवसर रहे । अतः श्री श्रीवास्तव उक्त दुरावरण के दोषी है ।



मोहरी बाबू
सचिव

Signature

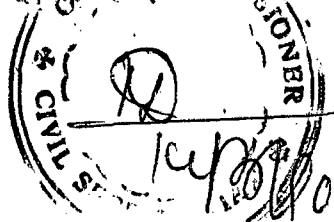
आरोप संख्या-11

1977

आप जब दिनांक 10-3-76 से 30-6-81 तक नगर भूमि सीमा-रोपण, वाराणसी में सभाग प्राधिकारी पद पर नियुक्त थे, तब आपने अपने 5 वर्ष 3 1/2 माह के कारिज में नगर भूमि अधिनियम 1976 प्रभावी दि० 17-2-76 के अधीन निष्ठास्थि सीमा से अधिक भूमि भवन को जनील के लिये रिक्त छोड़ित कर शासन को प्राप्त होने संबंधी कार्यवाही में पर्याप्त क्षमता न करत कर उक्त अधिनियम की धारा 6, 8 §3 एवं नियमावली के नियम 5 §2 §3 के प्रावधानों और शासकीय आदेशों के अनुसार अपने दायित्व का निर्वहन न कर, श्री वैजनाथ पुत्र अग्र देव निवासी एत 15/40 ग्राम मझगा एवं लट्टी भुज निवासी मकान नं० एत 15/112 मझगा वाराणसी द्वारा अपनी अपनी भूमि क्रमाः 5081-23 एवं 2948-50 व० गी० क्षेत्रफल से संबंधित धारा 6 §1 के अधीन क्रमाः क्रमांक 851 एवं 2564 पर दाखिल की गई विवरणी पर धारा 8 §3 के अंतर्गत अधिनियम को नियमावली के नियम 5 §2 §3 के अंतर्गत नियमानुसार नोटिस देना सुनिश्चित न कर एवं निति को गई नोटिसों पर स्वयं द्वारा हस्ताक्षर करना सुनिश्चित न कर रत्न स्टेम्प के हस्ताक्षर से निति नोटिसों के विरुद्ध कोई प्रतिपक्ष मन्ताव्य अर्जित न कर एवं अनिवार्य नोटिस निति लिये होने के लिए दोषी अधिनियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही न कर, भू-धारकों को नोटिसें लागिल करना सुनिश्चित न कर एवं उनकी आपत्तियों के विषय में जवाब लिये और साइड नोस्टाक प्रोफार्मा में उक्त दोनों भू-धारकों के लिए दो प्रत्येक क्षेत्रफल प्रत्येक को 1500 वर्ग गी० मझगासीय भवनों को निकालकर वाद सं०-क्रमा 964/851/80-81 एवं 960/2564/80-81 के अधीन धारा 8 §4 के अंतर्गत क्रमाः 3581-23 एवं 1448-58 वर्ग गी० भूमि क्रमाः दिनांक 15-1-80 एवं 10-10-80 को जाने हस्ताक्षर से अतिरिक्त रिक्त छोड़ित किया तथा अपनी कार्यवाही को प्रदर्शित करने के उद्देश्य से धारा 8 §3 के अधीन नियमावली के नियम 5 §2 §3 के अनुसार निगम कार्यवाही न कर मात्र जानापुरी करे स्थिति दोष पूर्ण कार्यवाही किया। फलस्वरूप भू-धारक द्वारा उच्च न्यायालय बनायावाद में दाखिल रिट पेटोरान सं०-6050/1980 के अधीन नियम 5 के अनुसार धारा 8 §3 की कार्यवाही न करने के कारण आपके द्वारा पारित आदेश को अधिकांश सीमा से बाहर पारित किया जाना स्वीकार करते हुए दि० 2-12-85 को माननीय उच्च न्यायालय बनायावाद द्वारा निर्णय दिया गया। इसे आपकी दोषपूर्ण कार्यवाही से अतिरिक्त रिक्त छोड़ित भूमि राजा सरकार को सत्ताना हो नहीं पास्त न ललिक भू-धारकों द्वारा दाखिल उक्त वाद में राजकीय धान का आवरण हो गया है।

उस प्रकार भूमि अधिकार भारतीय सेवाएँ अधिनियम 68 के नियम 3 के अनुसार अधिनियों का निर्वहन न कर कदारास्तापूर्ण व्यवहार एवं दुराचरण के दोषी हैं।

Chandra



साक्षात् से,

नीरा पाक §
राजिव

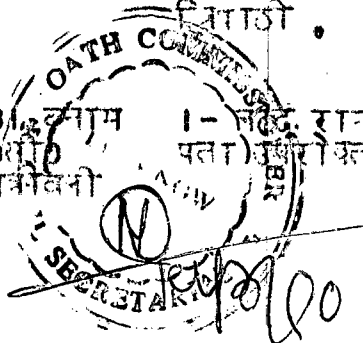
978

श्री कमलेश्वर प्रसाद गोवास्तव, चार्टर्ड एका तत्कालीन सचिव प्राधिकारी, नगर भूमि संचालन, वाराणसी के विरुद्ध आरोप सं० ११ से संबंधित बाध्य मेमो *

अभिलेखित बाध्य मेमो

क्रमांक	अभिलेख	साक्षी का नाम	क्या प्रमाणित होगा
1-	अर्द्धांगीकृत-2158/उत्ताखिल-3 अर्द्धांगीकृत 17/1984 दि० 24-3-84	श्री के०पी० मणि त्रिपाठी तत्कालीन सचिव उपाधीक्षक उ०प्र० सचिवता अध्यापक वाराणसी	राजनादेश जिनके द्वारा जांच अन्वेषण सचिवता अध्यापक को सुपुर्द हुई।
2-	अर्द्धांगीकृत-2- 171/84 दि० 31 अगस्त 84	-तदेव-	वरिष्ठ पुलिस उपाधीक्षक जांच उ०प्र० सचिवता अध्यापक, लखनऊ का पत्र जिनके द्वारा जांच वाराणसी परिषद को आगे रत की गयी
3-	पुलिस अधीक्षक उ०प्र० सचिवता अध्यापक वाराणसी का आदेश सं० 2-171/84 दि० 28-9-84	-तदेव-	आदेश जिनके द्वारा जांच/अन्वेषण पुलिस उपाधीक्षक श्री के०पी० त्रिपाठी सचिवता अध्यापक, वाराणसी को सुपुर्द की गयी।
4-	नगर भूमि अभाग उ०प्र० शासन का राजनादेश सं० 143/उन्वास- 275 गूसी०/8 दि० 18-2-81	श्री के०पी० मणि त्रिपाठी उक्त	धारा 20 नगर भूमि संयोजन एवं विनियमन अधिनियम 1976 के अंतर्गत हट को निगम करने संबंधी आदेश स्वयंसेवक प्रमाणित होगा।
5-	नगर भूमि अभाग उ०प्र० शासन का राजनादेश सं० 4873/उन्वास- 183 गूसी०/3 दि० 18-2-81	-तदेव-	-तदेव-
6-	नगर भूमि अभाग उ०प्र० शासन का राजनादेश सं० 875/उन्वास-11 गूसी०/76 दि० 11 मार्च, 1980	श्री के०पी० मणि त्रिपाठी उक्त	दर्शन वर्ग आवास वस्त्रधरा के संबंध में धारा 21 का हट के संबंध में निर्देश प्रमाणित होगा।
7-	उ०प्र० शासन नियुक्ति सं०-2 का अर्द्धांगीकृत-2065/दो० 2/1976 दि० 12 मार्च 1976 एवं उ०प्र० शासन नियुक्ति अभाग 2 का अर्द्धांगीकृत सं०-3785/दो० 2/32/76 दि० 10 मई 1976	श्री के०पी० मणि त्रिपाठी सेवानिवृत्त/स्वयंसेवक, गोवास्तव, थाना लखनऊ, वाराणसी	श्री कमलेश्वर प्रसाद गोवास्तव के गण प्राधिकारी, न० 20/सं० वाराणसी पद पर नियुक्ति प्रमाण-पत्र होगी।
8-	वाद सं०-260/2564/80-81 बनाम बड़ी प्रसाद ने संबंधित न० 20/सं० का वाराणसी को पत्रावली।	1-श्री बड़ी प्रसाद पूर्वोक्त सचिव, वाराणसी। 2- श्री के०पी० मणि त्रिपाठी, उक्त	वेमो रिवाल भूमि भवन के संबंध में धारा 6811 के अंतर्गत विवरणी दायित्व होना, श्री के०पी० गोवास्तव उक्त धारा शेषवर्तित्व स्वीकृत का विवरी हो रिवाल जाना प्रमाणित होगा।
9-	वाद सं०-264/851/80-81 बनाम देवनाथ ने संबंधित न० 20/सं० वाराणसी से संबंधित पत्रावली	1- नरेंद्र रान पुत्र देवनाथ पता अज्ञात	तदेव

Let's endow



1180

and among the other 10,500 to 15,000 in the 11th and 12th regiments

U.S. DISTRICT COURT
DISTRICT OF COLUMBIA
10/31/64
[Signature]

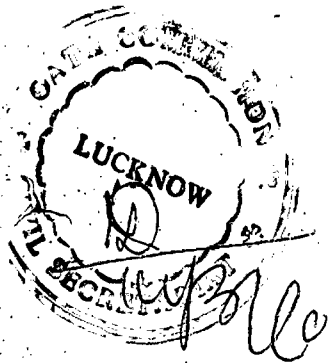
Eschard

A/B/C

अनुष्ठान न किए जाने का आचार बनाकर वारा 45 के अंतर्गत पुनरोचित कार्यवाही के मामले कायर किए जा रहे हैं और सभ्य प्राधिकारों द्वारा पुनः कार्यवाही का जा रही है। अतः श्री श्रीवास्तव द्वारा नियमावलीगत उक्त नियमों के अयोग कार्यवाही न किए जाने के कारण पुनः कार्यवाही किए जाने के राज्य सरकार का यत्न अवश्य हो रहा है। इस अवश्य के लिए श्री श्रीवास्तव जीवो हैं।

इस प्रकार श्री कमलेश्वर प्रसाद श्रीवास्तव उदात्तता पूर्ण व्यवहार कर अखिल भारतीय सेवाएं/आवरण/नियमावली 1963 के नियम 3 के अनुसार अपने कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ रहे। अतः श्री श्रीवास्तव द्वारा वरम के दोषा हैं।

श्रीरत यादव
सचिव।



B. B. S. S. S.

14182

In the Central Administrative Tribunal
Circuit bench, Lucknow

O.A. No. 31/90 (L)

K. P. Srivastava

Applicant

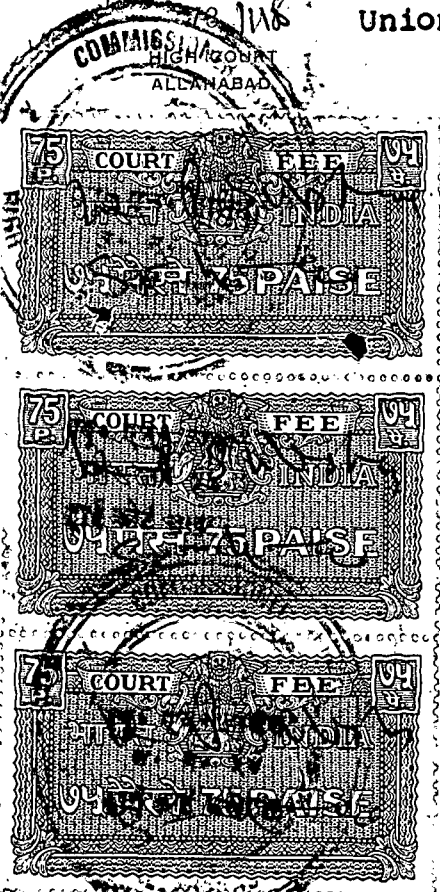
Versus

Union of India and Others

Opp. Parties

1990

AFFIDAVIT



Rejoinder affidavit of the application in reply
to the C.A. filed on behalf of O.P. No. 2 to 4

I, K.P. Srivastava aged about 57 years son of ~~Sri~~
Late Sri Sarju Prasad resident of A- 42 ,Indiranagar
Lucknow do hereby solemnly affirm and state on oath
as under:-

That the deponent who is the applicant in the above
noted original application has read and under stood the
contents of the counter affidavit filed on behalf of O.P.
No. 2 to 4 and is well acquainted with the facts deposed
to below:-

2. That paras 1 to 3 of the C.A. need no comments.
3. That the contents of para 4 of the C.A. needs no
comments but it is asserted that on the basis of the
work and conduct of the deponent having been found above
the mark, he was promoted and confirmed on the senior
scale post in the P.C.S. (Ex)
4. That the contents of para 5 of the C.A. are admitted but
it is asserted that the deponent was promoted to the
special grade post in the P.C.S. on the basis of his
being found suitable on the criteria of merit.
5. That the contents of para 6 of the C.A. call for no repl;



F-5.
L
6/4/90

448814

as the opp-parties have not controverted the contents of para 4.4 to 4.7

6. That para 7 of the C.A. needs no comments.
7. That the contents of para 8 of the C.A. needs no comments but the averments made in para 4.9 of the original application are correct and are reiterated.
8. That para 9 of the C.A. needs no reply except that provisions of para 2 of Notification dated: 29.8.77 is clearly out side the scope of the provisions of the U.P. Vigilance Establishment Act 1965 and the assertions made in this regard in para 4.14 of the petition are reiterated.
9. That of paras 10 to 12 of the C.A. need no comments. The assertions made in para 4.11 to 4.13 are reiterated.
10. That the reply to contents of para 13 the assertions made in para 4.14 of the petition are reiterated. The plea that para 2 of the notification dated: 29.8.77 is within the scope of the provision of the U.P. Vigilance Act is legally untenable and is denied. It is stated that the said Vigilance enquiry/Investigation is also illegal on the basis of other grounds raised in the petition.
11. That the contents of para 14 of the C.A. are misconceived and are denied. The OPs have not supported their denial contained in the said para by any reasoning or evidence. It is meaningless and the same has no evidentiary value. The content of para 4.15 of the original application are reasserted.
12. (1) That the contents of para 15 of the C.A. are misconceived and are denied. It is asserted the deponent had passed orders in judicial capacity under the provision

COMMISSIONER
44-105-119

of the Urban Land (Ceiling and Regulation) Act 1976 and to the best of his ability and judgment and without fear or favour has enforced the provisions of the various laws and rules involved in determining 'excess vacant land' held by a land holder. No. Govt. land or property or finance are involved in the proceedings under the said Urban land ceiling. On the basis of orders passed by the Deponent in the capacity of competent Authority urban land ceiling Act, valuable urban land was declared excess of the ceiling limit and stood vested in the state. The legality or otherwise of the orders passed by the deponent in judicial capacity could be determined only by appellate or revisional Authority provided in the Act. It was wholly illegal and without jurisdiction on the part of the Vigilance authority and the state Govt. in appointment Deptt. to sit in judgment over the judicial orders passed by the deponent in the bonafide exercise of his powers under the said Act.

12(2) It is also asserted that conduct rules are not applicable in respect of any thing done in judicial capacity. It is also stated there is absolutely no allegation^{or} evidence casting aspersions on the integrity of the deponent. It is also significant to state that during the year 1976-81 the deponent was an officer of the P.C.S. cadre and the All India service (conduct) Rules 1968 were not applicable to him. The contents of para 4.16 are correct and are reiterated.

13. That paras 16 and 17 of the C.A. relate to the provisions of law and do not call for any comments.

4.4.1984



AOS

14. That the reply to the contents of para 18 of the C.A. it is emphatically denied that the facts and circumstances of the case of Mohd. Iqbal Azmi are not applicable in the case of deponent. It has not been explained in the said para why the facts and circumstances of the case of the Mohd. Iqbal Azmi are not applicable in this case. The persual of the said three judgments of U.P. Public service Tribunal No.-1 Lucknow (Annexure-A-2) the judgment of Hon'ble Lucknow bench of Allahabad High court (Annexure-A-3) and the judgment of Hon'ble Supreme court of India (Annexure-A-4) that the facts and the circumstances of the case of the deponent are totally identical with that of the case of Sri Azmi and law laid down by the Hon'ble supreme court of India fully applies in this case. The contents of paras 4.19 to 4.21 of the original application are correct and are reiterated.

15. That the contents of paras 19 of the C.A. are wholly misconceived and are emphatically denied. The OPs have neither given any concrete evidences or reasoning to show that the law laid down by the Hon'ble Supreme court of India in the case of Sri Azmi (Annexure-A-4) are not applicable in this case. The contents of para 4.22 of the original application are correct and are reiterated.

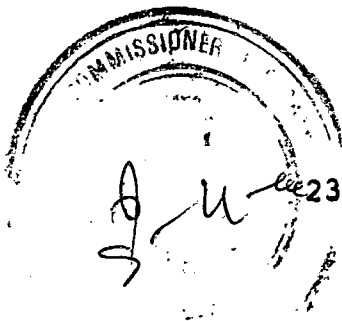
16. That para 20 of the C.A. needs no comments.

17. That the contents of para 21 of the C.A. to the effect that the suspension order was passed according to rules are denied and it is asserted that the requirements of rules of the all India service (Discipline and Appeal) Rules 1969 have not been complied with while passing the suspension order as stated in para 4.24 of the original application which are correct and are reiterated.

4/1/87

4186

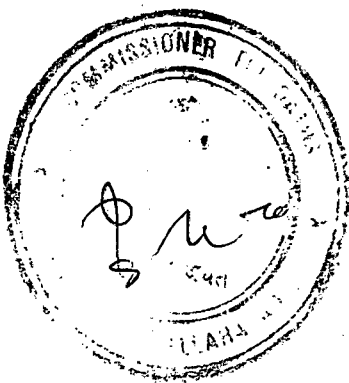
18. That para 22 of the C.A. needs no reply.
19. That the averments made in para 23 of the C.A. of the effect that the relevant records have been taken over by the Vigilance Establishment are not denied. The denial made in the para is not borne out from the contents of the charge sheet served on the deponent, also filed Annexure CA-2. It is evident that all the charges mentioned in the charge sheet relate to the judicial files.
20. That the contents of para 24 of the C.A. are misconceived and are emphatically denied and the contents of para 4.27 of the original application are correct and are reiterated.
21. That the contents of para 25 of the C.A. are emphatically denied and the contents of para 4.28 of the original application are correct and are reiterated.
22. That the contents of para 26 of the C.A. are denied and the contents of para 4.29 and 4.30 of the original application are correct and are reiterated.
23. That the contents of para 27 of the C.A. are ~~are~~ denied and the contents of para 4.32 are correct and are reiterated. It is also asserted that the order passed by the deponent do not come within the definition of 'misconduct' as explained in para 12.2 above.
24. That the contents of para 28 C.A. are misleading and are denied and the deponent has been discriminated against as explained in para 4.33 or 4.32 in the original application.



4/4/87

A187

25. That the contents of para 29 of the C.A. are emphatically denied and the contents of para 5 of the original application are correct and are reiterated. It is stated that the plea in para 29 is highly presumptuous, is denied.
26. That the contents of para 30 of the C.A. are denied and it is asserted that provision contained rule 16 of the A.-IS. (Discipline and Appeal) rules 1969 relating to filing appeal is not mandatory and also does not provide any effective remedy to stay suspension. It is therefore not necessary to exhaust departmental remedy. Contents of para 6 of the original application are also reiterated.
27. That para 31 of the C.A. needs no reply.
28. That the contents of para 32 of the C.A. are emphatically denied and the contents of para 8 of the original application are reasserted.
29. That the contents of para 33 of the C.A. are misconceived and are emphatically denied and it is asserted that interim relief has been allowed by this Hon'ble Tribunal being satisfied after hearing the arguments of the deponent counsel and perusing the records that the impugned suspension order was illegal and that no action could be taken against the deponent in respect of the judicial orders passed by him in view of the said law laid down by the Hon'ble Supreme court of India in the case of Sri Azmi. which was fully applicable in this case.
30. That the contents of para 34 of the C.A. need no reply .



44-078X719

A128

31. That the contents of para 35 of C.A. are wholly misconceived and are emphatically denied and the averments made in para 29 above are reiterated. It is also asserted that the facts ground and law mentioned in foregoing paras the impugned suspension order as well as the charge sheet and the illegal proceedings against the deponent deserve to be quashed and the original application is liable to be allowed with costs.

LUCKNOWApril 5th 1990DEPONENT

44 MEXED

VERIFICATION

I, the above named deponent do hereby verify that the contents of this counter Affidavit para 1 are true to my personal knowledge and paras 2, 3, 4, 5, 6, 7, 16, 18, are true to my knowledge from the perusal of the record and paras 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, and 31 are believed to be true on legal advice, no part of it is false and nothing material has been concealed, so help me God.

LUCKNOW dated:April 5th 1990DEPONENT

44 MEXED

(A109)

I, R. K. Srivastava ² Sri K. P. Srivastava do hereby declare

that the person making this affidavit and alleging himself to be Sri K. P. Srivastava, is the person who is known to me from the perusal of records produced before me in this case.

M. Kumar
R. K. Srivastava
c/o Sri B. C. Saxena
Advocate

Solemnly affirmed before me on 5-4-90
day of April 1990 at 2-35 a.m./p.m. K. P. Srivastava
been identified by the aforesaid. Chet

I have satisfied myself by examining the deponent that he has understood the contents of this affidavit which has been read over and explained by me.



45/10/90

Q. D. AHUJANI
OATH COMMISSIONER
High Court Lucknow Bench Lucknow
No 73/1158
Date 5-4-90